संपादक

देवरिया (उत्तर प्रदेश) के एक गाँव, हरपुर में जन्म। आरंभिक शिक्षा देवरिया में ही। फिर मशरक (बिहार) से होते हुए वर्धा (महाराष्ट्र) में अध्ययन। फिलहाल महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के जनसंचार विभाग में 'आध्यात्मिक संचारक के रूप में नाथ-योगियों की संचार प्रक्रिया' विषय पर शोधरत।

दिल्ली में 'द संडे इंडियन' (भोजपुरी) के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भाषा, संस्कृति, लोक, समाज और सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों पर लेखन।

भोजपुरी ई-पत्रिका 'आखर' के संपादक मंडल में सदस्य। 'भोजपुरिया अमन' के कविता विशेषांक का संपादन।

प्रकाशित पुस्तकें—'मितवा', 'गीत-गगन' और 'कसौटी पर जौहर' (संपादित)

संपर्क :
editordevendra@gmail.com
मो. : 9130872651

इंडिका इन्फोमीडिया
नई दिल्ली

"अपनी भाषाओं को संरक्षित करके ही संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जा सकती है। भाषा संस्कृति को मजबूत करती है और संस्कृति समाज को मजबूत बनाती है।"

"हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है।"

वेंकैया नायडू
महामहिम उपराष्ट्रपति, भारत गणराज्य

भोजपुरी मजबूत विमर्श का विषय बने, भोजपुरिया समाज में लोकजागरण हो, भोजपुरीभाषियों में चेतना जगे इसके लिए आलेखों पर केंद्रित यह नई पुस्तक वास्तव में कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं थी जिसमें भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता के मुद्दे पर इतनी विस्तृत जानकारी दी गई हो।

जगदंबिका पाल
सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अजीत दुबे जी के लेखों पर केंद्रित इस पुस्तक का अकादमिक महत्व तो है ही, हमारे जैसे लोगों के लिए भी यह एक हैंडबुक की तरह है। भोजपुरी से संबंधित सारे तथ्य, ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें मौजूद हैं। भोजपुरी अस्मिता आंदोलन, भोजपुरी भाषा-साहित्य-संस्कृति पर शोध कर रहे शोधार्थियों, संस्कृतिकर्मियों, आंदोलनकर्मियों के लिए यह पुस्तक काफी मददगार साबित होगी। हमें यह भी विश्वास है जागरूक पाठकों को यह पुस्तक अवश्य पसंद आएगी।

नीरज शेखर, *सांसद*

भोजपुरी भाषा के सांविधानिक मान्यता दियावे ख़ातिर प्रस्तुत पुस्तक आपन सार्थकता साबित करी एवं वर्तमान सरकार भोजपुरी सहित अन्य कुछ भाषा जवन संविधान का आठवीं अनुसूची में आवे ख़ातिर प्रयासरत आ संघर्षरत बाड़ी सन ओहनी के आपन इ लक्ष्य पावे ख़ातिर जल्दिये ऐतिहासिक निर्णय लीही।

मनोज तिवारी, सांसद

श्री अजीत दुबे तो लंबे समय से और कहें तो सदैव अपनी मातृभाषा भोजपुरी को उसका स्थान दिलाने के यत्न कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि यह प्रयास सफल हो। इस सफलता में किसी भी दूसरे की असफलता नहीं है। किसी एक भाषा को ताकत मिलने से दूसरी भारतीय भाषा कब कमजोर हुई है! यहाँ तक कि क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ने से जिस हिंदी को नुकसान की आशंका जतायी गई, वह भी खूब फली-फूली और आगे बढ़ी है। तो सही मायनों में आज भोजपुरी के लिए सभी के आगे आने की आवश्यकता है।

पद्मश्री रामबहादुर राय
वरिष्ठ पत्रकार एवं *अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र*

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता : सवाल, विमर्श, समाधान

अजीत दुबे

अजीत दुबे के आलेख

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता
सवाल, विमर्श, समाधान

संचयन एवं संपादन : देवेंद्र नाथ तिवारी

लेखक

भोजपुरी भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र के अग्रणी 'एक्टिविस्ट' के रूप में पहचान रखने वाले लेखक **अजीत दुबे** लेखन और संपादन के क्षेत्र में अरसे से सक्रिय रहे हैं। भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में स्थान दिलाने के लंबे संघर्ष के यात्री और साक्षी, श्री दुबे ने अपनी पैनी लेखनी (आलेख के रूप में) से भोजपुरी समाज और सरकार को गहरे तक आंदोलित-उद्वेलित किया है। वे वर्तमान में साहित्य अकादेमी की सामान्य परिषद् के सदस्य, भोजपुरी समाज, दिल्ली के अध्यक्ष, विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली सरकार के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक पद से सेवानिवृत्ति के बाद अनवरत भोजपुरी भाषा-अस्मिता की लड़ाई के 'सिपाही' के रूप में अपना अवदान दे रहे हैं। भाषा के इस विमर्श को आपने देश-विदेश में पहुँचाया है एवं इस जतन में अब भी लगे हैं। आपको मॉरीशस के राष्ट्रपति द्वारा 'विश्व भोजपुरी सम्मान', बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार सरकार का 'बिहार अकादमी पुरस्कार' एवं इसके अलावा 'चंद्रशेखर सम्मान', 'भोजपुरी कीर्ति सम्मान' इत्यादि अनेक सम्मान भी मिले हैं।

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता

सवाल, विमर्श, समाधान

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता
सवाल, विमर्श, समाधान

अजीत दुबे के आलेख

संचयन एवं संपादन
देवेंद्र नाथ तिवारी

इंडिका इन्फोमीडिया
जनकपुरी, नई दिल्ली–110 058

ISBN : 978-81-89450-93-9

अजीत दुबे
48, वैशाली, डाबड़ी-पालम मार्ग
नई दिल्ली–110045
मोबा. : +91 98111 24368

प्रकाशक
इंडिका इन्फोमीडिया
158 ए, तृतीय तल, आजाद मार्केट
लाजवंती गार्डेन, नई दिल्ली–110046
मोबा. : +91 93509 51555

प्रथम संस्करण : 2022

मूल्य : ₹400/-

आवरण चित्र
कैथी लिपि में 'भोजपुरी'

मुद्रक
आकाश प्रिंटर्स, नारायणा, नई दिल्ली

BHOJPURI KI SAMVIDHANIK MANYATA : SAWAAL, VIMARSH, SAMADHAN
A Hindi Non-Fiction by AJIT DUBEY; Price: Rs. 400/-

समर्पण...

उन सभी को जिनका इस आंदोलन को समर्थन मिला।

“राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छिन जाता है।”

– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

“भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को।”

– डॉ. केदारनाथ सिंह

मूर्धन्य साहित्यकार

अनुक्रम

सोपान–तीन : समाधान

परिशिष्ट

प्रस्तावना

आखिर भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता क्यों नहीं!

कब तक भोजपुरी को अपने अधिकार के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? सैकड़ों वर्षों से भोजपुरी कर्तव्य-पथ पर बिना थके, बिना रुके और बिना किसी सहारे के चल रही है। यह भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त हुआ करते हैं। कई बार भाषा को माध्यम बनाकर भावनाओं से खिलवाड़ भी हुए हैं। यह दुनिया के हर हिस्से में हुआ। ताजा उदाहरण रूस-यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिला है, जहाँ लड़ने के कई कारण गिनाए जाते हैं। राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने जोड़ा है कि यूक्रेन से नाजीवाद समाप्त करना उनका उद्‌देश्य है। एक कारण भाषा को भी बताया है। पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की हित-रक्षा के लिए भी आगे बढ़े हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में बहुत कुछ हो चुका है। आगे भी होगा। अभी तो यूक्रेन के हिस्सा रहे दोनेस्क और लुहांस्क को आजाद कराने का दावा किया गया है। सीरिया और निकारागुआ ने इन दोनों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दे दी है। यूक्रेन के इन हिस्सों को रूसी भाषा-भाषी बताया जाता है। स्पष्ट है कि भाषाओं को भड़काने का विषय भी बनाया जाता रहा है। लेकिन भाषाएँ स्वयं में विभेद का कारण नहीं बनतीं। हमारे यहाँ उदाहरण दूसरे तरह के हैं। सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण को संभव बनाया। राज्यवार व्यवस्था की बात चली तो पहले स्वयं सरदार ने और अंतिम रूप से गोविंद बल्लभ पंत ने भाषा को ही आधार बनाया। भाषावार राज्य बनाने में थोड़ी विसंगति दिखी। तब

अपनी भाषा के लिए स्थानीय समूह उठ खड़े हुए थे। तेलुगूभाषी कुछ हिस्सों को आंध्र प्रदेश के साथ कर दिया गया था। बंबई (अब मुंबई) को महाराष्ट्र अथवा गुजरात में रखने पर भी विवाद हुए। इन दोनों जगह के भाषा-भाषियों ने हिंसक विरोध किया था। बाद में तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने को लेकर भी हिंसा हुई।

इन उदाहरणों से भिन्न एक तथ्य भी देखना चाहिए। आजादी के बाद के वर्षों में राज्य पुनर्गठन अथवा हाल के दिनों में आंध्र-तेलंगाना विवाद में ऐसा नहीं हुआ कि एक भाषा वाले दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लें। उग्रता अपनी भाषा के लिए दिखी। आजादी के बाद एक बार लंबे समय तक दक्षिण के लोग अपनी भाषा पर हिंदी थोपे जाने के भ्रम में रहे। तब के स्थानीय शासकों ने भी उसे हवा दी थी। तब हुए इन विरोधों की पृष्ठभूमि समझनी होगी। यह अलग तरह की मानसिकता के कारण हुआ। इसे समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को देखना होगा। अंग्रेजी मानसिकता प्रभावी थी। बाद में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी को अकाट्य सत्य की तरह बैठा दिया गया। जो अंग्रेजी जाने, वही नौकरी से लेकर व्यवसाय तक उन्नति करे। संविधान सभा के सदस्यों ने इस खतरे को पहले ही समझ लिया था।

संविधान सभा के सदस्य स्वाधीनता सेनानी भी रहे। अंग्रेजी से उपजी हीनता को दूर करने के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझी गई। सेठ गोविंद दास, लक्ष्मीनारायण साहू, ए. भानू पिल्लै, कमलापति त्रिपाठी, स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजेश्वर प्रसाद, डॉ. रघुवीर, आर.वी. धुलेकर, अलादि कृष्णन अय्यर और गोकुलभाई दौलतराम भट्ट ने मजबूती के साथ हिंदी का पक्ष रखा। किंतु संविधान सभा में तब हुई बहसों में से कई बीच में ही छूट गए। इनमें पंचायतों के जरिये स्थानीय स्वशासन, कुटीर और लघु उद्योग और प्रारंभिक शिक्षा आदि के साथ राष्ट्रभाषा का भी प्रश्न शामिल है। सन् 1949 की उन बहसों में से राष्ट्रभाषा का प्रश्न तब राजभाषा तक ही रह गया।

राष्ट्रभाषा पर ही जब हम किसी मुकाम तक नहीं पहुँच सके तो अन्य भाषाओं की चिंता कहाँ तक होती! अन्य भाषा-भाषियों की तीव्र अभिलाषा को संतुष्ट करने के लिए आठवीं अनुसूची बनी। उसमें शामिल भाषाएँ विशेष बन

गई। आकांक्षा पाले लोकभाषा समूहों की शिकायतें कुछ हद तक दूर हुईं। अलग बात है कि जयपाल सिंह जैसे आदिवासी नेता की कोशिशों के बावजूद तब संथाली आदि भाषाओं को उनका उचित हक नहीं मिल सका था। लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, प्रशासक रहे जयपाल सिंह ने संविधान सभा में विद्वत्तापूर्ण ढंग से समझाया कि भाषा और संस्कृतियों को महत्व नहीं मिलना भी पिछड़ेपन का कारण हुआ करता है। सच भी यही है। परम्परा से ही ऐसा होता रहा। भाषा के मामले में तो यह स्पष्ट रहा कि जिस भाषा को शासन का संरक्षण मिला, वह विशेष हो गई। एक दौर में संस्कृत देवभाषा थी। बाद में ब्रज, अवधी, मैथिली और भोजपुरी जैसी लोकभाषाओं में भी ईश-वंदना सम्मान पा सकी। हालाँकि यह लोक-सहज था, शासन के संरक्षण का परिणाम नहीं। सूर, तुलसी और रसखान जैसे कवि आज भी इस संदर्भ में याद किए जाते हैं। कबीर का भोजपुरी साहित्य तमाम आडंबरों का विरोध करते हुए भी ईश्वर-भक्ति का अलग रास्ता दिखाता है।

संस्कृत के मुकाबले इन लोकभाषाओं की स्थापना जनमानस में व्यवहार का परिणाम है। तुलसी ने 'स्वांतः सुखाय' ही 'रघुनाथ गाथा' रची थी। जनसमुदाय को यह ग्राह्य लगी और उस गाथा के लोकप्रिय होने में कोई बाधा नहीं रही। फिर भी शासन और शासक की भाषा का प्रश्न बना रहा। तुलसी से थोड़ा पहले घूमकर देखें। वाल्मीकि के आदिकाव्य के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। हनुमान जब सीता के पास अशोक वाटिका में पहुँचे उस समय उनके मन में भाव उपजा कि उनकी संस्कृत वाणी को उनके वानर रूप से साम्य नहीं पाकर सीता उन्हें वेश बदलकर आया कपटी रावण समझ लेंगी–

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजतिरिव संस्कृताम्।
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥

सीता ऐसा समझकर भयभीत न हों, इसलिए हनुमान ने अपनी बात रखने के लिए प्राकृत का उपयोग किया–

द्विधा प्रयुक्तेन च वांगमयेन, सरस्वती तन्मिथुनं नु नाव।
संस्कारयूतेन वरं वरेण्यं, वंधू सुख ग्राह्य-निबन्धेन॥

यहाँ प्रयुक्त पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से है। दूसरा

कुमारसंभवम् से। यहाँ निहितार्थ को काल-भेद नहीं, अभिव्यक्ति के माध्यम को समझने की आवश्यकता है। तब राजवंशीय सीता को कमतर माने गए आदिवासियों की भाषा समझने में कठिनाई नहीं हुई। कहने का आशय यह है कि अभिव्यक्ति के लिए एक ही समय एक से अधिक भाषाएँ सक्षम थीं। श्रेष्ठ अथवा हीन बताने का काम एक योजना के तहत होता रहा। जिस हिंदी की बात आज हो रही है, उसे ही क्या कम बाधाएँ झेलनी पड़ीं! आज की हिंदी लंबे समय तक खड़ी बोली ही मानी जाती रही। भाषा तो ब्रज थी। ब्रज में कविता करना कवि की श्रेष्ठता का परिचायक था। खड़ी बोली की रचनाएँ तो चर्चा में ही नहीं होती थीं। वही कवि विद्वान था, जो ब्रज भाषा में कविताई करे। जिसने खड़ी बोली में लिखा, अपनी योग्यता बताने के लिए ब्रज में भी अवश्य लिखता रहा। तब भोजपुरीभाषी अयोध्या प्रसाद खत्री के नेतृत्व में खड़ी बोली की कविता को स्वीकृति दिलाने के लिए अभियान चला। ये वही बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री थे, जिन्होंने 1877 में 'हिंदी व्याकरण' नामक पुस्तक लिखी। लगभग दस साल बाद उन्होंने 'खड़ी बोली का पद्य' नाम से दो खंडों में संग्रह छपवाया। कहते हैं कि उन्होंने खड़ी बोली के प्रचार-प्रसार और उसकी स्थापना में राजा-महाराजाओं की तरह धन खर्च किया।

ध्यान से देखें तो जिसे संरक्षण मिला, वह भाषा हुई। बाकी की सभी बोलियाँ ही कहलाईं। हालाँकि, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज आठवीं अनुसूची में लाते ही कोई बोली एक झटके से भाषा कहलाने लगती है। मुश्किल यहीं पर है। विभिन्न योजनाओं के तहत जब साहित्य-संवर्द्धन की बात आती है, कई भाषाओं को इस आठवीं अनुसूची में नहीं होने के कारण ही दरकिनार कर दिया जाता है।

आधुनिक काल में देखें तो इस तरह के विभेद को अंग्रेजी साम्राज्य ने अधिक हवा दी। इसे समझने के लिए निर्माण के कुछ समय बाद सेंट विलियम कॉलेज के कर्ताधर्ता बने जॉन गिलक्राइस्ट की स्थापनाओं को समझना चाहिए। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक 'द ओरियंटल लिंग्विंस्टिक्स' में जो लिखा, उसका भाव है—"हिंदुस्तान एक संयुक्त शब्द है और इसका अर्थ है 'हिंदुओं का देश'...इस देश के मुख्य वासी हिंदू और मुसलमान हैं...इनकी भाषा को हम

बेखटके, एक साधारण व्यापक शब्द में 'हिंदुस्तानी' कह सकते हैं...निस्संदेह, यहाँ के रहने वाले और दूसरे लोग भी इसे 'हिंदी' अर्थात इंडियन कहते हैं, मानो इस नाम को हिंद से निकला हुआ बताते हैं।...लेकिन इस नाम में मुश्किल यह है कि इससे हिंदुवी या हिंदुई, हिंदवी का आभास होता है। ये शब्द हिंदू से निकले हैं—अतः इस देश की भाषा के लिए हमें और सब नाम त्याग देना चाहिए।" गिलक्राइस्ट महोदय आगे साफ तौर पर लिखते हैं—'यहाँ के लोग इसे हिंदुस्तानी नाम दें या न दें (इसका महत्व नहीं), क्योंकि इन लोगों में विभेद करने की क्षमता उपयुक्त दर्जे की नहीं है और अगर उपयुक्तताओं और पाबंदियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया भी जाए तो वे इनको क्रियान्वित नहीं कर सकते। हिंदुवी को मैं पूर्णरूप से हिंदुओं की संपत्ति करार देता हूँ।...यह वह भाषा है जो मुस्लिम आक्रमण से पहले प्रचलित थी।'

भारत की तमाम भाषाओं को समझे बिना अथवा कहा जाए तो एक योजना के तहत गिलक्राइस्ट इन भाषाओं को मिलाकर हिंदुस्तानी नाम देने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की भाषा की बात वे करते हैं उनमें ही उपयुक्त दर्जे की विभेद करने की क्षमता नहीं देखते। लगता है कि जॉन गिलक्राइस्ट की स्थापना से बहुत बाद तक हमारे यहाँ के लोग उबर नहीं पाए। तत्कालीन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में स्थापित 'हिंदुस्तानी एकेडमी' आज भी ढेर सारे काम कर रही है, पर गिलक्राइस्ट महाशय का भूत उस संस्था पर आज भी रह-रहकर सवार हो जाता है। यह तो भाषाओं की अपनी प्रकृति है, जो झरने और नदियों की तरह है। जिनके प्रति आमजन का लगाव बना रहा, वे अनवरत बहती रही हैं।

एक नदी अथवा किसी एक भाषा को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास हमेशा बिखराव को ही जन्म देता है। अंग्रेजों ने यही किया। पहली बात तो यह कि अपनी सुविधा के लिए भारत में तब के समय की उस भाषा को राजकाज का माध्यम नहीं बनाया, जिसे देश का बहुमत सहज ही समझ ले। फिर नौकरियों के लिए शासक की भाषा जानना जरूरी कर दिया गया। ऐसे में भारत की भाषाओं को तिरस्कृत रखने के प्रयास हुए। अच्छा हुआ कि जिनमें साहित्य रचना होती रही अथवा जो भाषा लोकजीवन में प्रयुक्त

रहीं वे भाषाएँ नदियों की ही तरह नित प्रवहमान हैं। कई को स्थानीय संस्कृति और व्यवहार ने ही बचाए रखा है। भाषाओं के प्रति संवेदनशील लोगों ने इनकी चिंता की है। शासकों की ओर से प्रायः संवेदनशून्यता ही रही।

अब समय के साथ समझ भी बढ़ी है। सरकार की मंशा ठीक हो तो जनमानस भी सहज स्वीकार करता है। आज नई शिक्षा नीति सभी को संतुष्ट करती है। वहाँ बहुत कुछ कहा गया है। संक्षेप में यह है कि शिक्षा देने के माध्यम के लिए त्रिभाषा फार्मूले के तहत मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा को प्रमुखता दी गई है। यानी कहीं से भी भाषा को लेकर कोई दुराग्रह नहीं है और सहज ही राष्ट्रभाषा की ओर बढ़ने का रास्ता भी और अधिक स्पष्ट हुआ है। यह शिक्षा नीति मातृभाषाओं के प्रश्न पर गंभीर है। मातृभाषाएँ कविता-कहानी आदि का ही माध्यम न बनें, इनमें अभियांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान भी शामिल हों। विश्वास है कि ऐसे प्रयास किये जाएँगे। अभी तक इसके विपरीत ही हुआ है। मातृभाषाओं में कौन कहे, जिसको हमने राजभाषा माना, उस हिंदी में भी विज्ञान की उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकें संभव नहीं हो पा रही हैं।

अंग्रेजी को एक योजना के तहत भारतीय भाषा-भाषियों पर थोपा गया। आजादी के आंदोलन में यह प्रश्न भी बार-बार उठा है। साहित्यकारों ने भी इस पर अपनी बात रखी। भोजपुरी भाषा-भाषी क्षेत्र बलिया के ददरी मेले में दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषण पढ़ा जाना चाहिए। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। गंगा और घाघरा नदी के संगम पर होने वाले ददरी मेले का प्रमुख स्नान पर्व। वर्ष 1884 था। 'भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है' इस शीर्षक से भारतेंदु ने अपना भाषण पढ़ा। तब बलिया के अंग्रेज कलेक्टर डी.टी. राबर्ट्स की मौजूदगी में भारतेंदु बाबू ने अपने भाषण के अंत में कहा था, "भाइयो! अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।"

'अपने देश में अपनी भाषा' यह वाक्यांश बहुत व्यापक है। आज राष्ट्रभाषा के रास्ते अधबिच पड़ी राजभाषा हिंदी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की चिंता

जरूरी है। ऐसे में कुछ भाषा-भाषी अथवा एक भाषा-समुदाय अपने अस्तित्व की पहचान का आग्रह करे तो कोई हर्ज नहीं दिखता। भारत तो अपनी जिस विविधता के लिए पहचाना जाता है, उसमें भाषा का भी भाग है।

अपना देश बहुभाषी है। भाषा-परिवार की दृष्टि से अपने यहाँ जो चार श्रेणियाँ बनायी गईं, वे भाषा वैज्ञानिकों की औपनिवेशिक समझ का एक प्रमाण है। अब उन्हें एक ही श्रेणी में रखने का वक्त आ गया है। वे सब भारतीय भाषाएँ हैं। इन परिवारों की 1,650 से भी अधिक भाषाओं की खोज भाषाविज्ञानियों ने की है। इन भाषाओं के कारण कभी कोई विवाद सामने नहीं आया। वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जो 2018 में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार देश के सवा अरब से अधिक लोग 1,652 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इस तथ्य से कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती। कारण भी साफ है। इन सैकड़ों भाषाओं में एक सामान्य तथ्य है। हर भाषा के साहित्य में वैविध्यपूर्ण संस्कृति की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये संस्कृतियाँ सहअस्तित्व को अनायास ही बल प्रदान करती हैं। भारत में बहुभाषिकता समाज की स्वाभाविक गति रही है। एक-दूसरे की भाषा के प्रति उदारता और सहिष्णुता हमारे मानसिक जगत का विस्तार करती रही है। साथ ही, इससे सामाजिक सद्भाव का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यानी किसी भी भाषा का साहित्य बिखराव नहीं, लगाव को ही प्रेरित करता है। फिर कोई भाषा दूसरे के प्रति द्वेष के बिना अपने हित की चिंता करे तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अपने बोलने-बरतने वालों के माध्यम से भोजपुरी भी आज यही प्रयास कर रही है।

यह प्रयास अवश्यक क्यों है? इसे एक सच्चाई से समझा जा सकता है। आज हमारे यहाँ 'बो' और 'खोरा' भाषाएँ जानने वाली सिर्फ दो महिलाएँ हैं। यही हाल 'जारवा' का है, जिसे बोलने वाले पाँच सौ से भी कम रह गए हैं। स्पष्ट ही ऐसी भाषाओं को जिंदा रखने के प्रयास नहीं हुए। इसके दुष्परिणाम तो और भी कष्टप्रद हैं। इन्हें जानने वाले दूसरी भाषाओं के माध्यम से अपना कामकाज चलाते ही होंगे। इस स्थिति में हुआ यह कि इन भाषाओं की ही समाप्ति नहीं हुई, बल्कि इनके इर्द-गिर्द की संस्कृति भी नष्ट होती गई। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट भी बताती है कि भाषाओं का अधिक विलोप भारत में ही

हुआ है। अमेरिका और इंडोनेशिया इस मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। वर्ष 2010 की 'इंटरेक्टिव एटलस रिपोर्ट' के अनुसार कुल लगभग छह हजार भाषाओं में से 199 ऐसी हैं, जिन्हें जानने वाले भारत की 'बो' और 'खोरा' के जानकार की तरह बहुत कम रह गए हैं। अन्य देशों के साथ भारत पर भी बाजारवादी उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव ने बोलियों और उससे जुड़ी संस्कृति को क्षति पहुँचाई है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा मिले तो बालक अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इससे भारतीय लोक संस्कृति, लोक धर्म, लोक जीवन-शैली को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। पश्चिमी बाजार के रास्ते में ये बाधक हैं। हमें इसका भान भले न हो, परंतु इससे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इसलिए भी मातृ-भाषाओं को बचाए रखना जरूरी है।

महात्मा गांधी ने भी कहा था, "राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छिन जाता है।" यह जन्मसिद्ध अधिकार किसी संविधान ने नहीं दिया है। कोई भी मातृभाषा सहज रूप से हर बच्चे को उसके परिवार से ही मिलती है। ढेर सारे ध्वनि-रूप और उनके हाव-भाव परिवार में ही सीखने-समझने को मिलते हैं। ये शब्द बच्चे के लिखना-पढ़ना सीखने से पहले ही उसकी जानकारी में होते हैं। एक शोध के मुताबिक, मात्र तीन साल की वय में कोई बालक लगभग एक हजार शब्द जानता है। भले वह क्रमवार बता न सके, पर ये शब्द उसके व्यवहार में हुआ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कई देशों ने अपने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाया है। हमारे यहाँ अलग-अलग कारणों से ऐसी भाषाओं की अवहेलना ही हुई है। ताजा उदाहरण झारखंड का है। वहाँ राज्य सरकार ने भोजपुरी के साथ मगही, मैथिली और अंगिका की क्षेत्रीय मान्यता कई जिलों में समाप्त कर दी है। भोजपुरी को तो इस प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था। राज्य सरकार के इस फैसले से बोकारो और धनबाद जैसे क्षेत्रों में हिंसक विरोध की स्थिति बन गई। गनीमत है कि झारखंड सरकार को अपनी भूल जल्द ही समझ में आ गई और वह आदेश वापस हो गया।

राजनीतिक अथवा अन्य निहित कारणों से भाषाओं के प्रति दुराव एक विशेष समुदाय का हित-साधन करता है। दूसरी ओर, जिस भाषा की उपेक्षा होती है, उसके जानने वाले लोगों की अगली पीढ़ियों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भोजपुरीभाषियों ने इसे लंबे समय तक झेला है। विदेशी सत्ता ने इस भाषायी क्षेत्र को हमेशा निशाने पर रखा। कारण भी था। सत्ता को चुनौती भी यहाँ से अपेक्षाकृत कुछ अधिक मिली। तब इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई। बाद में भी इसके पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास कम दिखे। इस क्षेत्र के लोगों ने इसे पहचाना। उन्हें लगने लगा कि भाषा और संस्कृति का संरक्षण भी बढ़ते रहने के लिए आवश्यक है। अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र की भाषा को भी सांविधानिक मान्यता मिलनी चाहिए।

वर्ष 1950 में संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ शामिल की गई थीं। ये 14 भाषाएँ हैं—असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू। बाद में सिंधी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को भी यह दर्जा मिल गया। वर्ष 2004 में अटल जी की सरकार के समय इस सूची में बोड़ो, डोगरी, संथाली और मैथिली को भी जोड़ लिया गया। इस तरह, अब आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हो चुकी हैं। तो सवाल है और यह बहुत ठीक सवाल है कि भोजपुरी भाषा को सांविधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है?

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक अजीत दुबे 'भाषा के प्रश्न पर सरकार का रवैया साफ नहीं' शीर्षक से पहले ही लेख में सांविधानिक मान्यता के मानकों में विसंगति को बताते हैं। वे सवाल करते हैं कि आठवीं अनुसूची में जब 22 भाषाएँ शामिल हैं, ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा पर उसके मूल्य को मात्र 15 भाषाओं में ही क्यों दर्ज करता है। साहित्य अकादेमी अपने सम्मान, प्रकाशन आदि में इन 22 के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी को भी किस आधार पर मान्यता देती है? स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई की भाषा नीति पर भी सवाल किए हैं। अजीत दुबे पुस्तक के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि भाषाओं की मान्यता के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। और यहीं से विभिन्न भाषा-भाषियों में असंतोष उपजता है। राज्यसभा सचिवालय

सदन की कार्यवाही को सभी 22 भाषाओं में दर्ज करने के लिए अधिसूचना जारी करता है, तो साहित्य अकादेमी की तरह अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी क्यों नहीं सोचता? राज्यसभा में उसके सदस्य राजीव प्रताप रूड़ी और लोकसभा में मनोज तिवारी को भोजपुरी में शपथ लेने की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस तरह के ढेर सारे और भी प्रश्न हैं, जो भाषा नीति की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

एक ओर, आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का कोई मानदंड नहीं है। इस मानदंड को पैरामीटर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर, शास्त्रीय भाषाओं के लिए 2004 में एक मानक बनाया गया। उसके मुताबिक, संबंधित भाषा के ग्रंथों का अभिलिखित इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्षों का होना चाहिए। ऐसी भाषा की मौलिक साहित्यिक परंपरा का भी होना आवश्यक है। फिर शास्त्रीयता का प्रश्न भी खड़ा किया जाता है। एक-एक कर शास्त्रीय भाषा सूची में तमिल, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया को शामिल किया गया है। हिंदी की बात की जाए तो निश्चित ही इनके बाद सातवां स्थान हासिल होगा। जहाँ तक भोजपुरी साहित्य के इतिहास की बात है, यह सातवीं सदी से व्यवस्थित रूप में मिलता है। इस तरह इसके भी लगभग 1500 साल होते हैं। गुरु गोरखनाथ की 'गोरख बानी' और कबीर का वृहत साहित्य तो हमारे सामने है ही। डॉ. उदयनारायण तिवारी भोजपुरी के व्यवस्थित साहित्य के मिलने का समय लगभग 1300 साल पहले बताते हैं। उन्होंने भोजपुरी के केंद्र स्थान भोजपुर तक के बारे में शोध किया और इसके लिए 'आईने अकबरी' और 'बादशाहनामा' के साथ कुछ अंग्रेज विद्वानों का भी हवाला दिया।

हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित 'भोजपुरी लोकगाथा' में सत्यव्रत सिन्हा मानते हैं कि भोजपुरी में लिखित साहित्य के विकसित न हो पाने के कारणों में प्राचीन भोजपुरी पंडितों का केवल संस्कृत में अध्ययन-अध्यापन और राज्याश्रय का अभाव है। सिन्हा कहते हैं कि प्राचीन बंगाल एवं मिथिला के विद्वानों ने संस्कृत के साथ-साथ अपनी मातृभाषा में भी साहित्यिक रचना की। दूसरी ओर, भोजपुरी क्षेत्र में होने के बावजूद, काशी संस्कृत अध्ययन का केंद्र बनी रही। हालाँकि सिन्हा यह बात पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते कि

भोजपुरी में साहित्य-सृजन करने वालों का अभाव है। अपने तर्क को संपुष्ट करने के लिए वे प्राचीन काल के धरमदास, शिवनारायण, धरनीदास तथा लक्ष्मीसखी एवं आधुनिक काल के बिसराम, तेजअली, बाबू रामकृष्ण वर्मा, दूधनाथ उपाध्याय, बाबू अम्बिका प्रसाद, भिखारी ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, रामबिचार पांडेय, प्रसिद्ध नारायण सिंह, पंडित महेन्द्र मिसिर, श्याम बिहारी तिवारी, चंचरीक, रघुवीर शरण तथा रणधीरलाल श्रीवास्तव के नाम गिनाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आई डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक 'भोजपुरी लोकगीत भाग 1' में डॉ. उदय नारायण तिवारी तथा डॉ. मैनेजर पांडेय ने कबीरदास को भोजपुरी के प्रथम कवि की संज्ञा दी है। डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने कबीर, जायसी, तुलसी आदि कवियों के साहित्य में प्रयुक्त भोजपुरी शब्दों की पहचान कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उनकी भाषा पर भोजपुरी की छाप है।

ऊपर के नामों से समझ सकते हैं कि भोजपुरी में साहित्य-रचना निरंतर जारी है। आज जिस दलित और स्त्री-चिंतन की चर्चा होती है, भोजपुरी में तो यह बहुत पहले प्रारंभ हो गया था। कबीर और रैदास आदि ने मानवतावादी चिंतन को तो भिखारी ठाकुर और राहुल सांकृत्यायन जैसे रचनाकारों ने दलित और स्त्री व्यथा का चित्रण किया।

साहित्यिक भाषा की कसौटी पर भोजपुरी कहाँ है इस पर बहस हो सकती है। पर इसके लिए हो रहे प्रयासों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आम तौर पर भोजपुरी के कोश 25 हजार शब्दों तक के बने हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय इसे 50 हजार तक करने के जतन में है। इसके लिए ओडिशा के भोजपुरीवासियों से भी संपर्क किया जा रहा है। सच है कि इस भाषा के लोक रूप, इसकी व्यापकता के मुकाबले दूसरी भाषाएँ कम ही ठहरती हैं। ऐसे में आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं में से हाल के आठ पर ही नजर डालें तो भोजपुरी के साथ अन्याय साफ झलकता है। इनमें से सबसे अधिक मैथिली बोलने वालों की संख्या एक करोड़, 35 लाख, 83 हजार है। यह 2011 की जनगणना के आधार पर है। इसके अनुसार, संथाली को सिर्फ 73 लाख 68 हजार लोग बोलते हैं। नेपाली बोलने वाले 29 लाख 26 हजार, सिंधी 27 लाख 72 हजार, डोगरी 25 लाख 97 हजार, कोंकणी 22

लाख 57 हजार, मणिपुरी 17 लाख 61 हजार और बोडो बोलने वाले 14 लाख 83 हजार लोग हैं। साफ है कि इनमें से सबसे अधिक मैथिलीभाषी एक करोड़, 35 लाख, 83 हजार से भोजपुरी बोलने वालों की संख्या तीगुने से भी अधिक पाँच करोड़, छह लाख से अधिक बतायी गई है। वैसे, कई भाषा सर्वेक्षण इसे पाँच से छह करोड़ बताते हैं। एक यह आँकड़ा भी गौर करने लायक है कि बाद में शामिल इन सभी आठ भाषाएँ बोलने वालों की कुल संख्या तीन करोड़, 47 लाख से भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कुछ अधिक ही है। साफ है कि इन आठ भाषाओं के बराबर अकेले भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। इस सूची में यह स्पष्ट ही है कि मात्र 14 लाख 83 हजार की बोली 'बोडो' को सांविधानिक मान्यता है। मान्यता प्राप्त इन भाषाओं में सिंधी और नेपाली तो देश के किसी राज्य तक की भाषा नहीं है। लेकिन आधिकारिक आँकड़ा ही लें तो पाँच से छह करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी बिहार के एक बड़े हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। वह आज भी मान्यता की बाट जोह रही है।

यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि भोजपुरी की पक्षधरता किसी भी दूसरी भारतीय भाषा का विपक्ष खड़ा करना नहीं है। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया, भाषा भावना का विषय हो सकता है। देश की अन्य भाषाएँ भी आगे बढ़ें। यह भारत की खूबसूरती है। यहाँ याद दिलाना है कि भोजपुरी की तरह छत्तीसगढ़ी, भूटिया, लेपचा, लिम्बू, कोड़व, तुलु, मिजो, राजस्थानी, टेंयीडी और भोटी के लिए भी संबंधित राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। भिन्न-भिन्न कारणों से ये प्रस्ताव केंद्र के पाले में हैं। अधिकतर प्रस्ताव अधिकारियों की तरह-तरह की टिप्पणी के भँवरजाल में उलझे हैं। इस तरह के प्रस्ताव दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहाँ तक भोजपुरी की बात है, जनगणना के आँकड़ों से अलग इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ बताई जाती है। इनका विस्तार दो प्रमुख प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और गुजरात तक है। विदेश में मॉरीशस सरकार ने 11 साल पहले 'क्रियोल' की ही तरह भोजपुरी को भी सांविधानिक मान्यता दी है। वहाँ के सभी सरकारी

स्कूलों में इस भाषा का अध्ययन-अध्यापन होता है। नेपाल सरकार ने भी इसे यही दर्जा दिया है। फीजी में भी यह सरकारी भाषाओं में से एक है। जहाँ तक बोलने वालों की बात है, मॉरीशस, नेपाल और फीजी के अतिरिक्त सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना, नीदरलैंड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि में लोग मौजूद हैं। मॉरीशस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में तो भोजपुरीभाषी सत्ता में भी रहा करते हैं।

भोजपुरी के इस विस्तार-क्षेत्र को देखते हुए इसके अंतरराष्ट्रीय होने का भी दावा किया जा सकता है। आखिर, हिंदी को अंतरराष्ट्रीय कहने का दावा उसके भारत से बाहर जानने वालों के कारण ही तो है। अशोक वाजपेयी एक जगह कहते हैं, "हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। खड़ी बोली अंतरराष्ट्रीय भाषा कभी नहीं थी। मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि, जहाँ तथाकथित हिंदीभाषी लोगों का एक बड़ा समूह विकसित हुआ, को आबाद करने वाले बोलियों के लोग थे। ये भोजपुरी, अवधी बोलने वाले लोग थे, जो विदेशों में गए। स्वयं हिंदी को अंतरराष्ट्रीय बनाने में अधिक निर्णायक बड़ी भूमिका गैर-खड़ी बोलियों की रही है।" दो राय नहीं कि उन गैर-खड़ी बोलियों में भोजपुरी भी शामिल है, जिसका नाम अशोक वाजपेयी भी लेते हैं। जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय होने की बात है, वर्ष 2009 के मॉरीशस में संपन्न विश्व भोजपुरी सम्मेलन में ही 16 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

भोजपुरी की यह व्यापकता ही है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा जिन 154 भाषाओं में है, उनमें सूरीनामी हिंदुस्तानी के साथ भोजपुरी भी शामिल है। सूरीनामी हिंदुस्तानी भले रोमन में लिखी जाए, भोजपुरी की तरह ही बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने यूनेस्को के तहत भोजपुरी के 'गीत-गवनई' को संरक्षण योग्य माना है। इन तथ्यों के बीच जब अपने देश के लगभग एक-चौथाई भाग में फैले भोजपुरी के लोग अपनी भाषा के हक की बात उठाते हैं, तो वह कहीं से भी अनुचित नहीं है। वे बिना किसी दुराव के अपनी बात रखते हैं। अन्य भाषाओं में भी साहित्य-सृजन हो रहा है। कई भाषाओं को केंद्रीय संस्थानों की ओर से संरक्षण-संवर्द्धन के कारण उनका निरंतर विकास हो रहा है। ऐसे में भोजपुरी के लोग भी कुछ दशकों

से सचेत हुए हैं।

भोजपुरी के इस प्रयास को अब अगंभीर और अनुचित नहीं कहा जा सकता। देश के अंदर कई बड़े शिक्षण संस्थानों में इसका अध्ययन-अध्यापन शोध के स्तर तक जा पहुँचा है। इसे समझना हो तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को देखें। वहाँ गोरखनाथ और कबीर के साथ पलटूदास, झीनकराम, हीराडोम, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, मोती बीए, धरीक्षण मिश्र, गोरख पांडेय, रामजियावन दास बावला जैसे साहित्यकार इस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। नाटकों में राहुल सांकृत्यायन का 'जोंक', भिखारी ठाकुर का 'गबर घिचोर' के साथ विमलानंद सरस्वती, प्रो. रामदेव शुक्ल और विवेकी राय की रचनाएँ पढ़ाई जाती हैं, तो विद्या निवास मिश्र की कहानी 'पकड़ी का पेड़' और विश्वनाथ तिवारी की 'इमली की बीघा' सहित कई कहानियाँ पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इग्नू में 2009 से भोजपुरी में आधार पाठ्यक्रम का अध्ययन-अध्यापन शुरू हुआ। यही नहीं, इग्नू में 'भोजपुरी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति केंद्र' की भी स्थापना की गई। जून, 2009 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र खुला।

कई राज्यों में भोजपुरी अकादमी की स्थापना हो चुकी है। इनमें बिहार सबसे पहले रहा। बाद में मध्य प्रदेश में भी ऐसी अकादमी खुली। इस पुस्तक के लेखक श्री दुबे स्वयं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष रहे हैं। इन अकादमियों ने अपने स्तर से कई प्रयास किए। बिहार में इंटरमीडिएट कक्षाओं तक भोजपुरी पढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ही तरह वहाँ के भी कई विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में भोजपुरी शामिल है। आरा के वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय तो इस भाषा में पीएचडी भी कराता है।

प्रश्न है कि विपुल लोक साहित्य की ऐसी संपदा और साहित्यिक रचनाओं से समृद्ध भाषा के क्षेत्रवासी अपनी बोली से संकोच क्यों करते रहे हैं? इस बारे में भोजपुरी साहित्यकार चंद्रशेखर मिश्र ने एक बार कहा था कि भोजपुरी वालों को अपनी भाषा की ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन उन्हें अपनी भाषा-बोली का मर्म पता चल जाएगा, उस दिन यह झिझक अपने आप टूट

जाएगी और मान से इतरा उठेंगे यही लोग। लगता है कि चंद्रशेखर मिश्र ने जिस समय का संकेत दिया था, वह आ गया है। भोजपुरीवासियों ने अपनी भाषा की ताकत को समझना शुरू कर दिया है। आज देश की राजधानी में भी इस विस्तृत भाषा-भाषी क्षेत्र के लोग नियमित रूप से अपनी भाषा और संस्कृति के आयोजन करते रहते हैं। 'माटी' संस्था सहित कुछ में शामिल रहने का अवसर मुझे भी मिला है। यहाँ साहित्यकार डॉ. केदारनाथ सिंह याद आते हैं, जो कहते रहे कि 'भोजपुरी मेरा घर और हिंदी मेरा देश है'। मैं अपने को भी केदारनाथ जी से जोड़कर देखता हूँ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे श्री अजीत दुबे अपनी भाषा और माटी से बराबर जुड़े रहे हैं। जब भी मौका मिला, उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय में खूब लिखा। प्रस्तुत पुस्तक से पहले श्री दुबे की पहली किताब 'तलाश भोजपुरी भाषायी अस्मिता की' मेरी नजर से न केवल गुजरी, उसे भी पढ़कर मैंने संक्षिप्त टिप्पणी की थी। मैंने उसे भोजपुरी अस्मिता के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह बताया था। उस पुस्तक में लेखक ने भोजपुरी भाषा-साहित्य और संस्कृति के सभी अंग-उपांगों के साथ उसके भूत और भविष्य की संभावनाओं को रखते हुए साफ कर दिया था कि यह भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होने के सर्वथा योग्य है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं से सुर मिलाते तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधियों की मजबूरी के साथ उनकी चालाकियों की ओर भी संकेत किया है। साथ ही, इसके पक्षधर साहित्यकार और राजनेताओं को भी स्थान दिया है।

प्रस्तुत पुस्तक में श्री दुबे और अधिक मजबूती के साथ भोजपुरी से संबंधित 'सवाल, विमर्श और समाधान' नाम से तीन सोपान में अपने प्रकाशित लेख प्रस्तुत करते हैं। जगह-जगह उन्हीं के उद्धरण को ध्यान में रखते हुए याद किया जा सकता है कि 17 मई, 2012 को तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने भरोसा दिया था कि अगले ही सत्र में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता के लिए सदन में विधेयक लाया जाएगा। भरोसा और अधिक बढ़ गया था, क्योंकि जो चिदंबरम कभी हिंदी नहीं बोलते, उस दिन उन्होंने अपनी यह बात भोजपुरी बोलकर रखी थी। हालाँकि, वह भरोसा इतिहास ही है।

तब से भोजपुरीभाषी और अधिक मजबूत तर्कों के साथ सामने आए हैं। उन्हें लगता है कि जिस एनडीए वाली अटल जी की सरकार के समय कम संख्या में बोलने वाली चार भाषाओं को मान्यता मिली, एनडीए की और भी सशक्त वर्तमान सरकार के दौरान भोजपुरी की उम्मीदें परवान चढ़ सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भोजपुरी क्षेत्र काशी से जुड़ाव और लगाव भी इस उम्मीद को ताकत प्रदान कर रहा है।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में कहा है कि चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उसके पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार देने की गारंटी देता है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ। नायडू का यह वक्तव्य गांधी जी की याद दिलाता है, जिनके तमाम कथन में से एक श्री दुबे ने अपनी पहली पुस्तक के उद्घोष वाक्य के रूप में लिया—"माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को हम भूल नहीं सकते।" राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी तो कहा था—"प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा, सबके लिए हिंदी।" भोजपुरीभाषी मातृभाषाओं के बारे में इन मनीषियों के कथन याद कर रहे हैं। श्री अजीत दुबे तो लंबे समय से और कहें तो सदैव अपनी मातृभाषा भोजपुरी को उसका स्थान दिलाने के यत्न कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि यह प्रयास सफल हो। इस सफलता में किसी भी दूसरे की असफलता नहीं है। किसी एक भाषा को ताकत मिलने से दूसरी भारतीय भाषा कब कमजोर हुई है! यहाँ तक कि क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ने से जिस हिंदी को नुकसान की आशंका जतायी गई, वह भी खूब फली-फूली और आगे बढ़ी है। तो सही मायनों में आज भोजपुरी के लिए सभी के आगे आने की आवश्यकता है।

होली, विक्रम संवत् 2078 — **रामबहादुर राय**

18 मार्च, 2022; नई दिल्ली

अभिमत—एक

भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर पिछले कई वर्षों से बेहद सक्रिय, भोजपुरी भाषा, संस्कृति, साहित्य और कला के प्रति गहन आस्था और इनके विकास और प्रचार-प्रसार से गहरा सरोकार रखने वाले अजीत दुबे द्वारा लिखित महत्वपूर्ण आलेख देश के प्रतिष्ठित अखबारों-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित किए जाते रहे हैं। भोजपुरी विमर्श का एक मजबूत विषय बने, भोजपुरिया समाज में लोकजागरण हो, भोजपुरीभाषियों में चेतना जगे इसके लिए आलेखों पर केंद्रित यह नई पुस्तक वास्तव में कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं थी, जिसमें भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता के मुद्दे पर इतनी विस्तृत जानकारी दी गई हो। किसी भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल होने का अर्थ क्या है? ऐसा होने से उस भाषा को क्या लाभ होते हैं? सरकार ने अगर आज तक 22 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया तो भोजपुरी को यह सम्मान प्रदान करने में सरकार हिचकिचा क्यों रही है? आखिर वे बाधाएँ क्या हैं जो भोजपुरी की राह में रोड़े अटका रही हैं? इस मुद्दे पर सरकार ने अब तक क्या किया है? ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो किसी भी भोजपुरीप्रेमी के मन में उठने स्वाभाविक हैं। यह पुस्तक इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर उपस्थित हुई है। देश में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन दुःखद है कि बोलने वालों की इतनी बड़ी संख्या और तमाम मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरने के बावजूद आज तक भोजपुरी को उसका उचित हक प्राप्त नहीं हो पाया है।

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता के मुद्दे पर अजीत दुबे ने काफी कार्य किया है। देश-विदेश में किये गए और किए जा रहे प्रयासों में किसी-न-किसी रूप में वे शामिल रहे या उनसे पूरी तरह अवगत रहे। भोजपुरी समाज दिल्ली एवं विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था द्वारा आयोजित कई समारोहों व सम्मेलनों में मैंने भी शिरकत की है। मई 2009 में 15वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन समारोह में अनेक सांसदों की उपस्थिति में अजीत दुबे ने भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का मुद्दा प्रभावशाली ढंग से उठाते हुए वहाँ मौजूद सांसदों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे में रुचि लेते हुए और इसे प्राथमिकता देते हुए संसद में उठाएँ तथा भोजपुरी को उसका अपेक्षित सम्मान और हक दिलाने के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी तरह, जून 2014 के 16वीं लोकसभा एवं जुलाई 2019 में 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन समारोह में भी श्री दुबे ने भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का मुद्दा प्रभावशाली ढंग से उठाया। इस दिशा में भोजपुरी समाज दिल्ली और अजीत दुबे के प्रयासों से मैं हमेशा बहुत प्रभावित रहा। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिस शिद्दत और समर्पण के साथ वे आगे बढ़े हैं, वह काबिले-तारीफ है। इस विषय पर मेरी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अजीत दुबे की अग्रणी भूमिका रही, दिनांक 21 सितंबर, 2012 को तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मिला था और उनसे इस विषय पर अपेक्षित कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इस विषय पर अजीत दुबे द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारियों को आधार बनाकर मैंने भी कई बार संसद में इस मुद्दे को उठाया। पिछली सरकार में इस दिशा में हालाँकि अपेक्षित सफलता तो प्राप्त नहीं हो पाई, पर अब देश में एक नई सरकार आई है जो भारतीय भाषाओं की हितैषी और शुभचिंतक है। आशा है कि यह सरकार भोजपुरी को उसका यह चिर-प्रतीक्षित अधिकार जरूर प्रदान करेगी। जुलाई, 2015 के अंतिम सप्ताह में, मेरे निवास पर संसद में मेरे साथी श्री अर्जुनराम मेघवाल और अजीत दुबे आए। भोजन पर चर्चा में ये बात निकलकर आई कि भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी की मान्यता के लिए सामूहिक एवं यथोचित प्रयास की जरूरत है। दरअसल, ये भाषाएँ (भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी) विदेशों में भी मान्यता प्राप्त हैं।

भोजपुरी को नेपाल और मॉरीशस में, राजस्थानी को भी नेपाल में, वहीं भोटी को भूटान में सांविधानिक मान्यता मिली है। 27 जुलाई, 2015 को भोजपुरी-राजस्थानी-भोटी की मान्यता के लिए बड़ी संख्या में सदन के साथियों के साथ बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता श्री अर्जुनराम मेघवाल ने की। बैठक में यह प्रस्तावित किया गया कि भोजपुरी-राजस्थानी-भोटी की मान्यता के लिए सौ सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोधपत्र प्रधानमंत्री सहित गृहमंत्री कार्यालय को देने पर सहमति बनी। इस बैठक में अजीत दुबे भी उपस्थित रहे। उन्होंने मान्यता हेतु भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी के मेरिट पर बात की। फिर 28 जुलाई, 2015 को तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह जी को अनुरोध पत्र दिया गया। अजीत दुबे समय-समय पर भोजपुरिया सांसदों व सरकार को इस मुद्दे पर अपने पत्रों द्वारा भी अलख जगाए रखते हैं।

अब यह काम उनकी इस पुस्तक के माध्यम से भी बखूबी होगा। आशा है, यह पुस्तक भोजपुरी भाषा के पैरोकारों को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान करने में उत्प्रेरक का कार्य करेगी। पुस्तक देश-विदेश में प्रशंसा प्राप्त करे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ!

— जगदंबिका पाल

सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली; 24 जनवरी, 2022

अभिमत–दो

दिल्ली में भोजपुरी भाषा आंदोलन, संस्कृति के उत्थान के लिए अजीत दुबे जी की सक्रियता प्रेरक रही है। पिताजी के समय से ही उनकी सक्रियता को देख रहा हूँ। भोजपुरी समाज के विभिन्न आयोजनों में हमारे श्रद्धेय पिताजी भी सहभागी रहे हैं। भोजपुरी भाषा की सांविधानिक मान्यता को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में 1969 से आवाज बुलंद की जा रही है। पाँच दशकों से यह बात लगातार हो रही है, लेकिन विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न अवसर पर दिये गए आश्वासन के बावजूद भोजपुरी की मान्यता के संबंध में अब तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का मानना था कि 'भोजपुरीभाषी क्षेत्र तभी विकसित होगा जब इस क्षेत्र की भाषा इसकी अपनी भाषा, यानी कि भोजपुरी होगी।' दरअसल, भोजपुरीभाषी क्षेत्र को विकसित और खुशहाल बनाने के लिए भोजपुरी भाषा को सांविधानिक मान्यता मिलना बेहद जरूरी है। देश-दुनिया में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या करीब 20 करोड़ है। मॉरीशस, सूरीनाम, नेपाल सहित अन्य कई देशों में भोजपुरीभाषी बहुतायत में हैं। मॉरीशस और नेपाल में इस भाषा को सांविधानिक दर्जा भी प्राप्त है। उच्च सदन में 19 सितंबर, 2020 को मैंने भी भोजपुरी भाषा की मान्यता के संबंध में अनुरोध किया था। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जो भी जरूरी मापदंड हैं, भोजपुरी उन पर खरी उतरती है। परिमाणात्मक दृष्टिकोण से समृद्ध साहित्य, भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से किसी लिहाज से कमतर नहीं है। इससे कम संख्याबल वाली भाषाओं को भी सांविधानिक हक मिला हुआ है। भोजपुरी केवल भाषा तक सीमित नहीं है, इसमें मुकम्मल

दर्शन भी है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होना भोजपुरी का वाजिब हक है। लेकिन दुःखद है कि अब तक इसे वह सम्मान नहीं मिला है, जिसकी यह अधिकारी है। केंद्र की वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं की पक्षधर रही है। यह आजादी का अमृत वर्ष है। देश की आजादी के लिए भोजपुरीभाषियों ने व्यापक कुर्बानी दी है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की मातृभाषा भी भोजपुरी रही है। आजादी के इस अमृत वर्ष में भोजपुरी को उसका हक देकर सरकार 20 करोड़ भोजपुरीभाषियों के साथ न्याय ही करेगी। यह मुद्दा जनभावना से जुड़ा है। उम्मीद है कि जल्द ही भोजपुरी की मान्यता के संबंध में कोई ठोस निर्णय होगा। अजीत दुबे जी के लेखों पर केंद्रित इस पुस्तक का अकादमिक महत्व तो है ही, हमारे जैसे लोगों के लिए भी यह एक हैंडबुक की तरह होगा। भोजपुरी से संबंधित सारे तथ्य, ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें मौजूद हैं। भोजपुरी अस्मिता आंदोलन, भोजपुरी भाषा-साहित्य-संस्कृति पर शोध कर रहे शोधार्थियों, संस्कृतिकर्मियों, आंदोलनकर्मियों के लिए यह पुस्तक काफी मददगार साबित होगी। हमें यह भी विश्वास है कि जागरूक पाठकों को यह पुस्तक अवश्य पसंद आएगी।

– नीरज शेखर

सांसद

नई दिल्ली; 14 जनवरी, 2022

अभिमत–तीन

हमरा बड़ी प्रसन्नता बा कि श्री अजीत दुबे जी के एगो अउरी नया किताब रउवा समक्ष आ गइल बा जेकर शीर्षक 'भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता' पढ़ते ही स्पष्ट हो जा ता कि इँहा का-का कहल चाहऽ तानी। श्री अजीत दुबे जी के ई बड़हर योगदान बा भोजपुरी के सजावे आ बचावे ख़ातिर। एकरा ख़ातिर हम दुबे जी के बहुत बधाई देत बानी! ई बड़ बात बा कि कोई एतना डूब के भोजपुरी के चिंता कर रहल बा। अजीत भइया ख़ाली किताब नइखी लिखले, संस्थागत रूप से भोजपुरी के प्रति जागरूकता बढ़ावे ख़ातिर सम्मेलन, गोष्ठी, सांसद अभिनंदन इत्यादि के आयोजन समय-समय पर कर माहौल बनावत बानी उ बहुत वंदनीय बा।

ओइसे हम अजीत भइया के ई कुल्ह विशेषता ढेर दिन से जानऽ तानी। हमनी के दिल्ली के सभ्य सांस्कृतिक मंच पर बैठावे में इँहा के बड़ी प्रयास बा। इ सब बात तऽ हम दुबे जी के पहिला किताब 'तलाश भोजपुरी भाषायी अस्मिता की' के लिखत खानी भी चर्चा कइले रहनी।

अजीत दुबे जी के भोजपुरी के प्रति प्रेम आ समर्पण का पीछे इँहा के बाबूजी के भी बड़ा योगदान बा। जब देस के पहिला राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू भोजपुरी के चिंता कइलीं आ ओके साहित्य सिनेमा आ संगीत के क्षेत्र में नया आसमान दिहलीं तवना घड़ी अजीत भइया के बाबूजी भी राजेन्द्र बाबू के संपर्क में रहलीं।

एगो सरकारी अधिकारी रहते हुए अजीत दुबे जी द्वारा भोजपुरी के प्रति जागरूकता बढ़ावे ख़ातिर कइल विभिन्न प्रयास निस्संदेह प्रेरणादायक बा एवं

हम इँहा के साधुवाद दे रहल बानी।

हमरा आसे नाहि पूरा विश्वास बा कि भोजपुरी भाषा के सांविधानिक मान्यता दियावे ख़ातिर प्रस्तुत पुस्तक आपन सार्थकता साबित करी एवं वर्तमान सरकार भोजपुरी सहित अन्य कुछ भाषा जवन संविधान का आठवीं अनुसूची में आवे ख़ातिर प्रयासरत आ संघर्षरत बाड़ी सन ओहनी के आपन इ लक्ष्य पावे ख़ातिर जल्दिये ऐतिहासिक निर्णय लीही।

– मनोज तिवारी

सांसद

नई दिल्ली; 5 फरवरी, 2022

संपादक की कलम से

आखिर कब मिलेगी भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता

भारत के संविधान के मुताबिक भोजपुरी भाषा नहीं है। अगरचे, देश-दुनिया में बसे करीब 20 करोड़ भोजपुरी भाषियों की इस प्राणप्रिय भाषा को मॉरीशस और नेपाल जैसे देशों ने अपनी राजभाषा का दर्जा दे रखा है। लेकिन, विडंबना यह है कि अपने मूल देश में ही भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान (आठवीं अनुसूची) में जगह नहीं मिल पाई है, जबकि यह इसकी मुकम्मल पात्रता रखती है। तकरीबन 13 सौ साल पुरानी भोजपुरी का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। झारखंड में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भोजपुरी का दायरा काफी विस्तृत है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक तौर पर भी भोजपुरी किसी अन्य भाषा, खासकर हिंदी की भगिनी भाषाओं से कमतर नहीं है। इसका शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पक्ष भी काफी मजबूत हो चुका है। देश के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन सांविधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिलने के कारण भोजपुरी और भोजपुरी पट्टी का विकास प्रभावित हो रहा है। भोजपुरी को वह मुकाम नहीं मिल रहा, जिसकी वह वाजिब हकदार है। हालाँकि, इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि गैर-भोजपुरी भाषी भी इससे लगाव रखते हैं। हर साल भोजपुरी में सौ से डेढ़ सौ फिल्में बन रही हैं। गैर-भोजपुरीभाषी लोग भी इन फिल्मों को पसंद करते हैं। फिर भी भारतभूमि पर भोजपुरी सांविधानिक तौर पर उपेक्षित है। बहरहाल, भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा क्यों दिया जाए, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। इसी से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं–

1. ऐतिहासिक पक्ष–भोजपुरी का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ तक कि हिंदी से भी पुराना। विद्वानों का मत है कि सातवीं-आठवीं सदी में यह बोली अस्तित्व में आई। इस आधार पर भोजपुरी का कालखंड पाँच भागों में वर्गीकृत किया जाता है–

क. प्रारंभिक काल–700 से 1100 ई.

ख. चारण काल–1100 से 1400 ई.

ग. संत काल–1400 से 1800 ई.

घ. अध्ययन काल–1800 से 1900 ई.

च. वर्तमान काल–1900 से अब तक

इन पाँच कालखंडों में गुरु गोरखनाथ, कबीर, रैदास से लेकर भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन, रघुवीर नारायण, प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह, रामेश्वर सिंह काश्यप, डॉ. विवेकी राय जैसे रचनाकारों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने भोजपुरी में कालजयी रचनाएँ कीं। पद्य से लेकर गद्य आधारित रचनाओं तक की भरमार है भोजपुरी में। व्याकरण और शब्दकोश से लेकर गीत, कविता, नाटक, कहानी, हाइकू, गजल... क्या नहीं लिखा गया है! बस जरूरत है थोड़ा-सा वक्त निकालकर इन गलियों से होकर गुजरने की और तभी भोजपुरी को समझा-बूझा जा सकता है।

2. भौगोलिक पक्ष–महान भाषाविद् डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन के 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' भाग-5, पृष्ठ-1 के अनुसार, जिस भू-भाग में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, उसका क्षेत्रफल करीब पचास हजार वर्गमील है। इस भू-भाग में तीन करोड़ लोग रहते हैं, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है। यह गणना 1901 की जनगणना के आधार पर हुई। तब देश की कुल आबादी 29 करोड़ 43 लाख 60 हजार थी। यानी, तब देश की कुल आबादी की करीब 10 प्रतिशत जनसंख्या भोजपुरी बोलने वालों की थी। फिलहाल, देश की आबादी सवा अरब से ज्यादा हो चुकी है। भोजपुरी बोलने वालों की स्पष्ट संख्या का पता नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि देश-विदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या करीब बीस करोड़ से ज्यादा है।

भोजपुरीभाषी प्रदेश के संबंध में सर ग्रियर्सन ने लिखा है–'भोजपुर परगना

के नाम पर इस बोली का नाम पड़ा। यह भोजपुरांचल की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है।' उत्तर में यह गंगा को पार करती हुई नेपाल की सीमा के ऊपर हिमालय की निचली पहाड़ियों तक और चंपारण जिला से लेकर बस्ती तक फैली हुई है। दक्षिण में सोन नदी पार करती हुई भोजपुरी छोटानागपुर से आगे राँची के पठार तक फैली हुई है। मानभूमि जिले के छोर पर यह पश्चिम बंगाल और सिंहभूम जिले के छोर पर उड़ीसा के संपर्क में आती है। बिहार की मैथिली, मगही और भोजपुरी—इन तीनों में भोजपुरी अति पश्चिमी बोली है। गंगा के उत्तर में मुजफ्फरपुर जिले के मैथिली भाषी क्षेत्र के पश्चिम और गंगा के दक्षिण में गया और झारखंड के हजारीबाग जिले के पश्चिम में भी इसका वजूद है। यहाँ से इसका दायरा हजारीबाग के मगही भाषी क्षेत्र के पास से दक्षिण-पूर्व की ओर घूम जाता है और आगे चलकर राँची के पठारी भाग एवं राँची और पलामू जिले के अधिकांश हिस्से तक पसरा हुआ है। यहाँ इसकी सीमा पूर्व में राँची के पठारी भू-भाग में बोली जाने वाली मगही और मानभूमि में बोली जाने वाली बाँग्ला से निर्धारित होती है। भोजपुरी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा झारखंड के सिंहभूम जिले और गंगापुर रियासत में बोली जाने वाली ओड़िया से मिलती है। इसके बाद, भोजपुरी की सीमारेखा जसपुर रियासत के बीच से उत्तर की ओर घूम जाती है और पलामू जिले के पश्चिमी छोर तक पहुँच जाती है। इसी क्रम में भोजपुरी सरगुजा रियासत और पश्चिमी जसपुर में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी के साथ आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। पलामू के दक्षिणी भाग से होते हुए इसकी सीमारेखा यूपी के मिर्जापुर के दक्षिणी छोर तक पहुँचती है। यहाँ मिर्जापुर जिला के दक्षिणी और पश्चिमी किनारे से होती हुई यह गंगा-तट तक पहुँचती है, जहाँ से गंगा की धारा के साथ पूर्व की ओर घूम जाती है और बनारस के पास पहुँचकर गंगा के दूसरे छोर तक पहुँचती है। ऐसे में इसकी सीमा के अंदर मिर्जापुर जिले के उत्तरी गांगेय क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी आ जाता है। गंगा पार करने के बाद इसकी सीमा उत्तर की ओर फैजाबाद जिले के घाघरा नदी के तट पर बसे टांडा तक जाती है। यहाँ से बनारस जिले की पश्चिमी सीमा के साथ चलती हुई जौनपुर के आर-पार और आजमगढ़ जिले के पश्चिमी और फैजाबाद के पार तक

पहुँचती है। टांडा से इसकी सीमारेखा घाघरा नदी के साथ पश्चिम की ओर घूम जाती है और उत्तर की ओर घूमकर हिमालय के निचले पर्वतीय इलाकों तक जाती है। इस तरह, समूचा बस्ती जिला इसके दायरे में आ जाता है।

इसके अतिरिक्त, गोंडा और बहराइच जिलों में रहने वाले थारू जाति के आदिवासी भी भोजपुरी ही बोलते हैं। नेपाल की तराई में बसे मधेशियों के साथ ही थरूहट जाति के आदिवासियों की भाषा भी भोजपुरी ही है।

3. साहित्यिक और सांस्कृतिक पक्ष–भोजपुरी में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं की भरमार है। इन रचनाओं में भोजपुरी संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। शुरुआती दौर में गुरु गोरखनाथ और कबीर जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी को समृद्ध किया। बाद में घाघ, भड्डरी, दरियादास, भीखा साहब, गुलाल साहब सहित ऐसे ही अन्य कई रचनाकारों का नाम इस सूची में जुड़ा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि खड़ी हिंदी को धार देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भोजपुरी में रचनाएँ की हैं। बीसवीं सदी में भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र से लेकर अवध बिहारी सुमन उर्फ दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती, रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद सिंह, मोती बीए, रामेश्वर सिंह काश्यप, अंबिका दत्त त्रिपाठी 'व्यास', विश्वनाथ प्रसाद 'शैदा', आचार्य गणेश दत्त 'किरण', गोरख पांडेय सहित ऐसे ही दर्जनों नामचीन रचनाकारों ने भोजपुरी में साहित्य-सर्जना की। हिंदी साहित्य जगत में अपने लेखन का डंका बजा चुके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शिवपूजन सहाय, रामनरेश त्रिपाठी, डॉ. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पं. विद्यानिवास मिश्र, डॉ. नामवर सिंह, मैनेजर पांडेय, केदारनाथ सिंह, डॉ. विवेकी राय जैसे साहित्यकारों ने भी भोजपुरी में रचनाएँ की हैं। इनके अलावा भी बहुत-से ऐसे नाम हैं, जिनका भोजपुरी साहित्य के विकास में अहम योगदान रहा है। स्थानाभाव के कारण सबों का नाम यहाँ सम्मिलित करना संभव नहीं है।

सांस्कृतिक रूप से भी भोजपुरी का पक्ष काफी मजबूत है। लोकगीतों में भोजपुरी संस्कृति का राग-रंग साफ-साफ दिखता है। बारहमासा, सोहर, झूमर, कजरी, पूरबी, फगुआ, बिरहा, चैता, कहंरवा, जंतसार, निर्गुण, विवाह के गीत, रोपनी के गीत, सोहनी के गीत, कटनी के गीत, छठ पूजा के गीत सहित

लोकगीतों का अथाह भंडार है भोजपुरी में। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि इन गीतों की गूँज भोजपुरांचल से बाहर भी सुनाई पड़ती है। फिल्मों ने भोजपुरी संस्कृति को नया विस्तार दिया। 1961 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रेरणा से पहली भोजपुरी फिल्म 'गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो' का निर्माण हुआ। इसके बाद भोजपुरी फिल्मों का कारवाँ लगातार आगे बढ़ता गया। 21वीं सदी की शुरुआत में भोजपुरी फिल्म जगत में नई क्रांति आई, जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। भोजपुरी फिल्में सफलता की गारंटी बन गईं। भोजपुरी में बनने वाली फिल्में एक साथ देश के चौदह राज्यों में रिलीज होती हैं। इससे यह साबित होता है कि भोजपुरी से नेह-छोह रखने वालों की तादाद करोड़ों में है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार भी भोजपुरी के मोहपाश में बँधने से नहीं चूके। महानायक अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रवि किशन, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, नगमा, भाग्य श्री, शक्ति कपूर, रजा मुराद, परेश रावल, असरानी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है।

4. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पक्ष–शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी भोजपुरी कमतर नहीं है। देश के कई विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है। बिहार के आरा स्थित वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय में एमए तक भोजपुरी की पढ़ाई होती है। छात्र भोजपुरी में पी-एच.डी. भी करते हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में बी.ए. तक भोजपुरी की पढ़ाई होती है। यहाँ भी भोजपुरी में शोध कार्य होते हैं। छपरा के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के कई अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीए तक भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है। पटना स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में भी पत्राचार के माध्यम से भोजपुरी की पढ़ाई होती है। यूपी के बनारस में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी में पीजी डिप्लोमा और अंशकालिक डिप्लोमा के साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने भोजपुरी में बारहवीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया है। एससीईआरटी, बिहार द्वारा भी कक्षा चार से सात तक के विद्यार्थियों के लिए भोजपुरी में पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

अभी तक भोजपुरी में हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यही नहीं, भोजपुरी में फिलहाल करीब 100 पत्र-पत्रिकाएँ देश के विभिन्न हिस्सों से निकल रही हैं। इनमें साहित्य, राजनीति, समाज, संस्कृति पर आधारित पत्र-पत्रिकाएँ शामिल हैं। वहीं भोजपुरी में फिल्मी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हो रहा है। इन पत्र-पत्रिकाओं का बड़ा पाठक वर्ग है। हालाँकि, सांविधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण भोजपुरी का व्यावसायिक महत्व भी प्रभावित हो रहा है।

5. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पक्ष–भोजपुरी सिर्फ बिहार और यूपी में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के एक-चौथाई हिस्से की संस्कृति है। जीवन है। इसका दायरा देश ही नहीं, देश के बाहर तक पसरा हुआ है। अपने देश में असम से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के कच्छ तक भोजपुरी की गूँज सुनाई पड़ती है। कई राज्यों में भोजपुरीभाषी लोग राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में काफी प्रभावशाली हैं। वैसे तो भोजपुरी भाषियों की गिनती से संबंधित कोई स्पष्ट आँकड़ा नहीं है, बावजूद इसके, विद्वानों का मानना है कि देश-विदेश में लगभग बीस करोड़ से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं। मॉरीशस, सूरीनाम, ब्रिटिश गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फीजी, नीदरलैंड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं। जानकारों की मानें, तो दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा हो जहाँ भोजपुरीभाषी नहीं रहते हों। अपने श्रम और सामर्थ्य के लिए ख्यात भोजपुरीभाषी लोग कभी गिरमिटिया मजदूर बनकर ब्रिटिश उपनिवेश के विभिन्न देशों में गए और कालांतर में वहाँ की तकदीर बन गए। हालाँकि, यह भोजपुरीभाषियों की खासियत है कि वे दुनिया के किसी कोने में रहें, अपनी बोली-बानी, खान-पान, परंपरा और संस्कृति को नहीं भुलाते। यही वजह है कि विदेशों में रहने के बावजूद भोजपुरी से उनके लगाव में कोई कमी नहीं हुई और इसी के दम पर देश के बाहर भोजपुरी की अच्छी-खासी धमक बनी हुई है। मॉरीशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो सहित कुछ अन्य देशों में भोजपुरीभाषी सत्ता के शीर्ष पर हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भोजपुरीभाषी लोगों की न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हनक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा चिकित्सा विज्ञान

में भी भोजपुरी भाषी अपनी काबिलियत का परचम लहरा रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिगो के एक भोजपुरीभाषी पायलट का एक वीडियो वायरल हुआ, जो पूरी दुनिया में सराहा गया। हाँ, एक बात और याद आई, बिहार के बक्सर जिले के चुरामनपुर गाँव के रहनिहार अखौरी नारायण सिन्हा के नाम पर दक्षिण अमेरिका से सटे अंटार्कटिका क्षेत्र में एक पहाड़ का नामकरण किया गया है। सिन्हा फिलहाल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। यह भोजपुरियों के अतुलनीय श्रम और अप्रतिम मेधा की एक हालिया नजीर भर है। हालाँकि, ऐसे ढेर सारे नाम हैं, जिनसे भोजपुरी की शान बढ़ती है। लेकिन, सबों का जिक्र यहाँ संभव नहीं है और न ही युक्तिसंगत जान पड़ता है।

6. भोजपुरी अकादमी–बिहार सरकार ने भोजपुरी के विकास के लिए वर्ष 1978 में भोजपुरी अकादमी की स्थापना की। इसके लिए बिहार विधानसभा में बाकायदा एक अधिनियम पारित किया गया। अकादमी ने अभी तक भोजपुरी में पचास से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इसके अलावा, अकादमी की ओर से भोजपुरी के विकास के लिए समय-समय पर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित यह अकादमी अपने स्तर से भोजपुरी के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएँ हैं।

7. आज देश में तीन प्रदेशों यथा–बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सरकारी भोजपुरी अकादमियाँ कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी अकादमी बनाने की घोषणा हुई, लेकिन वह फाइलों में ही है। क्या यह दुख की बात नहीं है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 1948 में भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के गोपालगंज अधिवेशन में यह बात पुरजोर तरीके से उठाई थी कि भोजपुरी को पठन-पाठन का माध्यम बनाया जाए, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात! राहुल सांकृत्यायन के सपने धरे-के-धरे रह गए।

लब्बोलुआब यह कि जब तक भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक इसका उचित विकास नहीं हो पाएगा। यह करीब बीस करोड़ भोजपुरियों की भावना से, उनके भविष्य से जुड़ा मसला है। लंबे अरसे से भोजपुरीभाषी

इसकी माँग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। यह सुखद संयोग है कि आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं भोजपुरीभाषी संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, देश के रक्षा मंत्री के पद पर एक खाँटी भोजपुरिया आसीन है। ऐसे में भोजपुरी भाषियों को काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी, भोजपुरी हमारी माँ है, जिसके ढेर सारे एहसान हैं हम सबों पर। लिहाजा, भोजपुरी की बीस करोड़ संतानें इसकी अपेक्षा करते हैं कि उनकी मनोभावनाओं को सरकार समझेगी और भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा देगी। यदि ऐसा हुआ, तो यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, जिसके लिए भोजपुरीभाषी सरकार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन, सनद रहे कि बहुत देर हो चुकी है। अब और देर मंजूर नहीं...आखिर हमारी मातृभाषा का सवाल जो है!

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता क्यों मिलनी चाहिए? भोजपुरी का मेरिट क्या है? भोजपुरी की मान्यता के लिए अब तक क्या प्रयास हुए हैं, कौन-सी बाधाएँ हैं, समाधान क्या है? इन सारे प्रसंगों की पड़ताल करती हुई अजीत दुबे जी की यह पुस्तक समस्याओं को तो सामने रखती ही है, उनका मुकम्मल समाधान भी हमें बताती है। लिहाजा, यह पुस्तक एक हैंडबुक की तरह है। इस अहद में जब लोक और संविधान के द्वंद्व में फँसी भोजपुरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, ऐसे में यह पुस्तक भोजपुरी की महत्ता और उसके गुणधर्म को दर्शाती हुई इस बात को जोरदार तरीके से स्थापित करती है कि भोजपुरी करीब 13 सौ साल पुरानी भाषा है, इसका विस्तार समंदर पार तक, दुनिया के कई देशों तक है। लिहाजा, हमारे सियासी रहनुमाओं को भोजपुरी पर 'रहम' करनी चाहिए।

नई दिल्ली; 1 जनवरी, 2022 — **देवेंद्र नाथ तिवारी**

सोपान—एक : सवाल

भाषा के प्रश्न पर सरकार का रवैया साफ नहीं

अब राज्यसभा की कार्यवाही आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में दर्ज की जाएगी। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व में सदन की कार्यवाही महज 17 भाषाओं में ही दर्ज होती थी। हाल ही में राज्यसभा सभापति से प्राप्त निर्देश के आधार पर संथाली, कोंकणी, डोगरी, कश्मीरी और सिंधी अनुवादकों की नियुक्ति हुई है। यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन आज भी भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी जैसी भाषाएँ संसदीय कार्यवाही से बहिष्कृत हैं। 16वीं लोकसभा में जब भोजपुरीभाषी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी में शपथ लेना चाहा तो उन्हें इजाजत नहीं मिली। इससे पहले, सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जब भोजपुरी में पद और गोपनीयता की शपथ लेने की कोशिश की थी तो उन्हें भी निराशा ही मिली।

देश में संविधान के स्तर पर आठवीं अनुसूची का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं में भाषाओं को लेकर भिन्न-भिन्न स्थिति है। संघ लोकसेवा आयोग में आठवीं अनुसूची के अतिरिक्त अन्य दो भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक जो भारतीय मुद्रा तैयार करता है, उस पर केवल 15 भाषाओं को ही दर्ज किया जाता है। भारत सरकार की ही संस्था, साहित्य अकादेमी आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी को भी मान्यता देती है। इस साल सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को ही स्थान दिया था। सीबीएसई द्वारा 17 भाषाओं को हटाने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसकी

आलोचना की है।

उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में जब संस्कृत वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी तो अनुच्छेद 351 के तहत उसे विशेष भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान सभा ने उसे इसलिए खास माना, क्योंकि वह हिंदी सहित कई भाषाओं की जननी भाषा है। हालाँकि, शास्त्रीय भाषा के अब तक के इतिहास में 20वीं सदी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि उस दौर में कुछ विद्वानों ने संगम काल की तमिल कविताओं के आधार पर तमिल को भी विशेष दर्जा देने की माँग शुरू की थी।

आखिरकार, साहित्य अकादेमी जैसी संस्थाओं की सलाह के मद्देनजर वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वर्ष 2005 में तमिल यह दर्जा हासिल करने वाली दूसरी भाषा बनी। भविष्य में कोई विवाद न हो, इसलिए वर्ष 2006 में राज्यसभा में सरकार ने किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के ठोस आधार तय कर दिए। इनके मुताबिक, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा माने जाने के लिए जरूरी है कि उसका कम-से-कम 1500-2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, उसके साहित्य ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और उसकी साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो।

ध्यान रहे, मसला केवल किसी भाषा को इस सूची में जोड़ने या हटाने का नहीं है। मूल सवाल यह है कि भाषा के प्रश्न पर सरकार आखिर इतनी कंफ्यूज क्यों है। रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा पर केवल 15 भाषाओं को ही क्यों दर्ज करता है? साहित्य अकादेमी आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा दो अन्य भाषाओं को आखिर किस आधार पर मंजूरी देती है? भाषा के साथ ऐसा मजाक तो किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता!

सरकार की इस भ्रमित और ढुलमुल नीति का खामियाजा उन भाषाओं को भुगतना पड़ रहा है जो तेजी से विकसित हो रही हैं। उनमें से भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जिसका सर्वाधिक वैश्विक विकास हो रहा है। फिर भी, भोजपुरीभाषियों के साथ हकमारी की जा रही है। वह भी एक ऐसे दौर में, जब केंद्र में ऐसी पार्टी सत्तारूढ़ है, जो हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। ध्यान

रहे, मैथिली, संथाली, बोडो और कोंकणी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। अब समय आ गया है कि सरकार भाषा के सवाल पर अपनी नीतियों की विसंगतियाँ दूर करे और भोजपुरी जैसी भाषाओं के साथ हो रही नाइंसाफी खत्म करे।

नवभारत टाइम्स, 1 अगस्त, 2011

एक भाषा का संघर्ष

अभी हाल में ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने बिहार में साढ़े चार हजार से ऊपर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। उसमें मैथिली भाषा के लिए तैंतालिस, अंगिका के लिए चार और भोजपुरी के लिए महज दो सीटों पर आवेदन माँगे गए हैं। भोजपुरी न सिर्फ बिहार की सबसे बड़ी भाषा है, बल्कि यह हिंदी की भी सबसे बड़ी सह-भाषा है। भोजपुरी को पूरी दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। बिहार की कुल आबादी में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसी पृष्ठभूमि में भोजपुरी को लेकर चिंताएँ गहरी होती जा रही हैं। मॉरीशस सरकार ने 2011 में भोजपुरी भाषा को मान्यता देते हुए वहाँ के सभी ढाई सौ सरकारी स्कूलों में इसके पठन-पाठन की व्यवस्था की है। मोदी सरकार की पहल पर ही एक सौ साठ और देशों के समर्थन से भोजपुरी 'गीत गवनई' को दिसंबर, 2016 से विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। पड़ोसी देश नेपाल में भी भोजपुरी प्राथमिक स्तर से पढ़ाई जा रही है। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि इतने बड़े जनसमुदाय की भाषा भोजपुरी की उच्च शिक्षा के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ दो सहायक प्राध्यापकों को होगी।

बीते दिनों केंद्र की मौजूदा सरकार ने जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, उसमें पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। वहीं विदेशी भाषाओं की पढ़ाई माध्यमिक स्तर से होगी। यह

नीति 'लोकल के लिए वोकल', 'आत्मनिर्भरता' और 'भारतीयता' पर आधारित शिक्षा देने के लक्ष्यों के साथ बनी है। मगर हम भोजपुरी, राजस्थानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं। हाल ही में, बिहार के चंपारण में एक ई-शिलान्यास आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने भोजपुरी में ही अपने संबोधन की शुरुआत की। ऐसा वे पहले भी करते रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय (वेंकैया नायडू) ने भी कहा था—भाषायी विविधता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसको बचाकर रखने में ही सबकी भलाई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को लेकर स्पष्टता की कमी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी और दूसरी तरफ वह भाषाओं के विकास को आठवीं अनुसूची से जोड़कर देख रही है।

ऐसे में यह विचारणीय तथ्य है कि दोनों का एक साथ विकास भला कैसे संभव है? मातृभाषा अगर आठवीं अनुसूची के आधार पर तय होने लगेगी, तो उन भाषाओं के साथ छल और गहरा हो जाएगा, जो केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और उपेक्षा के कारण अभी तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। महात्मा गांधी मानते थे कि मातृभाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने मूल परिवेश में ही भोजपुरी भारत सरकार की उपेक्षा की शिकार है। गौरतलब है कि 2017 में बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता के लिए केंद्र को भेजे गए अनुशंसा प्रस्ताव पर किसी कार्यवाही की कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है।

भूमंडलीकरण के इस दौर में विश्व के अनेक देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाने वाली एक भाषा का नाम है भोजपुरी। भाषा-वैज्ञानिक, प्रोफेसर जी.एन. देवी भोजपुरी को विश्व में 'सबसे तेजी से बढ़ती भाषा' के तौर पर देख रहे हैं। इसके पास समृद्ध, गरिमामयी और श्रेष्ठ साहित्य की एक परंपरा है। यह पहले कैथी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन व्यापक राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भोजपुरी ने अपनी लिपि के तौर पर देवनागरी को स्वीकार कर लिया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि भोजपुरी का पहला व्याकरण, हिंदी व्याकरण के

काफी पहले तैयार कर लिया गया था। भोजपुरी आज बिहार, उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। मॉरीशस के ढाई सौ हाई स्कूलों और नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय में भी इसकी पढ़ाई कराई जाती है। दुनिया के कई नामचीन विश्वविद्यालयों में भोजपुरी को लेकर उत्कृष्ट शोध हो रहे हैं।

विडंबना यह है कि आजादी के बाद कितने ही आश्वासन भोजपुरी को मान्यता के संबंध में मिले, लेकिन कोई फलीभूत नहीं हुआ। इस पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं है कि भोजपुरी एक भाषा के तौर पर आज बेहद सशक्त और समृद्ध है। भोजपुरिया समुदाय अपनी मातृभाषा के प्रति सजगता जाहिर करता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसे सुरक्षित सौंपना चाहता है। वह चाहता है कि उसके अधिकारों को सुना जाए और उसकी मातृभाषा के अस्मिता बोध को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जगह मिले। 20 करोड़ भोजपुरीभाषी मौजूदा सरकार की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि उनकी भाषा को आठवीं अनुसूची में कब शामिल कर सम्मानित किया जाएगा। उनके बच्चे आखिर कब मातृभाषा में शिक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे।

जनसत्ता, 20 अक्तूबर, 2020

समग्र दर्शन और भावभूमि की अभिव्यक्ति कराती है—'भोजपुरी'

भोजपुरी में अद्‌भुत संप्रेषणीय क्षमता है। इसमें अद्‌भुत प्राकट्य शक्ति है। दुनिया के दो दर्जन से अधिक देशों की 20 करोड़ से अधिक आबादी इसी भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। भारत की आत्मिक चेतना इसी में पलती और बढ़ती है। ऐसी सशक्त भाषा को अभी भी अपने ही देश में मान्यता के लिए यदि संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर कहने को कुछ शेष रह नहीं जाता।

2010 में भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने भाषण में भोजपुरी की महिमा का बखान किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि भोजपुरी केवल भाषा नहीं, दर्शन भी है। इसमें 'मैं' नहीं होता, बल्कि 'हम' होता है, जो सामूहिकता का बोध कराता है। भोजपुरी एक परिष्कृत जीवन-शैली भी है।

दूसरे देशों ने इसे मान्यता दे दी, लेकिन अपने देश में अब तक भोजपुरी उपेक्षित है। सड़क से लेकर संसद तक अपनी इस माँग को लेकर भोजपुरीभाषियों ने अपनी आवाज उठा रखी है। कई बार सरकारों ने इस बाबत आश्वासन भी दिया, बहसें हुईं, लेकिन नतीजा सिफर। इस बीच, भोजपुरीभाषियों से कम संख्याबल वाले संथाली, बोडो, डोगरी तथा मैथिली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म न हुआ। कभी

बोली-भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर, तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरीभाषियों की माँग पूरी नहीं होने दी गई। झारखंड सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया, भारत से अलग मॉरीशस की पहल पर 'यूनेस्को' ने भोजपुरी संस्कृति के 'गीत गवनई' को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, लेकिन केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन तो किया, लेकिन भाषा को सांविधानिक दर्जा कब मिलेगा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। 1967 से संघर्ष जारी है। 1969 से लेकर अब तक संसद में इसे लेकर 19 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं, पाँच बार सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सरकार ने बिल पेश नहीं किया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में भोजपुरी बोलने वाले मिल जाएँगे। विश्व में करीब 8 देश ऐसे हैं, जहाँ भोजपुरी धड़ल्ले से बोली और सुनी जाती है। नेपाल में 1.7 मिलियन लोग भोजपुरी बोलते हैं और यह वहा नेपाली भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। मॉरीशस में 3,36,000 लोग भोजपुरी बोलते हैं। जून 2011 में मॉरीशस की संसद में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वहाँ के स्कूलों-मीडिया में भी इस भाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसी तरह, भोजपुरी फीजी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यहाँ भोजपुरी को फीजियन हिंदी या फीजियन हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। सूरीनाम में भी भोजपुरी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। गुयाना में भोजपुरी बोले जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ के भारतीय मूल के निवासी हैं।

भोजपुरी सिनेमा की गुणवत्ता को लेकर आलोचक कुछ भी क्यों न कहें, लेकिन छोटे-बड़े पर्दे पर भोजपुरी का क्षेत्र व्यापक है। एक अनुमान के मुताबिक, करीब 150 से अधिक भोजपुरी वेबसाइट इस समय उपलब्ध हैं, तो सिनेमा इंडस्ट्री करीब 2,000 करोड़ रुपये की हो गई है। टीवी के 52 चैनल सिर्फ भोजपुरी के ही हैं। यह सब केवल बानगी भर हैं। कहना तो यह है कि दुनिया के बाजार में जिस भाषा का डंका बज रहा है वह भाषा अपने देश में ही अपनी मान्यता हेतु संघर्ष कर रही है, यह दुखद है।

नवोदय टाइम्स, 21 फरवरी, 2021

लोकभाषाओं की अस्मिता का सवाल

अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2016 परिणाम घोषित किया। इसमें मैथिली भाषा से परीक्षा में शामिल 13 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। चयनित छात्रों में बिहार के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी छात्र हैं। यूपी के अर्चित विश्वेश, हरियाणा के अंकित भारद्वाज, राजस्थान के सतपाल और नीलिमा खोरवाल ने मैथिली भाषी या मिथिला निवासी नहीं होकर भी इस विषय को चुना और कामयाब रहे। 2004 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हुई मैथिली आज इस मुकाम तक पहुँच गई है, जहाँ से वह सिविल सेवकों की फौज तैयार कर रही है। यूपीएससी की परीक्षा ने मैथिली को नयी ऊँचाइयाँ दी है। कहना न होगा कि मैथिली को सांविधानिक मान्यता हेतु तमाम मैथिल अभियानियों ने अथक प्रयास किए हैं। अब यह प्रयास रंग ला रहा है। लेकिन यूपीएससी के इस परिणाम से चंद छद्‍म हिंदीसेवी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वे इसे हिंदी की सार्वभौमिकता के प्रति खतरे के रूप में देख रहे हैं। मैथिली के प्रति इतना दुराग्रह है कि वे हिंदी के सिलेबस से मैथिली के महाकवि विद्यापति को बाहर करने की माँग कर रहे हैं। वे ये भूल रहे हैं कि हिंदी का अस्तित्व तभी तक है जब तक क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व जिंदा है। पिछले हफ्ते इसी आशय का एक आलेख ‘मैथिली को हिंदी में सेंध लगाने का हक क्यों’ एक अखबार के अंक में प्रकाशित हुआ। लेखक अमरनाथ का यह आलेख उनकी अज्ञानता व पूर्वाग्रह का प्रतीक है। वे शायद ही इस तथ्य से परिचित हों कि मैथिली की प्रथम पुस्तक

1224 की 'वर्णरत्नाकर' है, विद्यापति से 100 वर्ष पहले का विश्वकोश। विद्यापति को हिंदी का आदिकवि साबित करने की कोशिश की जाती है, जबकि वे हिंदी के कवि हैं ही नहीं। जिनको भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति का ज्ञान नहीं है वे ही ऐसे विक्षिप्त भाषण कर सकते हैं। हिंदी के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले ऐसे तथाकथित हिंदीप्रेमी राजभाषा हिंदी के प्रति विद्वेष को भी वे जन्म दे रहे हैं जिसे अंग्रेजी का स्थान लेना है, न कि मातृभाषाओं का।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था—प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। लेकिन यह अब तक हो नहीं सका है। अंग्रेजी का दबदबा अब तक कायम है और अंग्रेजी की भाषायी औपनिवेश को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल पा रही है। उलटे, अब ये हो रहा है कि हिंदी को भोजपुरी, मैथिली जैसी लोकभाषाओं के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की राजनीति को भी चिह्नित किया जाना आवश्यक है। हमें लगता है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए। अब वक्त आ गया है कि भाषा संबंधी ठोस नीति बने और उसको बगैर किसी सियासत के लागू किया जाए।

ध्यातव्य है कि इस बार कर्नाटक की नंदिनी के. आर. इस परीक्षा (यूपीएससी) में अव्वल रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली नंदिनी ने सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय के तौर पर कन्नड़ साहित्य लिया था। हालाँकि, उन्होंने बेंगलुरू के एमएस रमैया तकनीकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री भी ली हुई है। यहाँ एक उद्धरण देना उचित लगता है। पिछले साल, सिविल सेवा परीक्षा में मैथिली साहित्य को वैकल्पिक विषय लेकर चयनित अधिकारियों को अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा आयोजित मैथिल मनीषी महोत्सव में सम्मानित किया गया। चयनित अधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि मैथिली साहित्य की समृद्ध परंपरा की बदौलत वे लोग इस मुकाम तक पहुँच सके। यह संदर्भ इसलिए मायने रखता है कि यदि भोजपुरी को भी उसका वास्तविक दर्जा मिल गया होता तो आज भोजपुरी भाषा वाले भी अपने को गौरवान्वित पाते। लोक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से सफलता अर्जित करने वालों की बढ़ती संख्या से एक ओर जहाँ भोजपुरी

भाषी आशान्वित हैं तो वहीं हिंदी के कुछ स्वघोषित मठाधीश भोजपुरी व हिंदी के बीच छद्म दुराव का राग अलापने लगे हैं। इनके द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर होगी। अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि भोजपुरी की मान्यता से हिंदी को कोई खतरा नहीं है। यह एक बड़े जनमानस के स्वाभिमान व अस्मिता का प्रश्न है, इससे हिंदी कहीं से विखंडित नहीं होने वाली है। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार केदारनाथ सिंह बेहिचक यह स्वीकार करते हैं कि भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को। उनकी यह स्वीकारोक्ति एकदम सटीक प्रतीत होती है। हिंदी-भोजपुरी के पारस्परिक संबंध को ऐसे समझा जाए कि हिंदी गंगा है और भोजपुरी जैसी अन्य लोकभाषाएँ सहायक नदी हैं, जिनसे जल लेकर गंगा को अपना असली वैभव प्राप्त होता है। दुःखद है कि 1000 साल से भी पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली और भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी को हिंदी के कुछ स्वनामधन्य पैरोकारों द्वारा 'बोली' कहकर नकारा जा रहा है। जबकि यह तथ्य सर्वविदित है कि हिंदी का इतिहास महज डेढ़-दो सौ साल पुराना ही है।

भारतीय सभ्यता में भाषा को माता का स्वरूप माना जाता है। शिक्षा के माध्यम को लेकर आये दिन कई बहसें होती रहती हैं, जिसमें से अधिकांश निरर्थक होती हैं। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और उसका सौभाग्य भी। इसी के चलते भारत के कई राज्यों में भाषा बचाओ आंदोलन प्रायः होते रहते हैं। सोचिए, यदि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिल गया होता तो भोजपुरी भाषी छात्रों को कितना लाभ हो सकता था! भोजपुरी विषय का भी परचम आज लहरा रहा होता और भोजपुरी क्षेत्र के नौजवानों को अपनी इस मातृभाषा पर गर्व होता। केंद्र की वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास को अपना ध्येय वाक्य मानती है। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार में शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गए आश्वासनों के बावजूद भोजपुरी अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है। नतीजतन, सिविल सर्विसेज सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भोजपुरी

भाषी छात्रों को वैकल्पिक विषय, विषय के रूप में भोजपुरी के चयन का विकल्प नहीं मिलता रहा है। परिणामतः, इसका सीधा असर उनकी सफलता पर पड़ रहा है। जरूरत है इस अवसर पर सरकारी तौर पर संजीदगी की, ताकि भोजपुरी भी उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़े सके।

अपना भारत, 3 अगस्त, 2017

आठवीं अनुसूची से क्यों दूर है भोजपुरी

'भोजपुरी हमार माँ' मूलमंत्र था 29-30 अगस्त 2009 को मॉरीशस में संपन्न हुए विश्व भोजपुरी सम्मेलन का, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ ने किया। उनकी एक ऐतिहासिक घोषणा, कि 'प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने मॉरीशस की संसद में विधेयक पेश किया है कि अंग्रेजी और क्रियोल की भाँति भोजपुरी भी राजकीय भाषा होगी' ने उपस्थित 16 देशों के प्रतिनिधियों के मन में अपार गर्व और गौरव का बोध कराया। जहाँ एक तरफ विदेशों में भोजपुरी को इतना सम्मान मिल रहा है, वहीं भारत में आज भी यह समुचित मान्यता से वंचित है।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी। साथ ही, यह भी व्यवस्था की कि सरकार का यह दायित्व होगा कि वह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करे। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शुरू में शामिल किया गया। वर्ष 1967 में संविधान के इक्कीसवें संशोधन द्वारा सिंधी को लोगों की माँग के आधार पर आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी तरह, संविधान के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इन भाषाओं को शामिल करने के पीछे भी वही कारण बताया गया कि यह लोगों की माँग थी। ऐसी ही जोरदार माँग भोजपुरी के लिए भी होती रही है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं जा सका है। सिंधी और नेपाली को किसी भी भारतीय

राज्य की भाषा न होते हुए भी शामिल किया गया, लेकिन देश-विदेश में बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली और समृद्ध साहित्य वाली भोजपुरी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बोलने वालों की संख्या को ध्यान में रखा जाए तो उपरोक्त आठ भाषाएँ भोजपुरी के आगे कहीं भी नहीं ठहरती हैं। इन आठों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 2001 की जनगणना के मुताबिक लगभग 3 करोड़ है, जबकि अकेले भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 18 करोड़ से अधिक है। यदि बोलने वालों की संख्या की अपेक्षा माँग ही अहम है तो यह माँग भोजपुरी-भाषियों द्वारा भी लगातार होती रही है।

भोजपुरी एक व्यापक और समृद्ध भाषा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरंभ से ही यह भाषा स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम में शामिल रही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वहाँ भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में यह आज भी पढ़ाई जाती है।

गुलाम भारत में अंग्रेजों ने तो इसे आदर और सम्मान दिया, लेकिन आजादी के बाद देसी सरकार से इसे उपेक्षा और तिरस्कार के तीखे दंश ही सहने पड़ रहे हैं। गांधीवादी होने का दावा करने वाले दलों और सरकारों के लिए 'स्वदेशी' का कोई महत्व नहीं रह गया है। चाहे वह तकनीकी हो या संस्कृति, परंपरा हो या शिक्षा-पद्धति या 'भाषा' ही क्यों न हो। अन्यथा क्या कारण है कि मात्र 10 वर्षों के लिए काम-काज की भाषा के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी आज भी हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के सिर पर सवार है। भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006 में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने लोकसभा को बताया था कि केंद्र सरकार भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है।

इससे दो साल पूर्व, गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने सदन को आश्वासन दिया था कि भोजपुरी को जल्द ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। जायसवाल ने वर्ष 2007 में भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च अधिकार संपन्न एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1998

में रिपोर्ट दे दी थी। उक्त समिति ने आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानदंडों की अनुशंसा की थी। पहला, वह भाषा राज्य की राजभाषा हो, दूसरा, राज्य विशेष की आबादी के बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती हो, तीसरा, साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यता प्राप्त हो और चौथा, इसका समृद्ध साहित्य हो। उपरोक्त मानदंडों पर भोजपुरी अन्य आठ भाषाओं की अपेक्षा अधिक खरी उतरती है। भोजपुरी में कई महान साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अनेक कालजयी साहित्य की रचना की है। हिंदी भाषा के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके बाद प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य कई समकालीन साहित्यकार भोजपुरी क्षेत्र से आए हैं, जिनके लिए भोजपुरी ने प्रेरणास्रोत के रूप में काम किया है। भिखारी ठाकुर को तो 'भोजपुरी का शेक्सपियर' कहा जाता है।

भोजपुरी के साथ कुछ अन्य भाषाओं के लिए भी माँग उठती रही है। इसके विरोध में यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि बहुत-सी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया तो रिजर्व बैंक के लिए उन सभी भाषाओं को नोट पर छापना असंभव हो जाएगा, क्योंकि नोट पर इतनी जगह नहीं है। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग भी पर्याप्त मूलभूत सुविधा के अभाव में आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में परीक्षा लेने में समर्थ नहीं है। ये दोनों कारण तर्कसंगत नहीं हैं। न तो आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं का नोट पर छापना अनिवार्य है और न ही सभी भाषाओं में परीक्षा लेना। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देना समीचीन होगा। प्रारंभ में, अमेरिका में 13 राज्य थे। उनके प्रतीक रूप में अमेरिकी झंडे में 13 धारियाँ बनायी गईं, जो कि उनके प्राचीन गौरव का प्रतीक है। कालांतर में, वहाँ राज्यों की संख्या बढ़ती गई, जिनके प्रतीकस्वरूप झंडे में सितारों को दर्शाया गया और इस तरह वर्तमान में कुल 50 राज्यों के लिए 50 तारे अमेरिकी झंडे में शोभायमान हैं।

इस तरह, मूल और नए राज्य, दोनों को समुचित प्रतीक के रूप में झंडे में दर्शाया गया है। रिजर्व बैंक और संघ लोक सेवा आयोग की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिकी झंडे के उदाहरण को ध्यान में रखा जा सकता है, यानी नोटों पर केवल प्रारंभिक 14 भाषाओं में ही लिखा जा सकता है

और बाद में शामिल की गई भाषाओं को किसी संकेत के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी तरह, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। एक दूसरा विकल्प भी सोचा जा सकता है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर 10 बड़ी भाषाओं का नाम ही नोटों पर लिखा जाए और अन्य भाषाओं को किसी संकेत के रूप में दिखाया जाए। संघ लोक सेवा आयोग भी केवल 10 बड़ी भाषाओं को ही परीक्षा का माध्यम बनाने की व्यवस्था रखे और अन्य भाषाओं को विकल्प के रूप में मान्यता दे दे। इस तरह, रिजर्व बैंक और संघ लोक सेवा आयोग की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन केवल इसी समस्या के नाम पर भोजपुरी भाषा का विरोध करना या आठवीं अनुसूची से वंचित रखना बिलकुल न्यायोचित नहीं है।

दैनिक जागरण, 20 नवंबर, 2009

भोजपुरी को चाहिए सांविधानिक मान्यता

हाल ही में संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के संबंध में दिये गए फैसले का अनुपालन करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में यह हलफनामा दिया है कि सिविल सेवा की परीक्षा में उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में साक्षात्कार दे सकते हैं। भारतीय भाषाओं और उनके बोलने वालों के लिए यह अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। यूपीएससी की यह पहल स्वागत योग्य है। निस्संदेह, इस फैसले से भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यही नहीं, अपनी मातृभाषा के माध्यम से साक्षात्कार देने में उम्मीदवारों को सहूलियत भी होगी। परंतु इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब भोजपुरी-भाषी समाज पर नजर जाती है तो हृदय में एक कसक-सी होती है। भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा दिए जाने की माँग उठती रही है। हाल ही में एक बार फिर से संसद में यह माँग उठी।

हर वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में भोजपुरी-भाषी उम्मीदवार भी भारी संख्या में शामिल होते हैं, परंतु वे अपनी मातृभाषा भोजपुरी में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दे पाने के इस अवसर से वंचित हैं। यह स्थिति भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा प्राप्त न होने की वजह से है। नियमानुसार, यूपीएससी की परीक्षा में केवल सांविधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषा एवं अंग्रेजी ही माध्यम बन सकती हैं। इस हिसाब से भोजपुरी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इस देश की यह विडंबना है कि नेपाली और सिंधी, जो कि भारतीय मूल की

भाषाएँ नहीं हैं, में भी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दिया जा सकता है, परंतु भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का माध्यम नहीं बन सकती है। यह भोजपुरी-भाषी उम्मीदवारों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। क्या उन्हें भी यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में अपनी मातृभाषा के माध्यम से लिखित परीक्षा व साक्षात्कार देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? यह केवल तभी संभव होगा जब भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर उसे सांविधानिक मान्यता दे दी जाए।

मॉरीशस जैसे देश में 14 जून, 2011 को भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई और भोजपुरी अब वहाँ की राष्ट्रीय भाषा बन गई, पर दुनिया भर के 16 देशों में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली लगभग एक हजार साल पुरानी भाषा भोजपुरी को आज भारत में सांविधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। भोजपुरी के पास अपना समृद्ध साहित्य, अपार शैक्षणिक सामर्थ्य, एक समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत विद्यमान है, लेकिन वह अपने ही देश में सरकारी उपेक्षा की शिकार है।

गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से किसी भी लिहाज से कम समृद्ध नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल प्रारंभिक 14 भाषाओं के अलावा, कालांतर में जिन अन्य आठ भाषाओं—सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को इस अनुसूची में शामिल किया गया है, वे सभी बोली और समृद्ध साहित्य के मानदंडों पर भोजपुरी के समक्ष नहीं ठहरतीं। अगर केवल बोलने वालों की संख्या के लिहाज से ही देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार, इन आठ भाषाओं को बोलने वालों की कुल संख्या केवल 3 करोड़, 16 लाख, 44 हजार, 743 है, जबकि आज भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है।

आज देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े खुला विश्वविद्यालय, 'इग्नू' में इसका फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मैथिली-भोजपुरी अकादमी तथा बिहार सरकार

ने भोजपुरी अकादमी की स्थापना कर भोजपुरी भाषा, कला व संस्कृति को नए आयाम प्रदान करने के साथ-साथ इन्हें नई पहचान भी दी है। मूल रूप से भोजपुरी/पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला महापर्व छठ आज धीरे-धीरे संपूर्ण भारत में अति उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगा है। यह भोजपुरी/पूर्वांचल की संस्कृति की व्यापकता का परिचायक है। केंद्र व दिल्ली सरकार के कार्यालयों में छठ के अवसर पर वैकल्पिक अवकाश दिया जाने लगा है। इससे इस पर्व को सरकार द्वारा एक पहचान व मान्यता प्राप्त होती है।

भोजपुरी की उपयोगिता एवं बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब अपने विज्ञापन भोजपुरी में भी बनाने लगी हैं। भोजपुरी टीवी चैनलों पर आने वाले विज्ञापन एवं भोजपुरी इलाकों में जगह-जगह पर लगाए जा रहे बोर्ड एवं होर्डिंग्स इसके साक्षात गवाह हैं। 'महुआ' और 'हमार टीवी' जैसे भोजपुरी चैनलों ने भोजपुरी को देश-विदेश में फैलाने में महती भूमिका अदा की है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दे रही है, जो लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी बनी है।

ऐसा नहीं है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग नहीं उठी है। वर्ष 1969 में चौथी लोकसभा से लेकर अब तक संसद सदस्यों ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 15 बार प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं। संसद में इस प्रश्न को सांसद अली अनवर अंसारी ने वर्ष 2007, 2008 व 2009 में स्पेशल सेशन के रूप में रखा तो सांसद योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2007 में इसे नियम 377 के तहत संसद में उठाया। इसके अलावा, अनेक सांसदों, जैसे—ओमप्रकाश यादव, नीरज शेखर, जगदंबिका पाल तथा उमाशंकर सिंह ने वर्ष 2010 में गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

30 अगस्त, 2010 को 15वीं लोकसभा में पहली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा सांसद संजय निरूपम, रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदंबिका पाल ने बड़े जोर-शोर से उठाया। इसके जवाब में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री अजय माकन ने कहा कि भोजपुरी और राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु

सरकार विचार कर रही है, पर इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस प्रश्न पर सार्थक चर्चा के लिए इसे नियम 193 के अंतर्गत उठाया जाना चाहिए। इस सबके बावजूद, भोजपुरी अपने ही देश में अभी तक अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और अब तक की सरकारें इस मुद्दे के प्रति उदासीन बनी हुई हैं।

नेशनल दुनिया, 1 मई, 2012

इस मान्यता से भोजपुरी का कितना भला होगा

'हम रउवा सब के भावना समझऽ तानी', पिछले दिनों संसद में गृहमंत्री पी. चिदंबरम के मुँह से निकले इन भोजपुरी शब्दों ने पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित किया। एक ऐसे मंत्री, जो हिंदी में भी कभी-कभार ही बोलते देखे गए हों, उनके मुख से भोजपुरी के बोल देशवासियों के लिए विस्मय की बात थी। गृहमंत्री के इन शब्दों ने देश-विदेश के करोड़ों भोजपुरीभाषियों और भारतीय भाषाओं के प्रेमियों को भी एक पल के लिए चौंकाया, पर उसके बाद उनके चेहरों पर थी एक विजयी मुस्कान और उसमें छुपा था अपार संतोष का भाव। उस दिन संसद में जो कुछ हुआ, वह इस मायने में ऐतिहासिक था कि भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा प्राप्त होने की दिशा में इतनी ठोस पहल संसद में पहली बार देखने को मिली।

गृहमंत्री का यह आश्वासन कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, भोजपुरी के संबंध में सरकार का यह अब तक का सबसे आशावादी और सकारात्मक रुख है। भोजपुरी भाषी अब कुछ संतोष की मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अब संविधानसम्मत भाषा बनने की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। भोजपुरी दुनिया भर के 16 देशों में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली लगभग एक हजार साल पुरानी भाषा है, जो देश में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके पास अपना समृद्ध साहित्य, अपार शैक्षणिक सामर्थ्य, एक समृद्ध सांस्कृतिक

एवं ऐतिहासिक विरासत विद्यमान है।

भोजपुरी का बढ़ता दायरा

आज देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, 'इग्नू' में इसका फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मैथिली-भोजपुरी अकादमी तथा बिहार सरकार ने भोजपुरी अकादमी की स्थापना कर भोजपुरी भाषा, कला व संस्कृति को नए आयाम प्रदान करने के साथ-साथ इन्हें नई पहचान दी है। मूल रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला महापर्व छठ आज धीरे-धीरे संपूर्ण भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगा है। यह भोजपुरी/पूर्वांचल की संस्कृति की व्यापकता का परिचायक है। केंद्र व दिल्ली सरकार के कार्यालयों में छठ के अवसर पर वैकल्पिक अवकाश दिया जाता है। भोजपुरी की उपयोगिता एवं बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब अपने विज्ञापन भोजपुरी में भी बनाने लगी हैं। भोजपुरी टीवी चैनलों पर आने वाले विज्ञापन एवं भोजपुरी इलाकों में जगह-जगह पर लगाए जा रहे बोर्ड एवं होर्डिंस इसके गवाह हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दे रही है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल प्रारंभिक 14 भाषाओं के अलावा कालांतर में अन्य आठ भाषाओं—सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। आबादी और प्रचुर समृद्ध साहित्य जैसे मानदंडों पर भोजपुरी इनसे कम नहीं है। अगर सिर्फ बोलने वालों की संख्या के लिहाज से ही देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार इन आठ भाषाओं को बोलने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 16 लाख 44 हजार है, जबकि आज भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्‌दा पिछले कई दशकों से देश-विदेश की विभिन्न संस्थाओं में उठता रहा है। संसद सदस्यों ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अब तक 15 बार प्राइवेट बिल पेश किए हैं।

रंग ला रही है मुहिम

संसद में पहली बार वर्ष 1969 में चौथी लोकसभा के दौरान सांसद भोगेंद्र झा ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इस प्रश्न को संसद में उठाया था। तब से लेकर लगातार इस दिशा में प्रयास जारी रहे। 2 फरवरी, 2007 को भोजपुरी दिल्ली समाज का एक प्रतिनिधिमंडल संप्रग अध्यक्ष से मिला और भोजपुरी भाषा को सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग की। 22 मई, 2009 को भोजपुरी समाज दिल्ली द्वारा आयोजित भोजपुरी व पूर्वांचल क्षेत्र के 15वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन समारोह में भी उपस्थित सांसदों से अनुरोध किया गया कि वे भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग को संसद में जोरदार ढंग से उठाएँ। अनेक भोजपुरी सम्मेलनों में भी यह माँग जोरदार ढंग से उठती रही है। इन तमाम प्रयासों से भी एक प्रभावशाली सकारात्मक माहौल बना है। मॉरीशस में भी भोजपुरी को 14 जून, 2011 को सांविधानिक दर्जा मिल चुका है।

सांविधानिक दर्जा मिला तो...

किसी भाषा को सांविधानिक मान्यता प्राप्त होने से उसकी पहचान और गरिमा को नया आयाम तो मिलता ही है उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे भी हैं। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को अन्य भाषाओं की अपेक्षा विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सरकारी संरक्षण में इन भाषाओं को फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इन भाषाओं को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम के रूप में अपनाया जा सकता है तथा उस भाषा का एक विषय के रूप में चयन किया जा सकता है। इन भाषाओं को संबंधित राज्यों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है तथा इन भाषाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक योजना में योजना आयोग, भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि आवंटित कराने का अधिकार मिलता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादेमी पुरस्कार जैसे सम्मान सिर्फ मान्यता प्राप्त भाषा की रचनाओं को ही दिए जाते हैं ऐसे तमाम मानक हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को आम भाषाओं

से अलग करते हैं। अतः किसी भाषा को आम से 'खास' बनाने की ललक उस भाषा के हर पैरोकार में विद्यमान होती है। भोजपुरी के पैरोकारों ने यह काम पिछले कुछ सालों में बखूबी किया है।

भोजपुरी को 'खास' बनाने की मुहिम ने कई बार संसद के चौखट पर जोरदार ढंग से दस्तक दी और सरकार को सोचने पर विवश किया। इसी का परिणाम था कि वर्ष 2006 में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। इससे दो वर्ष पूर्व तत्कालीन गृहमंत्री ने भी सदन को आश्वासन दिया था कि भोजपुरी को जल्द ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, परंतु समय-सीमा को लेकर कुछ न कहने की वजह से इनका कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकला। इस बार गृहमंत्री ने जो आश्वासन में दिया है, वह सोच-समझकर दिया गया है। भोजपुरी भाषी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि संसद का मॉनसून सत्र उनके लिए कुछ विशेष होगा और उनकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी।

दैनिक जागरण, 22 मई, 2012

भोजपुरी को मान्यता नहीं, सिर्फ आश्वासन

क्षेत्रीय भाषाओं के लिए यह गौरव की बात है कि सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च और चौथा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों ने वैकल्पिक पेपर के रूप में एक भारतीय भाषा (मलयालम) को लेकर यह सफलता अर्जित की। देश की इस सर्वोच्च परीक्षा के परिणाम में इस बार क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा साफ दिखा। पहले सौ सफल प्रतियोगियों में से 17 ने क्षेत्रीय भाषाओं का एक विषय के रूप में चयन किया था। मैथिली को लेकर सफलता हासिल करना भी एक अच्छी खबर है। यह भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर अंग्रेजी को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की मानसिकता रखने वाले संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए चेतावनी है और सबक भी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा किए जाने के निर्णय का कुछ महीने पहले ही संसद में जबर्दस्त विरोध हुआ था। क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को बनाए रखने के लिए तमाम पार्टियों के सांसदों ने पार्टी हित से ऊपर उठकर एक साथ आवाज उठाई, जिसके चलते आयोग को अपना वह निर्णय वापस लेना पड़ा था। पिछले कुछ साल से भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का मुद्दा सुर्खियों में है। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा राय माँगे जाने पर आयोग ने कई साल तक फाइल को दबाए रखा। बाद में पता चला कि आयोग ने आठवीं अनुसूची में आने वाली नई भाषाओं को परीक्षा प्रणाली से अलग करने का प्रस्ताव रखा है। तर्क यह कि संबंधित

भाषा के विशेषज्ञों के अभाव के चलते नई भाषाओं में परीक्षा करा पाना कठिन है तथा इन भाषाओं में से सभी के पास अपना साहित्य नहीं है। ये दोनों तर्क बिलकुल निराधार हैं। भोजपुरी के पास न तो विशेषज्ञों का अभाव है और न ही समृद्ध साहित्य का।

आयोग ने तो जो करना था, किया, पर अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में पड़ी है। वहाँ से अभी तक निर्णायक कार्रवाई शेष है। दुःखद बात यह है कि भोजपुरी के पक्ष में सांसदों ने भी एकजुटता नहीं दिखाई। कुछ गिने-चुने सांसदों को छोड़कर शेष सांसद मौन ही दिखे। शायद यही कारण है कि सरकार से भी केवल आश्वासन ही प्राप्त हो रहे हैं। पिछले साल तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने संसद में आश्वासन दिया था कि मानसून सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने पहली बार भोजपुरी में यह कहते हुए कि 'हम रउवा सब के भावना समझऽतानी' करोड़ों भोजपुरीभाषियों का मन जीत लिया था और खूब वाहवाही भी बटोरी थी। इसके बाद संसद के मानसून सत्र पर सबकी निगाहें लगी थीं, पर उस सत्र में इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद संसद के कई सत्र आए और गए, पर यह मुद्दा संसद में उठाए जाने वाले विषयों की सूची से गायब रहा। विडंबना देखिए कि मॉरीशस में भोजपुरी को दो साल पहले ही सांविधानिक दर्जा मिल चुका है।

हिन्दुस्तान, 28 मई, 2013

सोपान–दो : विमर्श

हिंदी-भोजपुरी में तकरार नहीं

हाल ही में राज्यसभा में बी.के. हरिप्रसाद के निजी विधेयक पर चर्चा के क्रम में गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार की नजर में हर भाषा बराबर है, और हिंदी केवल राजभाषा है, वह राष्ट्रभाषा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा का सवाल संवेदनशील और जटिल है, लेकिन कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। न ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। रिजिजू का बयान ऐसे दौर में बेहद महत्वपूर्ण है, जब देश में भोजपुरी और राजस्थानी जैसी समृद्ध मातृभाषाओं के अस्तित्व को नकारने का माहौल बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया में हिंदी बनाम भोजपुरी का प्रपंच रचा जा रहा है। लेकिन हकीकत में हिंदी बनाम भोजपुरी की प्रतिद्वंद्विता जैसा कुछ भी नहीं है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इन दोनों भाषाओं का परस्पर संबंध अद्भुत समन्वय का प्रतीक रहा है।

हिंद महासागर की गोद में बसे और अफ्रीकी महादेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला छोटा-सा देश मॉरीशस, भोजपुरी और हिंदी के सहअस्तित्व और प्रगाढ़ संबंधों का नजीर है। वहाँ हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी को भी सांविधानिक मान्यता हासिल है। मॉरीशस में भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम हो रहा है। स्कूलों में भोजपुरी पढ़ाई जा रही है। मॉरीशस सरकार भोजपुरी के संरक्षण और प्रसार के लिए कृत संकल्पित है, और इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। इस क्रम में सिर्फ 14 लाख आबादी वाले मॉरीशस में अब तक 13 'गीत गवनई' स्कूल खोले जा चुके हैं, जहाँ बाकायदा लोकगीतों और संस्कार गीतों की शिक्षा दी जाती है। गौरतलब है कि मॉरीशस सरकार की

ही पहल पर 'भोजपुरी गीत गवनई' को यूनेस्को से 'कल्चरल हैरिटेज' का दर्जा प्राप्त हुआ है। मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना सहित कैरेबियन देशों में मानवीय मूल्यों को साकार करने तथा भारतीयता की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में भोजपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी ने वहाँ हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम दिया। दीगर है कि मॉरीशस की तरह नेपाल में भोजपुरी और राजस्थानी तथा भूटान में भोटी को सांविधानिक मान्यता प्राप्त है।

कितना दुःखद है कि जिस भोजपुरी भाषा ने हिंदी के उत्थान एवं विकास तथा उसे उसका हक दिलाने के लिए कोशिश की, वही भोजपुरी भाषा जब आज 'सबका साथ, सबका विकास' के ध्येय वाले मोदी राज में सांविधानिक मान्यता पाने के निकट आकर खड़ी है, तो हिंदी के कुछ विद्वान और पैरोकार भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता की राह में रोड़ा अटकाने के लिए प्रयासरत हैं। हिंदी के इन कथित पैरोकारों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर होगी, इसका दायरा कम होगा, संख्याबल घटेगा। और यह स्थिति अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ाने में सहायक होगी, जबकि सच्चाई यह है कि भोजपुरी और हिंदी में आपस में न तो कोई प्रतिस्पर्धा है, और न ही कोई टकराव। माँ और बेटी के पावन रिश्ते में बँधी भोजपुरी और हिंदी एक-दूसरे की सदा से हितैषी रही है। भविष्य में भी उनका यही रिश्ता कायम रहने वाला है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में व्यापक स्वीकार्यता वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है, और है भी, लेकिन क्या इसी आधार पर समृद्ध भाषाओं पर बोलियों का विशेषण चस्पाँ कर दिया जाना चाहिए? समझना होगा कि लोक भाषाओं के सम्मान की माँग करने वाले हिंदी का किंचित भी विरोध नहीं करते। इनकी आपत्ति इतनी भर है कि हिंदी के विकास के फेर में हमने अपनी समृद्ध भाषाओं को बोलियों का नाम देकर उनके साथ अन्याय किया है, बल्कि कहें कि यह अन्याय कम है, षड्यंत्र ज्यादा। क्या भोजपुरी, राजस्थानी समृद्ध भाषाएँ नहीं हैं, महज बोलियाँ हैं? इन भाषाओं को बोलने-पढ़ने वाले लोगों की संख्या और उनकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के मद्देनजर उन्हें बोलियाँ करार देना उनके साथ सरासर अन्याय है।

राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद

351 में प्रावधान किया गया है कि हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ मुख्यतः संस्कृत और गौणतः इन भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी का शब्द-भंडार बढ़ाया जाए। इस प्रकार उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए। स्पष्ट है कि आठवीं अनुसूची में शामिल होकर भोजपुरी हिंदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि हिंदी को समृद्ध करने में योगदान करेगी। भोजपुरी हो या राजस्थानी, इन सभी भाषाओं के पास अपनी बेशकीमती निधि है। सरकारों को इनका संरक्षण करना चाहिए।

भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग में न तो किसी भाषा विशेष या अन्य भाषाओं के विरोध का भाव निहित है, और न ही किसी भाषा को कमजोर करने या उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने की कोई मंशा। यह भोजपुरी के लिए सम्मान, अस्मिता एवं पहचान की माँग है, और साथ ही सांविधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं को मिलने वाली सुविधा फायदों की माँग है। इस माँग के पीछे ठोस तर्क और व्यापक आधार है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक और दुनिया भर के 16 देशों में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जिसे मॉरीशस में सांविधानिक मान्यता प्राप्त है, अपने देश में सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होने की वजह से अनेक सुविधाओं और फायदों से वंचित है।

आधारहीन तथ्यों और खोखले तर्कों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और भ्रम पैदा करने के बजाय हिंदी और भोजपुरी के आपसी संबंधों को सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। दोनों भाषाओं के बीच वैमनस्य और मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग न तो हिंदी के हितैषी हो सकते हैं, और न भोजपुरी के। अनर्गल प्रलाप न करके दोनों भाषाओं के बीच आपसी सौहार्द, सद्भाव और संवाद को मजबूत करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करके दोनों भाषाओं का कल्याण किया जा सकता है। हिंदी के प्रति आदर, सद्भाव, स्नेह और सौहार्द कायम रखते हुए भोजपुरी के सम्मान, सुविधा, अस्मिता और पहचान की माँग अनुनय, विनय और विनम्रता के साथ लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहेगी।

राष्ट्रीय सहारा, 6 अगस्त, 2017

भोजपुरी को मान्यता मिले तो हिंदी को घाटा नहीं

जिस भोजपुरी भाषा को सांविधानिक मान्यता देने की वकालत भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विष्णुराव पडारकर, शिव प्रसाद गुप्त आदि तक ने की, वही भोजपुरी भाषा जब आज सांविधानिक मान्यता पाने के निकट आकर खड़ी है तो हिंदी के कुछ विद्वान और पैरोकार उसकी राह में रोड़ा अटकाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर होगी। सच्चाई यह है कि भोजपुरी और हिंदी में आपस में न तो कोई प्रतिस्पर्धा है और न ही कोई टकराव।

हिंदी के तथाकथित पैरोकारों का एक प्रमुख तर्क यह है कि अगर भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल हो गई तो आने वाले दिनों में भोजपुरीभाषी हिंदी के बजाय भोजपुरी को अपनी मातृभाषा बताने लगेंगे, जिससे हिंदी के संख्याबल में कमी आएगी। मगर इस आशंका का बहुत आसान उपाय निकाला जा सकता है। जनगणना विभाग द्वारा जनगणना के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्र में भाषा संबंधी जानकारी के लिए दो कॉलम उपलब्ध रहते हैं। पहले कॉलम में मातृभाषा की जानकारी देनी होती है और दूसरे में अधिकतम उन दो अन्य भाषाओं की जानकारी देनी होती है जिन्हें संबंधित व्यक्ति जानता है। जनगणना के समय हिंदी भाषी राज्यों में पहले कॉलम में मातृभाषा के रूप में तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा (जैसे मैथिली, भोजपुरी आदि) का उल्लेख किया जाए और दूसरे कॉलम में अन्य भाषा के रूप में हिंदी का। इससे जब हिंदी के संख्याबल की बात हो तो दूसरे कॉलम के आँकड़े को इस मकसद के लिए प्रयोग किया

जा सकता है।

हिंदी के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः इन भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी का शब्द-भंडार बढ़ाया जाए। स्पष्ट है कि आठवीं अनुसूची में शामिल होकर भोजपुरी हिंदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि उसकी समृद्धि में योगदान ही करेगी।

भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग में न तो अन्य भाषाओं के विरोध का भाव निहित है और न ही किसी भाषा को कमजोर करने की कोई मंशा इसके पीछे है। इस माँग के पीछे ठोस तर्क है। दुनिया भर के 16 देशों में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जिसे मॉरीशस में सांविधानिक मान्यता प्राप्त है, अपने देश में सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होने की वजह से बहुत सारी सुविधाओं और फायदों से वंचित है। भोजपुरी रचनाएँ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सकतीं, इस भाषा और उसके साहित्य के विकास के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, भोजपुरी फिल्में देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जा सकतीं, भोजपुरी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नहीं हो सकते, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भोजपुरी को परीक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता और साहित्य अकादेमी द्वारा भोजपुरी भाषा में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता, जबकि अंग्रेजी और राजस्थानी सहित आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ये गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। यदि यह सुविधाएँ भोजपुरी को भी प्राप्त हों तो इसके साहित्य, कला व संस्कृति आदि को बढ़ावा मिलेगा।

समझना होगा कि इन दोनों भाषाओं के बीच मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग न तो हिंदी के हितैषी हो सकते हैं और न भोजपुरी के। इन दोनों भाषाओं के बीच आपसी सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में ध्यान केंद्रित कर ही इन दोनों भाषाओं का ज्यादा कल्याण किया जा सकता है।

नवभारत टाइम्स, 2 फरवरी, 2017

भोजपुरी की महत्ता से समृद्ध होगी हिंदी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के शहर द हेग में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए भोजपुरी में कहा—'का हाल बा...'। भोजपुरी में बोलकर उन्होंने वहाँ मौजूद प्रवासी भारतीयों में एक उमंग और उत्साह का संचार किया। उन्होंने सूरीनाम के प्रवासी श्रमिकों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आज करीब डेढ़ सौ वर्ष बाद भी अपनी भाषा, अपनी परंपरा और संस्कृति को बरकरार रखा। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे, यह अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं में भारतीय भाषाओं को सम्मान देने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बातचीत और नेपाल के संसद में उनके हिंदी में संबोधन को हम सुन चुके हैं। 12 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय के शिलान्यास समारोह में कहा 'दिल से निकलती है मातृभाषा।' इसके पूर्व, 2 नवंबर, 2014 को मॉरीशस में ही प्रवासी दिवस समारोह में विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी से ही की थी। पूर्व में भी मोदी ने पटना, आरा, मुजफ्फरपुर व बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर की सभाओं में भोजपुरी में ही अपने संबोधन की शुरुआत की। इससे भोजपुरी के प्रति उनके अनुराग को महसूस किया जा सकता है।

मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना सहित कैरेबियन देशों में मानवीय मूल्यों को साकार करने में तथा भारतीयता की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में भोजपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी ने वहाँ हिंदी को अंतरराष्ट्रीय आयाम दिया।

और तो और, मॉरीशस की आजादी भी इसी भाग की देन है। मॉरीशस सरकार की पहल पर 'भोजपुरी गीत गवनई' को यूनेस्को से कल्चरल हैरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि 14 जून, 2011 को मॉरीशस सरकार ने भोजपुरी भाषा को अपने देश की सांविधानिक भाषा घोषित कर दिया। लेकिन दुखद है कि 1000 साल पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली और भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी आज भी सांविधानिक मान्यता से वंचित है। संसदीय कार्यवाही में दर्ज है—भोजपुरी बहुत ही सुंदर, सरस तथा मधुर भाषा है। भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या भारत की समृद्ध भाषाओं— बंगला, गुजराती और मराठी आदि बोलने वालों से कम नहीं है। भोजपुरी भाषायी परिवार के स्तर पर एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। सच कहें तो हिंदुस्तान की मातृभाषा 'हिंदी' है और हिंदी की मातृभाषा 'भोजपुरी' है। भोजपुरी एक विशाल भूखंड की भाषा है। उसकी महत्ता और विस्तार के कारण ही इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर सांविधानिक भाषा का दर्जा की माँग उठती रही है। 1969 से ही अलग-अलग समय पर सत्ता में आई सरकारों ने भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दशकों गुजर जाने के बाद भी भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो निःसंदेह उसके सुखद परिणाम होंगे। एक तो भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा हासिल हो जाएगा और दूसरे, इससे क्षेत्रीय भाषा का विकास होगा और साथ ही कला, साहित्य और विज्ञान को समझने-सँवारने में मदद मिलेगी। कहना न होगा कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है—संकल्प-शक्ति का और संकल्प-शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिये जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते।

यहाँ समझना होगा कि हिंदी क्षेत्र के विभिन्न बोलियों के बीच अगर कोई भाषा एकता का सूत्र है तो वह हिंदी है। भोजपुरी की महत्ता में हिंदी ही

समृद्ध होगी। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार केदारनाथ सिंह बेहिचक यह स्वीकार करते हैं कि 'भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को।' उनकी यह स्वीकारोक्ति एकदम सटीक प्रतीत होती है। हिंदी-भोजपुरी के पारस्परिक संबंध को ऐसे समझा जाए कि हिंदी गंगा है और भोजपुरी जैसी अन्य लोगभाषाएँ सहायक नदियाँ हैं जिनसे जल लेकर गंगा को अपना असली वैभव प्राप्त होता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदी भाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि वह रोजगार की गारंटी देता है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ। आज संसद के अंदर भोजपुरी की ताकत दिखती है, भोजपुरी के प्रति सम्मान दिखता है। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग उन क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों के अंदर हिलोरें मारती प्रतीत होती है। इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। यह सर्वविदित है कि बोलियाँ भाषाशास्त्री की दृष्टि से भाषाएँ ही हैं, पर राजनीतिक नजरिए से 'बोलियाँ' साबित की जाती हैं। अन्य तथाकथित हिंदी की हितचिंतक भोजपुरी को बोली के नाम पर खारिज करने तथा भोजपुरी की मान्यता से हिंदी के चिंदी-चिंदी होने का राग अलाप रहे हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष का विरोध है और न ही उसे कमजोर करने की कोशिश या फिर उसे बाँटने की राह है। यह माँग तो सिर्फ भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान व सुविधाओं की माँग है।

नवोदय टाइम्स, 18 जुलाई, 2017

बोली बनाम भाषा

पिछले साल अगस्त में मॉरीशस में संपन्न हुए विश्व भोजपुरी सम्मेलन का मूलमंत्र था—'भोजपुरी हमार माँ'। सम्मेलन के उद्घाटन-अवसर पर राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ ने घोषणा की कि 'प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने मॉरीशस की संसद में विधेयक पेश किया है कि अंग्रेजी और क्रियोल की भाँति भोजपुरी भी राजकीय भाषा होगी।' इस पर वहाँ उपस्थित सोलह देशों के प्रतिनिधियों ने गौरव का अनुभव किया। अब मॉरीशस की संसद ने भोजपुरी को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। मगर जहाँ एक तरफ विदेशों में भोजपुरी को इतना सम्मान मिल रहा है, वहीं भारत में आज भी यह समुचित मान्यता से वंचित है।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी। साथ ही यह भी व्यवस्था की कि चौदह भारतीय भाषाओं को शुरू में शामिल किया गया। सन् 1967 में संविधान के इक्कीसवें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को लोगों की माँग के आधार पर आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी तरह, संविधान के इकहत्तरवें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और बानबेवें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इन भाषाओं को शामिल करने के पीछे भी वही कारण बताया गया कि यह लोगों की माँग थी। ऐसी ही जोरदार माँग भोजपुरी के लिए भी होती रही है, लेकिन इस पर ही सरकार का ध्यान अभी तक नहीं जा सका है।

अगर बोलने वालों की संख्या को ध्यान में रखा जाए तो उपरोक्त आठ भाषाएँ भोजपुरी के आगे कहीं नहीं ठहरतीं। इन आठों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 2001 की जनगणना के मुताबिक लगभग तीन करोड़ है, जबकि अकेले भोजपुरी बोलने वालों की तादाद अठारह करोड़ से अधिक है। अगर बोलने वालों की संख्या की अपेक्षा माँग ही अहम है तो यह माँग भोजपुरी-भाषियों की तरफ से भी लगातार होती रही है।

भोजपुरी एक व्यापक और समृद्ध भाषा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू से ही यह स्नातक स्तर तक के पाठयक्रम में शामिल रही है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वहाँ भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी पिछले साल जुलाई से भोजपुरी का आधार पाठ्यक्रम शुरू किया है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में यह आज भी पढ़ाई जाती है।

भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग के संदर्भ में 2006 में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने लोकसभा को बताया था कि केंद्र सरकार भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है।

इससे दो साल पहले, गृहमंत्री शिवराज पाटील ने सदन को आश्वासन दिया था कि भोजपुरी को जल्द ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। जायसवाल ने वर्ष 2007 में भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने 2 मार्च, 2010 को लोकसभा को बताया कि राजस्थानी और भोजपुरी सहित कुछ और भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लंबित प्रस्ताव पर निर्णय सीताकांत महापात्र समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णय के आलोक में किया जाएगा।

आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से एक उच्च अधिकार संपन्न समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1998 में रिपोर्ट दे दी थी। उच्च समिति ने आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानदंडों की अनुशंसा

की थी। पहला, वह भाषा राज्य की राजभाषा हो, दूसरा, राज्य विशेष की आबादी के बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती हो, तीसरा, साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यता प्राप्त हो और चौथा, इसका समृद्ध साहित्य हो। उपरोक्त मानदंडों पर भोजपुरी अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक खरी उतरती है। भोजपुरी में कई महान साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अनेक कालजयी साहित्य की रचना की है।

भोजपुरी के साथ कुछ अन्य भाषाओं के लिए भी माँग उठती रही है। इसके विरोध में यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर बहुत-सी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया तो रिजर्व बैंक के लिए उन सभी भाषाओं को नोट पर छापना असंभव हो जाएगा, क्योंकि नोट पर आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में यूपीएससी परीक्षा लेने में समर्थ नहीं है। ये दोनों कारण तर्कसंगत नहीं हैं। न तो आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं का नोट पर छापना अनिवार्य है और न ही सभी भाषाओं में परीक्षा लेना।

इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देना समीचीन होगा। शुरू में अमेरिका में तेरह राज्य थे। उनके प्रतीक रूप में अमेरिकी झंडे में तेरह धारियाँ बनायी गईं, जोकि उनके प्राचीन गौरव का प्रतीक हैं। कालांतर में वहाँ राज्यों की संख्या बढ़ती गई, जिनके प्रतीकस्वरूप झंडे में तारों (स्टार्स) को दर्शाया गया और इस तरह वर्तमान में कुल पचास राज्यों के लिए पचास तारे अमेरिकी झंडे में एक तरफ शोभायमान हैं।

इस तरह मूल और नए राज्य, दोनों को समुचित प्रतीक के रूप में झंडे में दर्शाया गया है। रिजर्व बैंक और संघ लोक सेवा आयोग की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिकी झंडे के उदाहरण को ध्यान में रखा जा सकता है, यानी नोटों पर केवल प्रारंभिक चौदह भाषाओं में लिखा जा सकता है और बाद में शामिल की गई भाषाओं को किसी संकेत के रूप में दर्शाया जा सकता है। एक दूसरा विकल्प भी सोचा जा सकता है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर दस बड़ी भाषाओं का नाम ही नोटों पर लिखा जाए और अन्य भाषाओं को किसी संकेत के रूप में दिखाया जाए। संघ

लोक सेवा आयोग भी केवल दस बड़ी भाषाओं को ही परीक्षा का माध्यम बनाने की व्यवस्था रखे और अन्य भाषाओं को विकल्प के रूप में मान्यता दे दे। केवल इस समस्या के नाम पर भोजपुरी भाषा का विरोध करना या आठवीं अनुसूची से वंचित रखना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

जनसत्ता, 4 अप्रैल, 2010

हिंदी बनाम भोजपुरी

भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने के गृहमंत्री के भरोसे के बाद जहाँ भोजपुरी भाषी यह सोचकर खुश हैं कि उनकी भाषा को अब सांविधानिक मान्यता मिल सकती है तो कुछ लोगों को इस खबर ने चिंतित कर दिया है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह मिलने से हिंदी का दायरा कम होगा। गंभीरता से विचार करें तो इस आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है।

भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक और दुनिया भर में बीस करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी, सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होने की वजह से कई सुविधाओं से वंचित है। उदाहरण के लिए, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भोजपुरी को परीक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, भोजपुरी फिल्में दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जा सकतीं, भोजपुरी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिल सकता, इस भाषा और उसके साहित्य के विकास के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, भोजपुरी रचनाएँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सकतीं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस भाषा के विकास के साथ-साथ इसके बोलने वालों, इसके साहित्यकारों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

अगर ये सुविधाएँ भोजपुरी को भी प्राप्त हों तो इसका रूप और निखर

सकता है। इसलिए भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष या दूसरी भाषाओं के विरोध की उपज है और न ही किसी भाषा को कमजोर करने या उसे तोड़ने की कोई सोच इसके पीछे है। यह भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की माँग है। और इस माँग के पीछे ठोस तर्क और व्यापक आधार है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल प्रारंभिक चौदह भाषाओं के अलावा कालांतर में इस अनुसूची में जिन अन्य आठ भाषाओं को शामिल किया गया, भोजपुरी उनसे किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। नेपाली भारतीय मूल की भाषा न होते हुए भी आठवीं अनुसूची में शामिल है। फिर, बोडो और मणिपुरी जैसी भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनके बोलने वालों की तादाद भोजपुरी से कम है।

कहा जा रहा है कि भोजपुरी के आठवीं अनुसूची में शामिल होने से हिंदी कमजोर होगी। इस तर्क में बहुत दम नहीं है। जनगणना के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्र में भाषा संबंधी जानकारी के लिए दो कॉलम उपलब्ध हैं। पहले कॉलम में मातृभाषा की जानकारी देनी होती है और दूसरे में उन दो अन्य भाषाओं की जानकारी देनी होती है जिन्हें संबंधित व्यक्ति जानता है। जनगणना के समय हिंदीभाषी राज्यों में पहले कॉलम में मातृभाषा के रूप में तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ही उल्लेख किया जाए, जैसे कि भोजपुरी क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में भोजपुरी का उल्लेख हो और दूसरे कॉलम में अन्य भाषा के रूप में हिंदी का। जब हिंदी के संख्याबल की बात हो तो पहले और दूसरे कॉलम के आँकड़े को इसमें जोड़ने से हिंदी क्षेत्र की किसी लोकभाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल होने और उसे मातृभाषा के रूप में दर्शाए जाने पर भी हिंदी के संख्याबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत में भाषा के अधार पर राज्यों का गठन हुआ है। भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के पीछे कहीं-न-कहीं यह भावना अवश्य रही है कि इन राज्यों की भाषाओं को वहाँ की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हो और इससे उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो। जहाँ तक बात हिंदी की है तो हिंदी देश की राजभाषा होने के साथ-साथ इन सभी भारतीय भाषाओं के बीच विचारों

के आदान-प्रदान के लिए संपर्क और संवाद की भाषा के रूप में दिन-प्रति-दिन मजबूत ही हो रही है। राष्ट्रीय एकता के लिए संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा की आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ही करती है, क्योंकि उसमें क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता विद्यमान है। हिंदी का यह सम्मिश्र स्वभाव उसके विकास और प्रसार की असली ताकत है। इसमें क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ उसके लिए टॉनिक का काम कर रही हैं।

हिंदी और हिंदी क्षेत्र की लोकभाषाओं में कोई विरोध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यों भी, भोजपुरी और हिंदी का कभी कोई विरोध रहा ही नहीं है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉ. केदारनाथ सिंह का कहना है कि 'भोजपुरी हमारा गाँव है और हिंदी हमारा देश, न गाँव को छोड़ सकता हूँ, न देश को'। उनकी यह बात बहुत सटीक लगती है। गाँवों के विकास पर ही देश का विकास भी टिका हुआ है। गाँव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हिंदी गंगा है और ये भाषाएँ छोटी-छोटी नदियाँ, जिनसे जल लेकर गंगा को अपना असली रूप प्राप्त होता है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के पीछे यह भावना भी निहित है कि राजभाषा हिंदी को समृद्ध करने के लिए ये भाषाएँ आधार के रूप में कार्य करेंगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में दिये गए निर्देश से भी यह स्पष्ट है।

बेबुनियाद तर्कों और तथ्यों के सहारे भ्रम पैदा करने के बजाय आपसी संवाद बनाकर इन भाषाओं का ज्यादा हित किया जा सकता है। हिंदी के प्रति स्नेह, सौहार्द और मैत्रीभाव रखते हुए भोजपुरी की अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की यह विनम्र और शांतिपूर्ण माँग मंजिल प्राप्त होने तक यों ही चलती रहेगी।

जनसत्ता, 29 जुलाई, 2012

कब पूरा होई आठवीं अनुसूची के वादा?

अभी हाल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ। अटल जी भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक रहे हैं। वह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके कार्यकाल में एक साथ चार भारतीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उन्होंने स्थानीय अस्मिताओं को भी समझा और झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन भी किया।

गौरतलब है कि ये राज्य अपनी भाषायी विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वाजपेयी जी को याद करना अनायास नहीं है। मॉरीशस में आयोजित द्वितीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन (24 फरवरी, 2000) के लिए दिये गए संदेश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, 'भोजपुरी के माध्यम से भारत विश्व के अनेक देशों से जुड़ा हुआ है। सदियों से भारत के लोग विश्व के बहुत-से क्षेत्रों में गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग भोजपुरी वंशज ही थे।'

सुदूर देशों में उन्होंने अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया। बहुत-से क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम और संकल्प का प्रदर्शन किया। भोजपुरी भाषा और संस्कृति विश्व में भारतीय सभ्यता और प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। मॉरीशस हो या दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम हो या त्रिनिदाद एवं टोबैगो या संघीय गणराज्य गुयाना, भोजपुरी भाषियों ने सभी जगह पर संघर्ष के द्वारा ही भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है और अपना

विशिष्ट स्थान बनाया है। भोजपुरी विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशियों के बीच प्रेम, घनिष्ठता और संपर्क का सेतु बनी हुई है।

गत माह मॉरीशस में ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भारत के विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने भी अपना संबोधन भोजपुरी में दिया। वहीं इसी वर्ष भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान अपना संबोधन भोजपुरी में किया। उसी तरह, गिरमिटिया श्रमिकों के 180 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आयोजित मॉरीशस सरकार के एक आयोजन में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भी अपनी बात भोजपुरी में ही रखी।

वहीं बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के उद्‌बोधन ने देश के कई प्रश्नों का हल दिया है। भारतीय संवेदना के धरातल पर इतिहास से रूबरू करते हुए प्रणब मुखर्जी का यह उद्‌बोधन कई मायनों में ऐतिहासिक है। उससे भी ज्यादा इसे प्रासंगिक और पथप्रदर्शक प्रवाह के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति की इस यात्रा की चर्चा का मकसद इसमें उनके द्वारा गिनायी गई भारत की 22 भाषाओं के साथ-साथ 1600 उन बोलियों में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भोजपुरी की अस्मिता को लेकर है। जिस तरह प्रणब दा देसी बोलियों के अस्तित्व के लिए चिंतित हैं उसी तरह संघ परिवार की चिंताएँ भी कई बार सामने आ चुकी हैं। इस क्रम में केंद्र सरकार की चिंता भी बार-बार सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो शुभारंभ भोजपुरी में ही करते हैं। उन्होंने भोजपुरी डायस्पोरा वाले देशों, मसलन, नीदरलैंड में भी अपने संबोधन का आरंभ भोजपुरी से ही किया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार प्रारंभ से ही इस बात की पक्षधर रही है कि राज्यों की स्थानीय भाषाओं और खास तौर पर हर राज्य की मातृभाषा को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मातृभाषाओं के प्रति केंद्र का यह दृष्टिकोण बहुत बड़ा अर्थ रखता है। लोक और स्थानीय भाषा के मरते जाने के इस समय में यदि सरकार इस प्रकार की सोच रखती है तो इससे शुभ भला और क्या हो सकता है! राज्यसभा में अब उप-राष्ट्रपति

श्री वेंकैया नायडू की पहल के बाद आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया जा सकता है। श्री नायडू मातृभाषाओं के पैरोकार रहे हैं। उन्होंने गत फरवरी माह में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित एक आयोजन में कहा, "चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार की गारंटी देता है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ।" वहीं बीते दिनों, नेपाल के नव-निर्वाचित संसद सदस्यों ने अपनी मातृभाषा में शपथ ली। नेपाल की 107 सदस्यीय संसद में 47 सदस्यों ने मैथिली, 25 ने भोजपुरी और 11 ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। जबकि नेपाली में शपथ लेने वाले 24 सदस्य ही थे। 16वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में जब भोजपुरी भाषी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी में शपथ लेना चाहा तो उन्हें इजाजत ही नहीं मिली। इसी तरह, पूर्व में राज्यसभा सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने राज्यसभा में जब भोजपुरी में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कोशिश की तो उन्हें भी निराशा ही मिली। ये दोनों स्थितियाँ भोजपुरी के प्रति दो देशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रही हैं।

वस्तुतः, भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में ही यह सरकारी उपेक्षा की शिकार हुई है। अगर ऐसा नहीं तो फिर गत वर्ष बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह के पहल करने की कोई सूचना अब तक क्यों नहीं है। वहीं झारखंड सरकार ने भी भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा देने का संकल्प जाहिर किया और उसे पूरा भी किया। दूसरी ओर, मॉरीशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी है और अभी वहाँ के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के

तकरीबन 160 देशों ने अनुमोदित किया।

दूसरी ओर, भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता तो नहीं दे रही है, लेकिन भोजपुरी कलाकारों-साहित्यकारों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर भोजपुरी के प्रति अपनी सदिच्छाओं को जरूर जाहिर कर रही है। भोजपुरी-कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा को पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व, लोकगायिका मालिनी अवस्थी को पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया।

वहीं वयोवृद्ध भोजपुरी-हिंदी साहित्यकार कृष्ण बिहारी मिश्र को भी केंद्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की ही पहल पर दिल्ली में भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष किया गया। केंद्र सरकार के इन कदमों से यह जाहिर होता है कि 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही सरकार भोजपुरी कला का सम्मान तो कर रही है, लेकिन भोजपुरी भाषा की मान्यता को लेकर सरकार ने अभी कोई ठोस पहल नहीं की है। केवल सरकारी मान्यता नहीं होने की वजह से भोजपुरी भाषी करोड़ों बच्चे अपनी मातृभाषा में 'भारत वाणी पोर्टल और एप्पर' जैसे नवाचारों का लाभ उठाने से वंचित हैं। गौरतलब है कि भारतवाणी पोर्टल और एप्प के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में शिक्षण सामग्री एवं ऑडियो-विजुअल पाठ्य उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान सुगम्य होता है। इसकी स्मृतियाँ लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती हैं। 'यूनेस्को' ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें उल्लेखित है, 'मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है।' बावजूद इसके, हिंदी के बाद देश व विदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी को इस 'भारतवाणी' कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

नतीजतन, करीब 20 करोड़ भोजपुरी भाषी लोगों के लिए उनकी मातृभाषा में कोई पाठ्य सामग्री मौजूद नहीं है। ऐसा कर हमारी सरकार यूएन चार्टर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। अप्रैल, 2017 में google और

KPN द्वारा किये गए एक अध्ययन में ये सामने आया कि 2021 तक देश में 75 प्रतिशत लोग अपनी मातृभाषाओं में इंटरनेट प्रयोग कर रहे होंगे और अगले 5 वर्षों में इंटरनेट पर आने वाले 10 में से 9 लोग अपनी भारतीय भाषा में इंटरनेट प्रयोग करना चाहेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज परीक्षा 2016 परिणाम में मैथिली भाषा से परीक्षा में शामिल 13 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। चयनित छात्रों में बिहार के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी छात्र हैं। यूपी के अर्चित विश्वेश, हरियाणा के अंकित भरद्वाज, राजस्थान के सतपाल और नीलिमा खोरवाल मैथिली भाषी या मिथिला निवासी नहीं होकर भी इस विषय को चुना और कामयाब रहे। 2004 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हुई मैथिली आज इस मुकाम तक पहुँच गई है, जहाँ से वह सिविल सेवकों की फौज तैयार कर रही है। यूपीएससी की परीक्षा ने मैथिली को नयी ऊँचाइयाँ दी है। लेकिन सांविधानिक मान्यता न होने से यूपीएससी कौन कहे बीपीएससी की परीक्षा में भी भोजपुरी शामिल नहीं है। जबकि भोजपुरी का भाषायी विस्तार मैथिली के मुकाबले काफी अधिक है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था—प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। लेकिन यह अब तक हो नहीं सका है। अंग्रेजी का दबदबा अब तक कायम है और अंग्रेजी की भाषायी औपनिवेश को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल पा रही है। उलटे, अब ये हो रहा है कि हिंदी को भोजपुरी, मैथिली जैसी लोकभाषाओं के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की राजनीति को भी चिह्नित किया जाना आवश्यक है। हमें लगता है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए। अब वक्त आ गया है कि भाषा संबंधी ठोस नीति बने और उसको बगैर किसी सियासत के लागू किया जाए। सिविल सर्विसेज सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भोजपुरी भाषी छात्रों को वैकल्पिक विषय के रूप में भोजपुरी के चयन का विकल्प नहीं मिलता रहा है। परिणामतः, इसका सीधा असर उनकी सफलता पर पड़ रहा है। यह संदर्भ इसलिए मायने रखता है कि यदि भोजपुरी को भी उसका वास्तविक दर्जा मिल

गया होता तो आज भोजपुरी भाषा वाले भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर पाते। लोक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से सफलता अर्जित करने वालों की बढ़ती संख्या से एक ओर जहाँ 20 करोड़ से अधिक भोजपुरी भाषी आशान्वित हैं तो वही हिंदी के कुछ स्वघोषित मठाधीश भोजपुरी व हिंदी के बीच छद्म दुराव का राग अलापने लगे हैं। इनके द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर होगी।

अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि भोजपुरी की मान्यता से हिंदी को कोई खतरा नहीं है। यह एक बड़े जनमानस के स्वाभिमान व अस्मिता का प्रश्न है। इससे हिंदी कहीं से विखंडित नहीं होने वाली है। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार केदारनाथ सिंह बेहिचक यह स्वीकार करते रहे हैं कि 'भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को।' उनकी यह स्वीकारोक्ति एकदम सटीक प्रतीत होती है। हिंदी-भोजपुरी के पारस्परिक संबंध को ऐसे समझा जाए कि हिंदी गंगा है और भोजपुरी जैसी अन्य लोकभाषाएँ सहायक नदी हैं, जिनसे जल लेकर गंगा को अपना असली वैभव प्राप्त होता है।

भारतीय सभ्यता में भाषा को माता का स्वरूप माना जाता है। शिक्षा के माध्यम को लेकर आये दिन कई बहसें होती रहती हैं, जिसमें से अधिकांश निरर्थक होती हैं। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और उसका सौभाग्य भी। इसी के चलते भारत के कई राज्यों में भाषा बचाओ आंदोलन प्रायः होते रहते हैं।

यह गंभीर बात है कि दुनिया में जिस भाषा को लगभग 20 करोड़ लोग बोलते हों, उसे अपने ही देश में अभी तक जगह नहीं मिल सकी है। सोचिए, यदि भोजपुरी को दर्जा मिल गया होता तो भोजपुरीभाषी छात्रों को कितना लाभ हो सकता था! भोजपुरी विषय का भी परचम आज लहरा रहा होता और भोजपुरी क्षेत्र के नौजवानों को अपनी इस मातृभाषा पर गर्व होता। भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का प्रश्न संसद में 1969 से ही उठ रहा है। सर्वप्रथम वर्ष 1969 में चौथी लोकसभा में सांसद श्री भोगेंद्र झा ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में

इस प्रश्न को संसद में उठाया। 1969 से लेकर आज तक संसद में इस विषय पर 18 बार निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कई बार स्पेशल मेंशन, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये और अनेक बार शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है। जबकि अपने 10 साल के शासन में पिछली यूपीए सरकार ने पाँच बार संसद में विभिन्न अवसरों पर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। तत्कालीन गृहमंत्री ने संसद के पटल पर कहा कि 'हम रउआ सभे के भावना के समझत बानी' लेकिन यूपीए सरकार भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता संबंधी बिल तक संसद में पेश नहीं कर पाई।

16वीं लोकसभा में जहाँ एक-तिहाई सांसदों ने अपनी मातृभाषा में शपथ लिया, वहीं भोजपुरिया सांसद चाहकर भी अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले सके। क्योंकि संसद में कोई सांसद उसी भाषा में शपथ ले सकता है जिसे सांविधानिक मान्यता प्राप्त हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भोजपुरी भाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। भोजपुरी भाषी सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को भोजपुरी की मान्यता देने के लिए एक पत्र भेजा है। उस पत्र में यह जिक्र है कि वैसी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, जो विदेश में भी मान्यता प्राप्त और राज्य विधानसभा से अनुमोदित हैं। इस पैरामीटर पर भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी जैसी भाषाएँ खरी उतरती हैं, जिन्हें क्रमशः मॉरीशस और नेपाल तथा भूटान में मान्यता प्राप्त है।

भोजपुरी को जहाँ मॉरीशस और नेपाल ने सांविधानिक मान्यता दी है, वहीं राजस्थानी को नेपाल में सांविधानिक दर्जा हासिल है तो भोटी को भूटान में आधिकारिक मान्यता मिली है। केंद्र की वर्तमान 'सरकार सबका साथ, सबका विकास' को अपना ध्येय वाक्य मानती है, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार में शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गए आश्वासनों के बावजूद भोजपुरी अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है।

केंद्रीय सरकार ने चुनाव में जनता से बहुत सारे वादे किए थे, जिनमें

से अधिकतर वादे पूरे हुए हैं। लेकिन भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने का एक वादा अभी भी अधूरा ही है। ऐसे में जरूरत है इस अवसर पर सरकारी तौर संजीदगी की, ताकि भोजपुरी भी उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़े सके। अगर ये सुविधाएँ भोजपुरी को भी प्राप्त हों तो इसका स्वरूप और निखर सकता है। उम्मीद करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास के ध्येय वाक्य से प्रेरित केंद्र सरकार भोजपुरी की सुध अवश्य लेगी।

भोजपुरी पंचायत, सितंबर, 2018

प्रधानमंत्री से निवेदन :

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने पर ऊहापोह क्यों?

भोजपुरी और राजस्थानी दो ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें संसद में अनेक बार सांविधानिक मान्यता देने के मसले पर सरकारी आश्वासन दिए जा चुके हैं। परंतु यह मामला हर बार संसद के पटल पर लटककर रह गया है। सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है और दूसरा कदम पीछे कर लेती है। इसके पीछे बहाना कभी हिंदी के कमजोर होने की की जाती है तो कभी यूपीएससी में परीक्षा के माध्यम का और कभी रिजर्व बैंक के नोटों के पीछे भाषाओं के इस्तेमाल का। इस तरह, सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में आ जाती है। यह बात यूपीए सरकार के समय थी। परंतु भारतीय भाषाओं की पक्षधर मोदी सरकार से तो लोग कम-से-कम ऐसी उम्मीद नहीं करते। एक खबर के अनुसार, अभी हाल ही में केंद्र सरकार की एक हाई लेवल कमेटी ने बिहार की दो प्रमुख भाषाओं, भोजपुरी और अंगिका को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं करने की सिफारिश की है यानी उन्हें राजभाषा का दर्जा देने से इनकार किया है। सरकार ने इसी साल जनवरी में इन माँगों की जाँच के लिए गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इसमें गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय, साहित्य अकादेमी, राजभाषा विभाग और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा रजिस्ट्रार

जनरल ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी शामिल थे। पिछले महीने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने आठवीं अनुसूची में मौजूद 22 भाषाओं को शामिल करने की प्रक्रिया और मापदंडों को सही नहीं माना। कमेटी ने यह भी कहा कि इन भाषाओं को शामिल करने से हिंदी के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यह सिफारिश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक, भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग देश-विदेश के विभिन्न मंचों से निरंतर की जा रही है। संसद में अब तक 18 बार संसद सदस्यों द्वारा इस विषय पर निजी विधेयक पेश किये गए हैं। यूपीए एक और दो ने पाँच बार संसद में विभिन्न अवसरों पर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आश्वासन भी दिया। लेकिन इन तमाम प्रयासों व आश्वासनों के बावजूद, अभी तक भोजपुरी संविधान की आठवीं अनुसूची से दूर खड़ी है। 17 मई, 2012 को सरकार का पक्ष रखते हुए देश के तत्कालीन गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने यह आश्वासन दिया कि यूपीएससी कमेटी और सीताकांत महापात्र कमेटी, इन दोनों रिपोर्टों पर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे तथा मानसून सत्र में निर्णय की घोषणा करेंगे। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि इतने सकारात्मक और ठोस आश्वासन के बावजूद, पिछली सरकार ने भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर गंभीरता नहीं दिखाई और भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता से वंचित रखा। उन्होंने भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने का बिल तक पेश नहीं किया। भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव श्री आर.के. सिंह ने आश्वासन दिया था कि भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने वाले प्रस्ताव को जल्द ही कार्यान्वयन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि कई पैमानों पर भोजपुरी ठीक उतरती है इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। सवाल उठता है कि भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता के लिए ही इतनी छान-बीन और मानक क्यों? सरकार की मंशा पर शक होना स्वाभाविक है। भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता की राह में हिंदी को भी बेमतलब रोड़ा बनाने का प्रयास किया गया। जब भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का मुद्दा गंभीर रूप लेने लगा, हिंदी

के बहुत सारे विद्वान भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता का विरोध करते दिखाई दिए। कहा जाने लगा कि भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने से हिंदी कमजोर हो जाएगी। गंभीरता से विचार करें तो इस आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों, बिहार व झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं, क्रमशः मैथिली व संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिए जाने से हिंदी कमजोर हुई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। 8वीं अनुसूची में शामिल होकर भोजपुरी हिंदी का कोई अहित करेगी, यह कोरा भ्रम है। हिंदी और हिंदी क्षेत्र की लोकभाषाओं में कोई विरोध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात भोजपुरी की है तो भोजपुरी का हिंदी के साथ कभी कोई विरोध रहा ही नहीं है। इन दोनों भाषाओं में हमेशा से बहनों जैसा रिश्ता रहा है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार डॉ. केदारनाथ सिंह ने एक सम्मेलन में कहा था कि "भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश, न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को।" उनकी यह बात बहुत सटीक लगती है। घर-गाँव के विकास पर ही देश का विकास भी टिका हुआ है। घर-गाँव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हिंदी गंगा है और ये भाषाएँ वे छोटी-छोटी नदियाँ, जिनसे जल लेकर गंगा को अपना असली रूप प्राप्त होता है।

कहा गया कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से हिंदी का संख्याबल कम हो जाएगा, जिससे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तर्क में बहुत दम नहीं है। इसका आसानी से हल निकाला जा सकता है। जनगणना के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्र में भाषा संबंधी जानकारी के लिए दो कॉलम उपलब्ध हैं जिसमें से पहले कॉलम में मातृभाषा की जानकारी देनी होती है तथा दूसरे में अधिकतम उन दो अन्य भाषाओं की जानकारी देनी होती है जिन्हें संबंधित व्यक्ति जानता है। जनगणना के समय हिंदीभाषी राज्यों में पहले कॉलम में मातृभाषा के रूप में तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ही उल्लेख किया जाए जैसे कि भोजपुरी क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में भोजपुरी का उल्लेख किया जाए तथा दूसरे कॉलम में अन्य भाषा के रूप में हिंदी को दरशाया जाए और जब हिंदी के संख्याबल की बात हो तो दूसरे कॉलम के आँकड़े को इस मकसद के लिए प्रयोग किया जाए। इस प्रकार, हिंदी क्षेत्र की किसी लोकभाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल होने व

उसे मातृभाषा के रूप में दरशाए जाने पर भी हिंदी के संख्याबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट है कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से हिंदी के संख्याबल पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला है।

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता से रोकने के लिए उपरोक्त सभी बाधाएँ जान-बूझकर पैदा की गईं और ये बाधाएँ आज भी पैदा की जा रही हैं। इनमें न कोई दम है और न ही इनका कोई आधार दिखता है। भोजपुरी के पैरोकारों ने इन बाधाओं का समाधान प्रस्तुत कर इन्हें गलत साबित किया, परंतु फिर भी पिछली सरकार ने किसी-न-किसी तरह इस मामले को उलझाए रखा। इससे यह पता चलता है कि ऐसी समस्याओं की आड़ में पिछली सरकार में इस मामले को केवल टाला गया। वास्तव में सरकार के अंदर इस मुद्दे को लेकर इच्छाशक्ति की कमी थी। भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता की राह में मूल बाधा भी यही है। अगर सरकार इच्छाशक्ति दिखाती तो मामले का समाधान कब का निकल चुका होता।

अपने पिछले 10 साल के शासनकाल में बार-बार आश्वासन देने के बाद भी कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार ने 20 करोड़ लोगों की भाषा के साथ केवल मजाक ही किया। लेकिन अब देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो भारतीय भाषाओं की पक्षधर है। अब तक अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी को भारतीय भाषाओं से विशेष लगाव है। अपनी चुनावी सभाओं में उन्होंने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ही प्रयोग किया। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने पटना के ऐतिहासिक गाँधी मैदान में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी के अपने संबोधन से किया तो वहाँ उपस्थित जन-सैलाब ने करतल ध्वनि से इसका जोरदार स्वागत किया था। 12 मार्च, 2015 को अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान विश्व हिंदी सचिवालय भवन के निर्माण के आधारशिला समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा था 'दिल से निकलती है मातृभाषा'। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो 2 नवंबर, 2014 को मॉरीशस में अप्रवासी दिवस पर अपने संबोधन की शुरुआत ही भोजपुरी से की थी। सौभाग्यवश, यहाँ मैं भी उपस्थित था। ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस सरकार का भारतीय भाषाओं से गहरा लगाव

है। पिछली एनडीए सरकार ने ही वर्ष 2004 में संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से चार भाषाओं–बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर इन भाषाओं को जो मान-सम्मान दिया, वर्तमान सरकार से उसी मान-सम्मान की उम्मीद भोजपुरी को भी है।

'यूनेस्को' के आह्वान पर हर वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उक्त अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के प्रमुख समाचारपत्रों में अपना संदेश दिया और संदेश का वाक्य था–'पहला भाव मातृभाव, पहली भाषा मातृभाषा'। यह संदेश संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं में अंकित था। चूँकि भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है अतः यहाँ से भी वह नदारद रही। समाज में सूचना-प्रौद्योगिकी के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल उपकरणों और तकनीकों की उपलब्धता की आवश्याकता को देखते हुए संचार व सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 22 'भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास' कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भोजपुरी की मौजूदगी यहाँ भी नहीं है, क्योंकि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 16वीं लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि "अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी में शपथ लेना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि इस भाषा को संविधान मान्यता नहीं देता, इसलिए मैं चाहकर भी अपनी भाषा में शपथ नहीं ले पा रहा हूँ, जिसका मुझे दुख है।"

सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होने की वजह से भोजपुरी जो पीड़ा झेल रही है उसकी एक छोटी-सी तसवीर उपरोक्त उदाहरणों से उभरकर सामने आती है, पर पूरी तसवीर बहुत बड़ी है। दुखद है कि हिंदी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा तथा दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जिसे मॉरीशस जैसे देश में तो सांविधानिक मान्यता प्राप्त है, पर अपने ही देश में आज तक वह सांविधानिक मान्यता से वंचित है, जबकि इस मान्यता के लिए अपेक्षित सभी खूबियाँ इसमें विद्यमान हैं।

उत्तर प्रदेश के 17 जिलों, बिहार के 9 जिलों, झारखंड और मध्य प्रदेश के 2-2 जिलों सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरू और चेन्नै जैसे महानगरों समेत देश के सभी बड़े शहरों में भोजपुरीभाषी बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। विदेश की बात करें तो मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो व सूरीनाम आदि देशों में भी भोजपुरिया लोगों की भारी संख्या मौजूद है। भोजपुरी उनलोगों की भाषा है जिन लोगों ने देश की प्रगति और समृद्धि के हर क्षेत्र में हमेशा से अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मंगल पांडेय, वीर कुँवर सिंह जैसे भारत के स्वाधीनता संग्राम के बड़े सेनानी भोजपुरी क्षेत्र से थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और दो पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री चंद्रशेखर जी भी भोजपुरीभाषी थे। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जहाँ से सांसद हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र बनारस भी भोजपुरीभाषी क्षेत्र है।

भोजपुरी के पास समृद्ध साहित्य है, अपार शैक्षणिक सामर्थ्य है, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। लगभग आठ विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो रही है। 'इग्नू' की तरफ से फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। भोजपुरी भाषा और साहित्य लंबा सफर तय कर चुका है। गुरु गोरखनाथ, कबीर, रैदास, भिखारी ठाकुर से लेकर राहुल सांकृत्यायन, महेन्द्र मिश्र, मोती बी.ए. और गोरख पाण्डेय जैसे साहित्यकारों ने भोजपुरी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाया है। भिखारी ठाकुर को तो 'भोजपुरी का शेक्सपियर' भी कहा जाता है। भोजपुरी में औषधि, वास्तु, ज्योतिष, संगीत, नृत्य, कला, नाटक, योग, दर्शन, तंत्र-मंत्र और व्याकरण आदि हर तरह का साहित्य विद्यमान है। देश-विदेश में सैकड़ों की संख्या में भोजपुरी की पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है, भोजपुरी की अनेक वेबसाइटें चल रही हैं, भोजपुरी में अनेक ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। भोजपुरी की उपयोगिता और दिन-प्रतिदिन उसके बढ़ रहे प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब अपने विज्ञापन भोजपुरी में भी बना रही हैं। भोजपुरी के कई टीवी चैनल चल रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी के चैनल भी खास अवसरों पर भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। अभी हाल ही में होली एवं विश्व कप क्रिकेट के दौरान लगभग सभी प्रमुख हिंदी समाचार चैनलों पर भोजपुरी के

कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देखा गया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कड़ा टक्कर दे रही है और लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी बनी है। यह सब भोजपुरी की ताकत और उसकी लोकप्रियता का जीता-जागता प्रमाण है। यह एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक रूप से अत्यंत सशक्त और समृद्ध भाषा है।

मॉरीशस में 14 जून, 2011 को भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन यह बहुत दुख और पीड़ा की बात है कि भोजपुरी अपने मूल देश भारत में अभी तक अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जबकि इस मान्यता के लिए जरूरी सब विशेषताएँ इसमें विद्यमान हैं। आज 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या 22 है और इन भाषाओं में कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनसे भोजपुरी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। इस अनुसूची में जिन आठ भाषाओं को बाद में शामिल किया गया, 2001 के जनगणना के अनुसार, इन आठ भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या मात्र 3 करोड़ 16 लाख 44 हजार 7 सौ 47 है, जबकि भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या आज 20 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है। नेपाली और सिंधी भारतीय मूल की भाषाएँ न होते हुए भी आठवीं अनुसूची का हिस्सा हैं। इसे देखते हुए भोजपुरी का आठवीं अनुसूची में न होना अखरता है।

वर्तमान लोकसभा में भाषा के प्रति कुछ उत्साही सांसदों में सर्वश्री जगदंबिका पाल एवं अर्जुन मेघवाल की एक बैठक में मैं उपस्थित था, जहाँ दोनों सांसदों ने भोजपुरी, राजस्थानी एवं भोटी भाषाओं की सांविधानिक मान्यता को जनाकांक्षा का सम्मान व वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रपत्र दिनांक 27.03.2012 से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों से अनुशंसित होकर जिन आठ भाषाओं के नाम प्रस्तावित हैं उनमें उपरोक्त तीन भाषाएँ विश्व के अन्य देशों क्रमशः मॉरीशस, नेपाल एवं भूटान में मान्यताप्राप्त हैं। जिन तीन भारतीय भाषाओं को दुनिया के अन्य देशों ने मान्यता देकर सम्मानित किया है उनका अपने उद्गम देश में मान्यता के लिए बाट जोहना उचित नहीं होगा। अतः इन आधारों पर भोजपुरी, राजस्थानी एवं भोटी भाषाओं को अविलंब मान्यता दी जानी चाहिए।

एक बात और जो काफी महत्वपूर्ण है वो यह कि प्रजातंत्र में बहुसंख्यक जनता की इच्छा, आकांक्षा और उनके मनोभाव का खयाल रखना जरूरी होता है। यूपीए की पिछली सरकार ने कई स्तरों पर जनाकांक्षा की उपेक्षा की, जिसका खामियाजा उन्हें बाद के सभी चुनावों में भुगतना पड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है। बिहार के राजनीतिक दलों ने भी इसे गंभीरता से लिया है और भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता न मिलने को बिहार की जनता के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में केंद्र को समय रहते सही निर्णय लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी, क्योंकि इस सरकार की स्थापना का आधार ही जनाकांक्षा का उभार रहा है।

दिल्ली न्यूजट्रैक, फरवरी, 2017

संस्कृति जहाँ साँस लेती है

यह आजादी का अमृत वर्ष है। इसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन-संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी के साथ झारखंड सरकार द्वारा अन्याय भी किया जा रहा है। झारखंड में पहले भोजपुरी को द्वितीय राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। पर, अब दो भाषाओं—भोजपुरी और मगही—को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। ऐसा सियासी हित साधने के लिए किया गया है। नतीजतन, भाषायी अस्मिता को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है। झारखंड के बोकारो और धनबाद में हाल में ही हुआ संघर्ष इसका उदाहरण है।

केन्याई लेखक न्गूगी वा थ्योंगो हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं। मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए वे कहते हैं, “जब मैं उनकी भाषा में लिखता था, तो उन सबका प्रिय लेखक था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मातृभाषा में लिखा, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तब मेरी समझ में आया कि आजादी तक सिर्फ मातृभाषा के जरिए ही पहुँचा जा सकता है।” महात्मा गांधी ने कहा था, “राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छिन जाता है।” बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनेस्को का मानना है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का आधार उनकी मातृभाषा होना चाहिए, तभी प्रारंभिक और आधारभूत शिक्षा कारगर और प्रभावशाली हो सकती है। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ती

है। लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी भोजपुरीभाषी अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने के अधिकार से इसलिए वंचित हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा को अब तक सांविधानिक मान्यता नहीं मिली है।

एक हजार साल से पुरानी भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, यह अपने मूल परिवेश में ही सरकारी उपेक्षा की शिकार है। बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह के पहल की कोई सूचना नहीं है। मॉरीशस सरकार ने 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी और अभी वहाँ के सभी ढाई सौ सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की है। कहना न होगा कि मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत-गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन एक सौ साठ देशों ने अनुमोदित किया है।

भोजपुरी को मॉरीशस के अलावा नेपाल में भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मगर भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता ही नहीं दे रही। भाषायी साम्राज्यवाद के इस दौर में जहाँ हम आज अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे खो रहे हैं, वैसे ही मातृभाषा को भी खो रहे हैं। यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त भाषाओं पर 2010 में जारी की गई 'इंटरेक्टिव एटलस रिपोर्ट' बताती है कि अपनी भाषाओं को भूलने में भारत शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे पर इंडोनेशिया है। रिपोर्ट में यह जिक्र है कि विश्व की कुल छह हजार भाषाओं में से ढाई हजार पर आज विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एक सौ निन्यानबे भाषाएँ और बोलियाँ ऐसी हैं, जिन्हें अब महज दस लोग और एक सौ अठहत्तर को दस से पचास लोग ही समझते-बोलते हैं।

यहाँ चिंता का विषय यह भी है कि ऐसे क्या कारण और परिस्थितियाँ रहीं की 'बो' और 'खोरा' भाषाओं की जानकार दो महिलाएँ ही बची रह पाईं? वे अपनी पीढ़ियों को उत्तराधिकार में अपनी मातृभाषाएँ क्यों नहीं दे पाईं? दरअसल, मातृभाषाएँ संस्कृति का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें बचाना हमारे लिए आवश्यक है। अगर कोई भाषा खत्म होती है तो उसके साथ पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी।

रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था—"प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और

सबके लिए हिंदी।" लेकिन यह अब तक हो नहीं सका है। अंग्रेजी का दबदबा अब तक कायम है और अंग्रेजी की भाषायी उपनिवेश को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल पा रही है। तथ्य यह है कि बीते चार-पाँच दशक में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। इस दौरान देश की पाँच सौ भाषाओं-बोलियों में से लगभग तीन सौ पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और एक सौ नब्बे से ज्यादा आखिरी साँसें ले रही हैं। पिछली जनगणना के अनुसार देश के सवा अरब लोग साढ़े सोलह सौ मातृभाषाओं में बात करते हैं।

कहना न होगा कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है—संकल्प शक्ति का और संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है; विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग उसकी अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की माँग है।

जनसत्ता, 21 फरवरी, 2022

सरकारी अपेक्षा और मातृभाषाओं की चुनौतियाँ

आज विश्व मातृभाषा दिवस है, अतः आज भारत में मातृभाषाओं की स्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता और वर्तमान चुनौतियों पर विमर्श करने का समय है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषायी विविधता भारत की गौरवशाली परंपराओं का हिस्सा है। मगर विभिन्न कारणों से भारत की अनेक मातृभाषाएँ सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रही हैं। हजारों साल की गुलामी के दौरान भी अपनी आंतरिक ताकत के बल पर जीवित अनेक मातृभाषाओं के विलुप्त होने का खतरा मँडराने लगा है, वहीं अनेक भाषाएँ आजादी के 75 सालों के बाद भी विषमतापूर्ण नीतियों के कारण अपनी स्वाभाविक उन्नति से वंचित हैं। यह अंधकारपूर्ण स्थिति बहुत चिंताजनक है।

यह कटु सत्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए है। तथ्य यह है कि बीते चार-पाँच दशक में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। 2011 के जनगणना के अनुसार, देश के सवा अरब लोग 1,652 मातृभाषाओं में बात करते हैं। हमारी मातृभाषा 'भोजपुरी' इस अन्याय की सबसे बड़ी शिकार है। साथ ही, भोजपुरी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से अनेक लोकभाषाओं को गुजरना पड़ रहा हैं। ये बातें चिंतनीय हैं, जिसके लिए जनजागृति की बहुत अधिक जरूरत है।

आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर आइए हम सब अपनी-अपनी मातृभाषाओं के पक्ष में यथासंभव अपनी आवाज बुलंद करें। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू जी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि "अपनी मातृभाषाओं को संरक्षित करके ही संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जा सकती है। भाषा

संस्कृति को मजबूत करती है एवं संस्कृति समाज को मजबूत करती है। हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है।" उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सबसे अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा है, लेकिन हमें हिंदी के साथ-साथ अपनी मातृभाषाओं में पठन-पाठन, बोलने एवं सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है।

आजादी के बाद अब तक मातृभाषाओं के विषय में विभिन्न सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय समय-समय पर लिये गए हैं, जिनमें विभिन्न भाषाओं की सांविधानिक मान्यता हेतु आठवीं अनुसूची का प्रावधान वर्ष 1950 से लागू हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रावधान वर्ष 2004 से लागू हुआ। एक अन्य फैसले के अनुसार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 से लागू की गई। विदित हो कि भारत 2011 की जनगणना का लेखा-जोखा वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार हिंदी की प्रमुख सहभाषा के रूप में भोजपुरी, राजस्थानी एवं छत्तीसगढ़ी का स्थान है।

वर्ष 1950 अर्थात संविधान लागू होने के समय आठवीं अनुसूची में जिन 14 भाषाओं को स्थान मिला था उनके नाम हैं—असमिया, बाँग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू। कालांतर में जिन चार भाषाओं को जोड़ा गया वे हैं सिंधी, कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी। वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को भी जोड़ा गया। इस प्रकार, कुल 22 भाषाओं को वर्तमान में भारत में सांविधानिक मान्यता प्राप्त है। जनगणना 2011 के अनुसार, जिन आठ भाषाओं को बाद में शामिल किया गया उन्हें बोलने वालों की कुल संख्या अकेले भोजपुरी बोलने वालों की संख्या से भी काफी कम है। ये कटु सत्य है कि आजादी के 75 वर्ष बाद तक भी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है एवं आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु कोई स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं है।

भोजपुरी लगभग 13 सौ साल पुरानी 16 देशों में प्रचलित भाषा है, जो

हिंदी की सबसे बड़ी सहभाषा है। भोजपुरी को बिहार सरकार ने, राजस्थानी को राजस्थान सरकार ने एवं छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के पास मान्यता दिए जाने हेतु अनुशंसा काफी पहले से भेजी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी को मॉरीशस और नेपाल सरकार द्वारा एवं राजस्थानी को नेपाल सरकार द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत-गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार की पहल पर मॉरीशस के सभी सरकारी विद्यालयों में भोजपुरी भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था भी लागू है। 1969 से आज तक संसद में भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता हेतु 19 बार निजी विधेयक पेश हुए हैं। इसके अतिरिक्त, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए एवं शून्य काल में भी इस विषय को अनेक बार उठाया गया है। कई बार विभिन्न सरकारों द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। प्रसिद्ध भाषाविद् गणेश देवी ने कहा है कि वर्तमान में भोजपुरी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। जो ढेरों सुविधाएँ मान्यता प्राप्त भाषाओं को मिलती हैं, भोजपुरी, राजस्थानी एवं छत्तीसगढ़ी जैसी हिंदी की सहभाषाएँ उन सुविधाओं से अब तक वंचित हैं।

हमारी मातृभाषाएँ सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं हैं, बल्कि हमें हमारी विरासत से जोड़ती हैं, हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रशासन तक, हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अपने विचारों, अपने भावों को रचनात्मक रूप से अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर हर भारतीय को संकल्प लेना चाहिए कि हमें हर हाल में अपनी-अपनी मातृभाषाओं की समृद्धि, उन्नति, प्रचार, प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देना होगा और सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि सरकारी नीतियों में सुधार करते हुए मातृभाषाओं के प्रति हो रहे असंतुलन को रोका जाना चाहिए, ताकि मातृभाषाओं को यथोचित न्याय मिल सके।

नया इंडिया, 21 फरवरी, 2022

सोपान—तीन : समाधान

भोजपुरी बोलने वालों की हकमारी

हाल ही में नेपाल के नवनिर्वाचित सांसदों ने अपनी मातृभाषा में शपथ ली। नेपाल की 107 सदस्यीय संसद में 47 सदस्यों ने मैथिली, 25 ने भोजपुरी और 11 ने हिंदी में शपथ ली, जबकि नेपाली में शपथ लेने वाले 24 सदस्य ही थे। भारत में 16वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में जब भोजपुरीभाषी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी में शपथ लेना चाहा तो इजाजत नहीं मिली। इसी तरह, राज्यसभा में राजीव प्रताप रूडी ने भोजपुरी में पद और गोपनीयता की शपथ लेने की कोशिश की तो उन्हें भी निराशा हाथ लगी। दोनों स्थितियाँ भोजपुरी के प्रति दो देशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रही हैं।

भोजपुरी वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में ही सरकारी उपेक्षा की शिकार है। ऐसा नहीं है तो फिर गत वर्ष बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की पहल करने की कोई सूचना क्यों नहीं है। गौरतलब है कि 2 मार्च, 2017 को बिहार सरकार ने भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया। वहीं झारखंड सरकार ने भी इसे द्वितीय भाषा का दर्जा देने का संकल्प जाहिर किया है। दूसरी ओर, मॉरीशस सरकार ने 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी और वहाँ सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की है।

कहना न होगा कि मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। दूसरी

ओर, भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता तो नहीं दे रही है, लेकिन भोजपुरी कलाकारों/साहित्यकारों को पद्‌म पुरस्कारों से सम्मानित कर भोजपुरी के प्रति अपनी सद्-इच्छाओं को जरूर जाहिर कर रही है। बीते साल केंद्र सरकार की पहल पर दिल्ली में भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इससे जाहिर होता है कि 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही सरकार भोजपुरी कला का सम्मान तो कर रही है, लेकिन भोजपुरी भाषा को लेकर उसने अभी कोई ठोस पहल नहीं की है। सरकारी मान्यता नहीं होने से भोजपुरीभाषी करोड़ों बच्चे अपनी मातृभाषा में 'भारतवाणी पोर्टल और ऐप' जैसे नवाचारों का लाभ उठाने से वंचित हैं।

गौरतलब है कि भारतवाणी पोर्टल और ऐप के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में शिक्षण-सामग्री एवं ऑडियो-विजुअल पाठ्‌य उपलब्ध कराया जा रहा है। अप्रैल, 2017 में किये गए एक अध्ययन में यह सामने आया कि 2021 तक देश में 75 प्रतिशत लोग अपनी मातृभाषाओं में इंटरनेट प्रयोग कर रहे होंगे और अगले 5 वर्षों में इंटरनेट पर आने वाले 10 में से 9 लोग भारतीय भाषा में इंटरनेट प्रयोग करना चाहेंगे। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान सुगम होता है। इसकी स्मृतियाँ लंबे समय तक हमारे मन-मस्तिष्क में मौजूद रहती हैं। 'यूनेस्को' ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

इसमें उल्लेखित है, 'मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है।' बावजूद इसके, हिंदी के बाद देश-विदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भोजपुरी को इस 'भारतवाणी' कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। नतीजतन, करीब 20 करोड़ भोजपुरीभाषी लोगों के लिए उनकी मातृभाषा में कोई पाठ्‌य-सामग्री मौजूद नहीं है। ऐसा कर हमारी सरकार यूएन चार्टर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, "चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने

की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि वह रोजगार की गारंटी देती है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ।" ऐसे में सवाल यह उठता है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में, जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। विदित हो कि पूर्व में मैथिली, संथाली, बोडो और कोंकणी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

आज संसद के भीतर भोजपुरी की ताकत दिखती है, भोजपुरी के प्रति सम्मान दिखता है, भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की माँग उन क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों के अंदर हिलोरें मारती प्रतीत होती है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। भोजपुरी एक विशाल भूखंड की भाषा है। लिहाजा, उसकी महत्ता और विस्तार के कारण ही इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर सांविधानिक भाषा का दर्जा देने की माँग उठती रही है। 1969 से ही अलग-अलग समय पर सत्ता में आई सरकारों ने भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दशकों गुजर जाने के बाद भी 1000 साल पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली और भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी आज भी सांविधानिक मान्यता से वंचित है। अगर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो निःसंदेह उसके सुखद परिणाम होंगे।

एक तो भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा हासिल हो जाएगा। दूसरे, इससे क्षेत्रीय भाषा का विकास होगा। साथ ही कला, साहित्य और विज्ञान को समझने-सँवारने में मदद मिलेगी। यह सर्वविदित है कि बोलियाँ भाषाशास्त्र की दृष्टि से भाषाएँ ही हैं, पर राजनीतिक नजरिए से 'बोलियाँ' साबित की जाती हैं। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष का विरोध है और न उसे कमजोर करने की कोशिश या फिर उसे बाँटने की राह है। यह माँग तो सिर्फ भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की माँग है। उम्मीद है कि 'सबका साथ, सबका विकास' के ध्येय वाक्य से प्रेरित केंद्र सरकार भोजपुरी की सुध लेगी।

राष्ट्रीय सहारा, 21 फरवरी, 2018

दशकों पुरानी माँग अब मोदी से पूरी होने की आस

17वीं लोकसभा में एनडीए को मिले विशाल बहुमत में भोजपुरीभाषी क्षेत्रों का अहम योगदान रहा है। भोजपुरीभाषी 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 36 पर एनडीए जीती है। पिछले दो लोकसभा चुनावों के दौरान भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दिलवाने का वादा विभिन्न मंचों से बीजेपी समेत तमाम दलों के बड़े नेताओं ने किया है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी इन क्षेत्रों में रैलियों में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से करते रहे हैं। अफसोस कि भोजपुरी केवल चुनाव प्रचार तक ही सीमित रही। केंद्र की मौजूदा सरकार में शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गए आश्वासनों के बावजूद भोजपुरी अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई। मोदी सरकार ने चुनाव में जनता से बहुत सारे वादे किए थे, जिनमें से अधिकतर वादे पूरे भी हुए, लेकिन भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने का वादा अभी भी अधूरा ही है।

देश में उपेक्षा, विदेशों में सम्मान

विडंबना देखिए कि विदेशों में भोजपुरी को पूरा सम्मान मिल रहा है। भोजपुरी को मॉरीशस और नेपाल में सांविधानिक मान्यता मिली हुई है। पिछले साल नेपाल के नवनिर्वाचित सांसदों ने अपनी मातृभाषा अर्थात मैथिली, हिंदी, नेपाली के अलावा भोजपुरी में भी शपथ ली थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में भोजपुरिया सांसद चाहकर भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते, क्योंकि संसद में कोई सांसद उन्हीं भाषाओं में शपथ ले सकता है जिन्हें सांविधानिक

मान्यता प्राप्त हो। ऐसे में सवाल यह है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है?

मॉरीशस सरकार ने 2011 में भोजपुरी भाषा को मान्यता प्रदान करते हुए वहाँ की सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था की है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही 160 देशों के समर्थन से भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया। भाषाविद् प्रोफेसर गणेश देवी के मुताबिक, वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में ही भोजपुरी भाषा भारत सरकार की उपेक्षा का शिकार है। गौरतलब है कि 2017 में बिहार सरकार ने भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। इस पर क्या कदम उठाये गए, इसकी कोई जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। झारखंड सरकार ने भी कुछ अन्य भाषाओं के साथ भोजपुरी को पिछले साल द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है।

50 साल पुरानी माँग

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने की माँग संसद में 50 साल से उठती रही है। 1969 में लोकसभा सांसद भोगेंद्र झा ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इस मुद्दे को संसद में उठाया था। 1969 से लेकर आज तक संसद में इस विषय पर 18 बार निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। इनके अलावा, कई बार स्पेशल मेंशन, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये और अनेक बार शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है। अपने 10 साल के शासन में पिछली यूपीए सरकार ने 5 बार संसद में विभिन्न अवसरों पर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। एक बार तो गृहमंत्री तक ने संसद के पटल पर कहा, "हम रउआ सभे के भावना के समझत बानी।" लेकिन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। तमाम अपनत्व दिखाने के बावजूद, यूपीए सरकार भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता संबंधी बिल तक संसद में पेश नहीं कर पाई।

50 साल बाद भी भोजपुरी के लिए कुछ नहीं बदला। गूगल की एक स्टडी के अनुसार, 2021 तक देश में 75 प्रतिशत लोग अपनी मातृभाषा में इंटरनेट

का प्रयोग कर रहे होंगे। आज भारतवाणी पोर्टल/ऐप के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में शिक्षण-सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जाहिर है, भोजपुरी भाषा को भारतवाणी कार्यक्रम के माध्यम के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में भोजपुरीभाषी जनमानस इसका प्रयोग करने से वंचित है, जबकि मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मूल अधिकार है।

वर्तमान सरकार से उम्मीद

केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। पिछले सत्र से राज्यसभा की कार्यवाही आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में दर्ज की जा रही है। इससे पहले सदन की कार्यवाही महज 17 भाषाओं में ही दर्ज की जाती थी, लेकिन अब संथाली, डोगरी, कोंकणी, कश्मीरी और सिंधी को भी जोड़ दिया गया है। बेशक यह प्रशंसनीय और स्वागत योग्य कदम है और यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसी प्रतिबद्धता को देखते हुए भोजपुरीभाषी सांसदों ने प्रधानमंत्री को भोजपुरी की मान्यता देने के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में यह जिक्र है कि वैसी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए जो विदेश में भी मान्यता प्राप्त हों और राज्य विधानसभा से अनुमोदित हों। इस पैरामीटर पर भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी जैसी भाषाएँ खरी उतरती हैं, जिन्हें क्रमशः मॉरीशस और नेपाल तथा भूटान में मान्यता प्राप्त है। राजस्थानी को नेपाल में सांविधानिक दर्जा हासिल है तो भोटी को भूटान की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। किसी भी भाषा को सांविधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शर्तें क्या हैं, भारतीय संविधान में कौन-से प्रावधान हैं, मातृभाषा को लेकर यूएन चार्ट क्या कहता है, इन सवालों के विश्लेषण के बाद हम यह कह सकते हैं कि भोजपुरी उन सारी शर्तों को पूरी करती है, जिनके आधार पर इसे सांविधानिक मान्यता मिल सकती है।

नवभारत टाइम्स, 29 जून, 2019

अस्मिता का सवाल

हाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 'भारत की राष्ट्रीयता किसी एक भाषा और एक धर्म पर आधारित नहीं है। यह 1.3 अरब लोगों का 'शाश्वत सर्वहितवाद' है, जो हर रोज 122 भाषाओं और 1600 बोलियाँ बोलते हैं।' उनका यह कथन कई मायनों में ऐतिहासिक है। इससे भी ज्यादा इसे प्रासंगिक और पथप्रदर्शक प्रवाह के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति, आस्था और भाषा की बहुलता ही भारत को विशेष बनाती है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति के इस कथन की चर्चा का मकसद इसमें उनके द्वारा गिनायी गई भारत की 122 भाषाओं के साथ-साथ 1600 बोलियों में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भोजपुरी की अस्मिता को लेकर है। इस क्रम में केंद्र सरकार की चिंता भी बार-बार सामने आती रही है। प्रधानमंत्री जब भी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी जनसभा को संबोधित करने गए, तो शुरुआत भोजपुरी से ही करते रहे हैं। दरअसल, वर्तमान सरकार शुरू से इस बात की पक्षधर रही है कि राज्यों की स्थानीय भाषाओं और विशेषकर हर राज्य की मातृभाषा को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मातृभाषाओं के प्रति केंद्र का यह दृष्टिकोण बहुत अर्थ रखता है। लोक और स्थानीय भाषा के मरते जाने के इस समय में अगर सरकार इस प्रकार की सोच रखती है, तो इससे शुभ भला क्या हो सकता है!

भाषाविद् गणेश देवी ने कहा कि वर्तमान में भोजपुरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में यह सरकारी

उपेक्षा की शिकार है। अगर ऐसा नहीं तो फिर पिछले साल बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की पहल करने की कोई सूचना क्यों नहीं है। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने भोजपुरी सहित कुछ अन्य लोकभाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है।

कहना न होगा कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प-शक्ति का और संकल्प-शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिये जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे भी नहीं हो पाते।

गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया है। वहीं मॉरीशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी और अभी मॉरीशस के सभी ढाई सौ सरकारी हाई स्कूल में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार की पहल पर ही 'यूनेस्को' ने भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन एक सौ साठ देशों ने अनुमोदित किया।

दूसरी ओर, भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता तो नहीं दे रही है, पर उसके कलाकारों/साहित्यकारों को पद्‌म पुरस्कारों से सम्मानित कर भोजपुरी के प्रति अपनी सदिच्छा जाहिर कर रही है। अभी हाल में भोजपुरी-कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा को पद्‌मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बीते वर्ष लोकगायिका मालिनी अवस्थी को पद्‌मश्री का सम्मान प्रदान किया गया। वयोवृद्ध भोजपुरी हिंदी साहित्यकार कृष्ण बिहारी मिश्र को भी इस वर्ष पद्‌मश्री से सम्मानित किया गया। बीते साल केंद्र सरकार की पहल पर दिल्ली में भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के इन कदमों से यह जाहिर होता है कि वह भोजपुरी कला का सम्मान तो कर रही है, लेकिन भोजपुरी भाषा को लेकर उसने कोई ठोस पहल नहीं की है। केवल सरकारी मान्यता न होने की वजह से भोजपुरीभाषी करोड़ों बच्चे अपनी मातृभाषा में 'भारतवाणी पोर्टल और ऐप' जैसे नवाचारों का लाभ

उठाने से वंचित हैं। गौरतलब है कि भारतवाणी पोर्टल और ऐप के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में शिक्षण-सामग्री और दृश्य-श्रव्य पाठ उपलब्ध कराया जा रहा है।

अप्रैल, 2017 में किये गए एक अध्ययन में यह सामने आया कि 2021 तक देश में पचहत्तर फीसद लोग अपनी मातृभाषा में इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे और अगले पाँच वर्षों में इंटरनेट पर आने वाले दस में से नौ लोग अपनी भारतीय भाषा में इंटरनेट का उपयोग करना चाहेंगे। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान सुगम्य होता है। इसकी स्मृतियाँ लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती है।

'यूनेस्को' ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें उल्लेख है कि 'मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है।' बावजूद इसके, हिंदी के बाद देश और विदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी को इस 'भारतवाणी' कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। नतीजतन, करीब बीस करोड़ भोजपुरीभाषी लोगों के लिए उनकी मातृभाषा में कोई पाठ्य-सामग्री मौजूद नहीं है। ऐसा कर हमारी सरकार यूएन चार्टर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

अभी हाल में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि "चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार की गारंटी देती है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ।" ऐसे में सवाल है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। विदित हो कि इससे पहले मैथिली, संथाली, बोडो और कोंकणी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

यह भी सर्वविदित है कि बोलियाँ भाषाशास्त्र की दृष्टि से भाषाएँ ही हैं, पर राजनीतिक नजरिये से उन्हें 'बोलियाँ' साबित करने का प्रयास होता रहा

है। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष का विरोध है और न ही उसे कमजोर करने की कोशिश या फिर उसे बाँटने का प्रयास है। यह तो सिर्फ भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की माँग है।

जनसत्ता, 17 जून, 2018

भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता है स्वाभिमान व अस्मिता का प्रश्न

यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 151वाँ जयंती वर्ष है। बापू कहते थे कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। वे भारतीय मातृभाषाओं के सबसे प्रबल समर्थक थे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बापू के इस देश में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारतीय भाषा भोजपुरी अपने हक से अब तक बेदखल है। भोजपुरी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। आजादी के सात दशक बाद भी भोजपुरी का संघर्ष जारी है। भोजपुरी, 1000 साल से भी पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भाषा-वैज्ञानिक प्रो. जीएन देवी का कहना है कि भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। मॉरीशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी है। अभी मॉरीशस के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत-गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से करीब 160 देशों ने अनुमोदित किया। भोजपुरी को मॉरीशस के अलावा नेपाल में भी सांविधानिक मान्यता प्राप्त है। वहीं झारखंड सरकार ने 'भोजपुरी' को अपने प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल कर सम्मान दिया है। विडंबना ये है कि दुनिया में जिस भाषा को लगभग 20 करोड़ लोग बोलते हों, उसे अपने ही देश में

अभी तक सांविधानिक मान्यता नहीं मिली है। अभी हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में गृहमंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी भाषा के लिए कोई तय मानदंड नहीं है। लेकिन बगैर किसी तय मानदंड आठ भाषाओं (सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो) को समय-समय पर आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोजपुरी की मान्यता की जब बात होती है तो गृहमंत्रालय तय मानदंड न होने का बहाना क्यों बनाता है। ये जाहिर है कि आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए महज राजनीतिक इच्छाशक्ति ही अघोषित तौर पर सबसे प्रभावी मानदंड है। आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने 1996 में पाहवा कमेटी एवं 2003 में सीताकांत महापात्रा कमेटी का गठन किया था। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार अनिर्णित रही। शास्त्रीय भाषाओं के लिए सीताकांत महापात्रा कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए छठी शास्त्रीय भाषा के रूप में ओड़िया को मान्यता दी। गौरतलब है कि पूर्व में संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगू और मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सीताकांत महापात्र स्वयं ओड़ियाभाषी हैं, ऐसे में अगर उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी मातृभाषा के पक्ष में रिपोर्ट देती है तो पक्षधरता का सवाल तो उठेगा ही। आखिर क्या कारण रहा कि एक ही व्यक्ति की अध्यक्षता में बनी दो कमेटी में से एक की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तो दूसरे को दुत्कार दिया जाता है। यह कहीं-न-कहीं निहित स्वार्थ का मामला भी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था—प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। लेकिन यह अब तक नहीं हो सका है। अंग्रेजी का दबदबा अब तक कायम है और अंग्रेजी की भाषायी औपनिवेशिकता को कहीं से कोई चुनौती भी नहीं मिल पा रही है। उलटे, अब ये हो रहा है कि हिंदी को भोजपुरी, मैथिली जैसी लोकभाषाओं के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की राजनीति को भी चिह्नित किया जाना आवश्यक है। हमें लगता है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अपनी भाषा को

लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए। अब वक्त आ गया है कि भाषा संबंधी ठोस नीति बने और उसको बगैर किसी पूर्वाग्रह के लागू किया जाए। हिंदी के कुछ स्वघोषित मठाधीश द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर होगी। अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि भोजपुरी की मान्यता से हिंदी को कोई भी खतरा नहीं है। यह एक बड़े जनमानस के स्वाभिमान व अस्मिता का प्रश्न है। इससे हिंदी कहीं से विखंडित नहीं होने वाली है। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार केदारनाथ सिंह बेहिचक यह स्वीकार करते थे कि 'भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश। न घर को छोड़ सकता हूँ, न देश को।' उनकी यह स्वीकारोक्ति एकदम सटीक प्रतीत होती है। हिंदी-भोजपुरी के पारस्परिक संबंध को ऐसे समझा जाए कि हिंदी गंगा है और भोजपुरी जैसी अन्य लोकभाषाएँ सहायक नदी हैं, जिनसे जल लेकर गंगा अपने असली वैभव को प्राप्त करती है। भारतीय परंपरा में भाषा को माता का स्वरूप माना गया है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। इसमें मातृभाषाओं में पठन-पाठन का जिक्र तो है, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं रखी गई है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और उसका सौभाग्य भी।

हाल ही में भोजपुरी नाट्य कलाकार एवं भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली के 96 वर्षीय सदस्य रामचंद्र माँझी को पद्मश्री मिलने की घोषणा हुई। रामचंद्र माँझी ने कहा कि अगर भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो वह मेरे लिए पद्मश्री से भी बड़ा सम्मान होगा, उस दिन मुझे सर्वाधिक खुशी मिलेगी। 2018 में पद्मभूषण से सम्मानित लोकगायिका शारदा सिन्हा ने भी कहा था कि सरकार भोजपुरी कलाकारों को तो सम्मान दे ही रही है अब भोजपुरी को मान्यता देकर उसको भी सम्मान देने की जरूरत है। बीते महीने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के भोजपुरिया मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में ही की। वहीं अभी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन को रोचक बनाने के लिए प्रधानमंत्री

मोदी ने भोजपुरी कहावत 'खेलब ना खेले देहब, खेलवे बिगाड़ब' का उल्लेख किया। भोजपुरी वाचिक परंपरा ऐसे अकूत खजानों से भरी पड़ी है। अगर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उस ज्ञान-परंपरा का अनुवाद के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं में भी विस्तार होगा। लिहाजा, ये जरूरी है कि केंद्र सरकार भोजपुरी की मान्यता के संबंध में सद्भावनापूर्वक व्यवहार करे और उसे मान्यता देकर जल्द ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे। केंद्र की वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास को अपना ध्येय वाक्य मानती है। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार में शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गए आश्वासनों के बावजूद भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता का वादा अभी भी अधूरा ही है। ऐसे में जरूरत है इस अवसर पर सरकारी संजीदगी की, ताकि भोजपुरी भी उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़े सके। अगर ये सुविधाएँ भोजपुरी को भी प्राप्त होंगी, तो यह रोजगार और ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनने में सक्षम साबित होगी।

राष्ट्रीय सहारा, 21 फरवरी, 2021

भोजपुरीभाषियों को भी मिले मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार

केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। बीते 34 साल से हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इस नई शिक्षा नीति का व्यापक असर होगा। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी परिघटना प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय और मातृभाषा को बढ़ावा देना है। 'यूनेस्को' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ज्ञान-विज्ञान मातृभाषा में होता है तो आप जल्दी सीखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना बेहद सराहनीय कदम है। देश के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी मातृभाषाओं के प्रयोग और संवर्धन के लिए काफी मुखर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक ट्वीट भी किया, "मैं एक बात पर हमेशा जोर देता रहा हूँ कि हर किसी को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। यह समय की जरूरत है। अंग्रेजी भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, आप सीखिए, पर फोकस अपनी मातृभाषा पर होना चाहिए।" यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान सुगम्य होता है। इसकी स्मृतियाँ लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती हैं। 'यूनेस्को' ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस बात की स्पष्टता नहीं है कि मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जो बात की गई है उसका आधार क्या

होगा। क्या इसके अंतर्गत आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ ही सम्मिलित होंगी या फिर गैर-मान्यताप्राप्त भाषाओं में भी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी? ऐसे में सवाल यह है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। बावजूद इसके, 20 करोड़ भोजपुरीभाषियों के लिए उनकी मातृभाषा में कोई पाठ्य-सामग्री मौजूद नहीं है। ऐसा कर हमारी सरकार यूएन चार्टर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मॉरीशस सरकार ने 2011 में भोजपुरी भाषा को मान्यता प्रदान करते हुए वहाँ के सभी 250 सरकारी हाईस्कूलों में भोजपुरी भाषा के पठन-पाठन इत्यादि की व्यवस्था की है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही एवं अन्य 160 देशों के समर्थन से भोजपुरी 'गीत गवनई' को दिसंबर, 2016 से विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा UNESCO द्वारा दिया गया। भाषाविद् प्रोफेसर गणेश देवी के मुताबिक, वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने मूल परिवेश में ही भोजपुरी, भारत सरकार की उपेक्षा का शिकार है। गौरतलब है कि 2017 में बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता हेतु केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव पर किसी कार्यवाही की कोई जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है। ज्ञान मनन से बढ़ता है और मनन के लिए पारस्परिक आदान-प्रदान आवश्यक है। यह आदान-प्रदान और विचार-विनियम जितना व्यापक मातृभाषा द्वारा हो सकता है उतना दूसरी भाषा द्वारा नहीं हो सकता। इसी 1 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि वैसे भी आज GDP के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर देश अपनी गृहभाषा, मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी बल देते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए उसके बाद हिंदी और जरूरत के हिसाब से, फिर अंग्रेजी। लेकिन बीते कई दशकों से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इसके ठीक विपरीत स्थिति में है। वर्तमान में हमारी आरंभिक शिक्षा अंग्रेजी में, उसके

बाद हिंदी और जरूरत या यूँ कहें कि शौक के हिसाब से हम बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य पत्र के रूप में मातृभाषा को पढ़ते हैं। बहरहाल, अपने देश में आर्थिक असंतुलन है। इसकी वजह यह भी है कि हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा नहीं है। हम विचार किसी और भाषा में करते हैं और शिक्षा दूसरी भाषा में, इसलिए वर्तमान शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान फलता-फूलता नहीं है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था वहाँ के परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें उसकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों को समुचित स्थान मिलना चाहिए। इसे अंगीकार कर ही भारत पुनः विश्वगुरु बन विश्व का नेतृत्व कर सकता है।

राष्ट्रीय सहारा, 8 अगस्त, 2020

जल्द ही बहुरेंगे भोजपुरी के दिन

अभी हाल ही में डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने भोजपुरी, राजस्थानी एवं भोटी भाषाओं की सांविधानिक मान्यता हेतु संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 16 से अधिक देशों में 20 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा आज विदेशों में मान्यता पा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुरी 'गीत गवनई' को 'यूनेस्को' द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह मोदी सरकार ने कई लंबित माँगों को पूरा किया उसी तरह इस माँग को भी पूरा करना चाहिए। श्री पाल द्वारा उठाये गए इस प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि यह विषय सरकार के संज्ञान में है। इन तीनों भाषाओं के प्रति सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को मान्यता देने की मुखर आवाज उठाई। पूर्व में 16वीं लोकसभा में मनोज तिवारी एवं संजय जायसवाल ने भी भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की। लेकिन विगत कई वर्षों से संसद में 19 प्राइवेट मेंबर बिल आने के बाद एवं कई बार सरकार द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद भी भोजपुरी अपने ही देश में सांविधानिक मान्यता से दूर है। आजादी के सात दशक बाद भी भोजपुरीभाषी अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने के अधिकार से इसलिए वंचित है, क्योंकि उनकी मातृभाषा को सांविधानिक मान्यता नहीं मिली है। लगभग एक हजार साल पुरानी भोजपुरी

वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, यह अपने मूल परिवेश में ही सरकारी उपेक्षा की शिकार है। बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह के पहल करने की कोई सूचना नहीं है। वहीं मॉरीशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दे दी है और अभी मॉरीशस के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की है। मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी गीत गवनई को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन 160 देशों ने अनुमोदित किया। भोजपुरी को मॉरीशस के अलावा नेपाल में भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है; लेकिन दूसरी ओर, भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता नहीं दे रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। पूर्व में मैथिली, संथाली, बोडो और कोंकणी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हाल में ही संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता को शामिल किया। दिल्ली-एनसीआर में भोजपुरीभाषी लोगों की संख्या निर्णायक है। लिहाजा, आम आदमी पार्टी की जीत में भोजपुरिया मतों का योगदान साफ दिखता है। यह कटु सत्य है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। तथ्य यह है कि बीते चार-पाँच दशक में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। इस दौरान देश की 500 भाषा-बोलियों में से लगभग 300 पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और 190 से ज्यादा वेंटिलेटर पर आखिरी साँसें ले रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के सवा अरब लोग 1652 मातृभाषाओं में बात करते हैं। अभी हाल ही में उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, "चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है

भोजपुरी को मान्यता इसलिए मिलनी चाहिए, क्योंकि :

- भोजपुरी 1000 साल से भी पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली और भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा है।
- भोजपुरी को मॉरीशस और नेपाल ने सांविधानिक मान्यता दी है।
- भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन 160 देशों ने अनुमोदित किया है।
- अभी मॉरीशस के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था की है।
- 1969 से लेकर आज तक संसद में भोजपुरी की सांविधानिक मान्यता पर 19 बार निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कई बार स्पेशल मेंशन, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये और अनेक बार शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है और सरकार ने संसद में विभिन्न अवसरों पर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया है।

कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार की गारंटी देता है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ।" किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प-शक्ति का और संकल्प-शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिये जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे भी नहीं हो पाते। भोजपुरी शेरशाह सूरी के काल से ही 'कैथी' लिपि में लिखी जा रही है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी भोजपुरी में लिखित एक राज्यादेश अभिलेखागार में संरक्षित भी है। वर्तमान में, भोजपुरी

साहित्य-सृजन देवनागरी लिपि में हो रहा है। आठवीं अनुसूची में शामिल पाँच भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने 1924 में तजबीज की थी कि पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या को हल करने के लिए देवनागरी लिपि को सभी भाषाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं डॉ. लोहिया ने कहा था कि 'यदि मैं होता तो महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर को उलाहना देता कि उन्होंने 'अपनी आत्मकथा' और 'गीतांजलि' को गुजराती तथा बाँग्ला में लिखने के बदले देवनागरी लिपि में क्यों नहीं लिखा।' आचार्य विनोबा भावे का मत है कि 'हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है।' इसी राष्ट्रीय भाव को संपुष्ट करते हुए संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि प्रमुख भारतीय भाषाओं द्वारा देवनागरी लिपि आत्मसात की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2000 व 500 रुपये के नए नोटों पर अंकित 16 भाषाओं में पाँच भाषाओं—संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली व कोंकणी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भी मॉरीशस और फीजी में रोमन में लिखी जाती है। सरनामी, जो भोजपुरी की ही एक क्रियोल भाषा है, वह भी रोमन में ही लिखी जा रही है। इसलिए लिपि के नाम पर किसी भाषा के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। यह सर्वविदित है कि बोलियाँ भाषाशास्त्र की दृष्टि से भाषाएँ ही हैं, पर राजनीतिक नजरिये से 'बोलियाँ' साबित की जाती हैं। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष का विरोध है और न ही उसे कमजोर करने की कोशिश या फिर उसे बाँटने की राह है। यह माँग तो सिर्फ भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान व सुविधाओं की माँग है। उम्मीद करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास के ध्येय वाक्य से प्रेरित केंद्र सरकार भोजपुरी की सुध लेगी। जरूरत है इस अवसर पर सरकारी तौर पर संजीदगी की, ताकि भोजपुरी भी उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़े सके। अगर ये सुविधाएँ भोजपुरी को भी प्राप्त हों तो इसका स्वरूप और निखर सकता है।

यथावत पत्रिका, 16 अप्रैल, 2020

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता कब!

साहित्य अकादेमी ने 10 मार्च, 2015 को अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादेमी के अध्यक्ष ने की; उद्घाटन हिंदी के वयोवृद्ध साहित्यकार ने किया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध हिंदी कवि थे। गौर करने वाली बात है कि इन सभी विद्वानों की मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन साहित्य अकादेमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले इन पुरस्कारों में भोजपुरी के किसी रचनाकार का नाम नहीं था। इसका कारण संभवतः यही है कि भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर भोजपुरी संविधान की आठवीं अनुसूची में होती तो निस्संदेह वह साहित्य अकादेमी की भी मान्यता प्राप्त भाषा होती और भोजपुरी साहित्य को भी प्रचार-प्रसार व उत्थान में साहित्य अकादेमी का सहयोग व समर्थन मिलता तथा भोजपुरी के साहित्यकारों को भी इस प्रकार के सम्मान व पुरस्कार प्राप्त होते। परंतु वर्तमान में तो इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है।

'यूनेस्को' के आह्वान पर हर वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उक्त अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में अपना संदेश दिया और संदेश का वाक्य था—'पहला भाव मातृभाव, पहली भाषा मातृभाषा'। यह संदेश संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं में अंकित था। चूँकि भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अतः यहाँ से भी वह नदारद

रही। समाज में सूचना प्रौद्योगिकी के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल टूल्स और तकनीकों की उपलब्धता की आवश्यकता को देखते हुए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भोजपुरी की मौजूदगी यहाँ भी नहीं है, क्योंकि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 16वीं लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि "अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी में शपथ लेना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि इस भाषा को संविधान मान्यता नहीं देता, इसलिए मैं चाहकर भी अपनी भाषा में शपथ नहीं ले पा रहा हूँ, जिसका मुझे दुख है।"

सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होने की वजह से भोजपुरी जो पीड़ा झेल रही है उसकी एक छोटी-सी तसवीर उपरोक्त उदाहरणों से उभरकर सामने आती है, पर पूरी तसवीर बहुत बड़ी है। दुःखद है कि हिंदी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा तथा दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जिसे मॉरीशस जैसे देश में तो सांविधानिक मान्यता प्राप्त है, पर अपने ही देश में आज तक वह सांविधानिक मान्यता से वंचित है, जबकि इस मान्यता के लिए अपेक्षित सभी खूबियाँ इसमें विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों, बिहार के नौ जिलों, झारखंड और मध्यप्रदेश के दो-दो जिलों सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई जैसे महानगरों समेत देश के सभी बड़े शहरों में भोजपुरीभाषी बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। विदेश की बात करें तो मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद एवं टोबैको व सुरीनाम आदि देशों में भी भोजपुरिया लोगों की भारी संख्या मौजूद है। भोजपुरी उनलोगों की भाषा है जिन लोगों ने देश की प्रगति और समृद्धि के हर क्षेत्र में हमेशा से अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मंगल पांडेय, वीर कुँवर सिंह जैसे भारत के स्वाधीनता संग्राम के बड़े सेनानी भोजपुरी क्षेत्र से ही थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दो पूर्व प्रधानमंत्री, लालबहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर भी भोजपुरी भाषी थे। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहाँ

से सांसद हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र बनारस भी भोजपभाषी क्षेत्र है।

भोजपुरी भाषा और साहित्य करीब एक हजार साल का सफर तय कर चुका है। कबीर, जिन्हें आदिकवि माना जाता है, उनकी मूल भाषा भोजपुरी थी। इस भाषा का अपना एक इतिहास, संस्कृति, व्याकरण और परंपरा है। भोजपुरी में औषधि, वास्तु, ज्योतिष, संगीत, नृत्य, कला, नाटक, योग, दर्शन, तंत्र-मंत्र और व्याकरण आदि हर तरह का साहित्य विद्यमान है। लगभग आठ विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो रही है। 'इग्नू' की तरफ से फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। देश-विदेश में सैकड़ों की संख्या में भोजपुरी की पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है, भोजपुरी की अनेक वेबसाइटें चल रही हैं, भोजपुरी में अनेक ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। भोजपुरी की उपयोगिता और दिन-प्रतिदिन उसके बढ़ रहे प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब अपने विज्ञापन भोजपुरी में भी बना रही हैं। भोजपुरी के कई टीवी चैनल चल रहे है । यहाँ तक कि हिंदी के चैनल भी खास अवसरों पर भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। अभी हाल ही में होली एवं विश्व कप क्रिकेट के दौरान लगभग सभी प्रमुख हिंदी समाचार चैनलों पर भोजपुरी के कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देखा गया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दे रही है और लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी बनी है। यह सब भोजपुरी की ताकत और उसकी लोकप्रियता का जीता-जागता प्रमाण है।

भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने के बारे में पिछली सरकार ने पाँच बार आश्वासन दिया, लेकिन उसके शासनकाल में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता देने का बिल तक पेश नहीं किया गया। अपने पिछले दस साल के शासनकाल में केवल आश्वासन भर देकर कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार ने 20 करोड़ लोगों की भाषा के साथ केवल मजाक ही किया। लेकिन अब देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो भारतीय भाषाओं की पक्षधर है। अब तक अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी को भारतीय भाषाओं से विशेष लगाव है। अपनी चुनावी सभाओं में उन्होंने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ही प्रयोग किया। विदेश यात्राओं के दौरान भी वह ज्यादातर

हिंदी में ही बोलते देखे जाते हैं। 12 मार्च, 2015 को अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान विश्व हिंदी सचिवालय भवन के निर्माण के आधारशिला समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 'दिल से निकलती है मातृभाषा'।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो 2 नवंबर, 2014 को मॉरीशस में अप्रवासी दिवस पर अपने संबोधन की शुरुआत ही भोजपुरी से की थी। ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस सरकार का भारतीय भाषाओं से गहरा लगाव है। पिछली एनडीए सरकार ने वर्ष 2004 में संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से चार भाषाओं—बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल कर इन भाषाओं को जो मान-सम्मान दिया, वर्तमान सरकार से उसी मान-सम्मान की उम्मीद भोजपुरी लोग लगाए बैठे हैं।

राष्ट्रीय सहारा, 1 जून, 2015

भोजपुरी को मातृभाषा की सांविधानिक मान्यता मिले

यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वाँ जयंती वर्ष है। बापू ने कहा था, 'राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छिन जाता है।' बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का आधार उनकी मातृभाषा में होना चाहिए तभी प्रारंभिक और आधारभूत शिक्षा कारगर और प्रभावशाली हो सकती है। कई अध्ययनों में साबित हुआ है कि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ती है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी भोजपुरीभाषी अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने के अधिकार से इसलिए वंचित है, क्योंकि उनकी मातृभाषा को सांविधानिक मान्यता नहीं मिली है।

लगभग एक हजार साल पुरानी भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में ही सरकारी उपेक्षा की शिकार है। बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की पहल करने की कोई सूचना नहीं है। मॉरीशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दी है और अभी मॉरीशस के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। विदित हो कि मॉरीशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी 'गीत गवनई' को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा 'यूनेस्को' द्वारा दिया गया है। मॉरीशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन 160 देशों ने अनुमोदित किया है।

दीगर है कि भोजपुरी को मॉरीशस के अलावा नेपाल में भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दूसरी ओर, भारत सरकार भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता नहीं दे रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भोजपुरीभाषियों के साथ ऐसी हकमारी क्यों की जा रही है? वह भी एक ऐसे दौर में जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा हमेशा से भारतीय भाषाओं की पैरोकार रही है। कहना न होगा कि पूर्व में मैथिली, संथाली, बोडो और कोंकणी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिजारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

केन्याई लेखक न्गूगी वा थ्योंगो हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं। मातृभाषा के महत्व को इंगित करते हुए वे कहते हैं, 'जब मैं उनकी भाषा में लिखता था तो उन सबका प्रिय लेखक था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मातृभाषा में लिखा, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेरी समझ में आया कि आजादी तक सिर्फ मातृभाषा के जरिये ही पहुँचा जा सकता है।'

भाषायी साम्राज्यवाद के इस दौर में जहाँ हम आज अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे खो रहे हैं, वैसे ही मातृभाषा को भी खो रहे हैं। 'यूनेस्को' द्वारा संकटग्रस्त भाषाओं पर 2010 में जारी रिपोर्ट 'इंटरेक्टिव एटलस रिपोर्ट' बताती है कि अपनी भाषाओं को भूलने में भारत शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे पर इंडोनेशिया है। रिपोर्ट में जिक्र है कि विश्व की कुल 6,000 भाषाओं में से 2,500 पर आज विलुप्त होने का खतरा मँडरा रहा है; 199 भाषा या बोलियाँ ऐसी हैं, जिन्हें अब महज 10 और 178 को 10 से 50 लोग ही समझते-बोलते हैं।

यहाँ चिंता का विषय यह भी है कि ऐसे क्या कारण और परिस्थितियाँ रहीं कि 'बो' और 'खोरा' भाषाओं की जानकार दो महिलाएँ ही बची रह पाईं? अपनी पीढ़ियों को उत्तराधिकार में अपनी मातृभाषाएँ क्यों नहीं दे पाईं? वस्तुतः, मातृभाषा किसी संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसे बचाना हमारी लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई एक भाषा खत्म होती है, तो उसके साथ ही पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक मामलों के संगठन, 'यूनेस्को' द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 1952 को ढाका में

भाषा-आंदोलन के दरमियान हुई गोलाबारी में 'शहीद' हुए सपूतों की शहादत को मान देने के लिए मनाया जाता है।

हाल में संपन्न दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता दिलाने के वादे को शामिल किया। दिल्ली-एनसीआर में भोजपुरीभाषी लोगों की संख्या निर्णायक है। लिहाजा, 'आप' की जीत में भोजपुरिया मतों का योगदान साफ दिखता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, 'प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और सबके लिए हिंदी।' लेकिन यह अब तक नहीं हो सका है। अंग्रेजी का दबदबा अब तक कायम है और अंग्रेजी के भाषायी उपनिवेश को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल पा रही है। उलटे, अब यह हो रहा है कि हिंदी को भोजपुरी, राजस्थानी जैसी लोकभाषाओं के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की राजनीति को भी चिह्नित किया जाना आवश्यक है। कटु सत्य है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। तथ्य यह है कि बीते चार-पाँच दशक में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। इस दौरान देश की 500 भाषा/बोलियों में से लगभग 300 पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और 190 से ज्यादा वेंटिलेटर पर आखिरी साँसें ले रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के सवा अरब लोग 1652 मातृभाषाओं में बात करते हैं।

हाल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है, "चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदीभाषी है, इसलिए हिंदी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार की गारंटी देती है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ।" कहना न होगा कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प-शक्ति का, और संकल्प-शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिये जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे भी नहीं हो पाते।

सर्वविदित है कि बोलियाँ भाषाशास्त्र की दृष्टि से भाषाएँ ही हैं, पर राजनीतिक

नजरिये से 'बोलियाँ' साबित की जाती हैं। भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग न तो किसी भाषा विशेष का विरोध है और न ही उसे कमजोर करने की कोशिश या फिर उसे बाँटने की राह है। यह माँग तो सिर्फ भोजपुरी के लिए उसकी अस्मिता, पहचान और सुविधाओं की माँग भर है। उम्मीद करते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास' के ध्येय वाक्य से प्रेरित केंद्र सरकार अवश्य ही भोजपुरी भाषा की सुध लेगी।

राष्ट्रीय सहारा, 23 फरवरी, 2020

भोजपुरी की मान्यता राजनीति नहीं, नीयत का है विषय

भोजपुरी हजार साल से भी पुरानी, 16 देशों में फैली, देश-विदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी है। भाषा-वैज्ञानिक प्रो. जीएन देवी मानते हैं कि भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके, अपने मूल परिवेश में ही भोजपुरी भाषा सरकारी उपेक्षा की शिकार है। बीते कई वर्षों से बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को सांविधानिक हक देने के लिए भेजा गया प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। प्रधानमंत्री द्वारा कई मौकों पर भोजपुरी बोलने से उम्मीदें तो बनीं, पर बात नहीं बनी। यह कहना है विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे का।

21 फरवरी को 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' के मौके पर 'पंजाब केसरी' से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि भोजपुरी को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। जबकि कई अन्य देशों में भोजपुरी को यह हक और सम्मान मिल चुका है। बार-बार केंद्र की सरकारों से उम्मीद की किरण दिखाई देती है, फिर अँधेरा छा जाता है। भोजपुरी बोलने वाले लाखों लोगों की आखिरी उम्मीद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से है। लेकिन यह कब होगा, यह सवाल भोजपुरीभाषियों के मन में है।

ध्यान रहे कि विश्व में भाषायी और सांस्कृतिक विविधता व बहुभाषिकता को बढ़ावा देने एवं मातृभाषाओं से जुड़ी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 21 फरवरी को 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाया जाता है। अजीत दुबे

कहते हैं कि भाषा महज माध्यम नहीं है, भाषा तो एक ऐसी नदी है जिसके आस-पास सभ्यताओं का विकास होता है। वैदिककालीन नदी सरस्वती के सूखने से सभ्यता ही खत्म हो गई। आज गंगा हो या नर्मदा, यदि नदियाँ सूख जाएँ तो पीढ़िया बर्बाद हो जाएँगी, व्यापक विस्थापन होगा, जमीन बंजर हो जाएगी। अगर कोई भाषा खत्म होती है तो उसका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असर तो अवश्य ही होगा।

उन्होंने बताया कि 'यूनेस्को' के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन छह हजार भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें से लगभग चार हजार भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा है। इन 4,000 भाषाओं में से लगभग दस प्रतिशत भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। अजीत दुबे दुख जताते हुए कहते हैं कि मॉरीशस एवं नेपाल में मान्यता प्राप्त भाषा भोजपुरी को अपने मूल देश में आजादी के सात दशकों बाद भी मान्यता नहीं मिली है। वहीं आजादी के बाद समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई आठ भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल संख्या 3.47 करोड़ थी, उससे कई गुना अधिक संख्या में लोग भोजपुरी बोलते हैं। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने भी भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है।

पंजाब केसरी, 21 फरवरी, 2021

क्षेत्रीय भाषाओं की संभावनाओं के लिए खुलते द्वार

अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कक्षा दस तक त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने की चर्चा हुई। यदि इसे स्वीकार करने के बाद सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो आठवीं तक लागू त्रिभाषा फार्मूला दसवीं तक लागू हो जाएगा। इसके तहत, नौवीं व दसवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा।

बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि 'यह फार्मूला दसवीं तक लागू होना चाहिए। इससे छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी होगी और वे देश की विविधता से भी परिचित हो सकेंगे।' ज्ञातव्य है कि गैर-हिंदी राज्य के विद्यार्थी तो अपने राज्य की भाषा चुन लेते हैं, लेकिन हिंदीभाषी राज्यों में संस्कृत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले से क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प मिल जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1988 व 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में यह प्रस्ताव दिया गया है कि स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम-से-कम आरंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। वहीं 'यूनेस्को' के शैक्षणिक आधार पत्र (2003) के अनुसार, आरंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है और इसे जहाँ तक बरकरार रखा जा सके, रखा जाना चाहिए।

सीबीएसई का यह प्रस्ताव सराहनीय है, लेकिन इस प्रस्ताव में भोजपुरी, राजस्थानी व भाटी सहित उन विद्यार्थियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई,

जिनकी मातृभाषा को सांविधानिक मान्यता नहीं मिली है। दीगर है कि मौजूदा समय में भारत में ही बीस करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। वैश्विक स्तर पर भी इसे बोलने-समझने वालों की तादाद करोड़ों में है।

संसदीय कार्रवाई में दर्ज है—भोजपुरी बहुत ही सुंदर, सरस तथा मधुर भाषा है। भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या भारत की समृद्ध भाषाओं—बंगला, गुजराती और मराठी आदि बोलने वालों से कम नहीं है। भोजपुरी भाषायी परिवार के स्तर पर एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है।

सच कहें तो हिंदुस्तान की मातृभाषा 'हिंदी' है और हिंदी की मातृभाषा 'भोजपुरी' है। भोजपुरी एक विशाल भूखंड की भाषा है, लिहाजा, उसकी महत्ता और विस्तार के कारण ही इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर सांविधानिक भाषा का दर्जा देने की माँग उठती रही है।

1969 से ही अलग-अलग समय पर सत्ता में आई सरकारों ने भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दशकों गुजर जाने के बाद भी भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

अगर भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो निस्संदेह उसके सुखद परिणाम होंगे। एक तो भोजपुरी को सांविधानिक दर्जा हासिल हो जाएगा और दूसरे, इससे क्षेत्रीय भाषा का विकास होगा और साथ ही कला, साहित्य और विज्ञान को समझने-सँवारने में मदद मिलेगी। यह कहीं से जायज नहीं है कि 20 करोड़ भोजपुरीभाषियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा न दी जाए। यह याद रखा जाना चाहिए कि मातृभाषा 'द्वार' है, जिसका स्थान 'खिड़की' कभी नहीं ले सकती है। कहना न होगा कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प-शक्ति का, और संकल्प-शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिये जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे भी नहीं हो पाते।

यहाँ समझना होगा कि हिंदी क्षेत्र के विभिन्न बोलियों के बीच अगर कोई भाषायी एकता का सूत्र है तो वह हिंदी है। भोजपुरी की महत्ता से हिंदी ही समृद्ध होगी।

नवोदय टाइम्स, 20 फरवरी, 2017

सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रही हैं हमारी मातृभाषाएँ

उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा हिंदी है, लेकिन इससे जुड़ी सभी मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को भी बहुत संरक्षित करने की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बार-बार करता है। यह बहुत आवश्ययक भी है। इन भाषाओं के संरक्षण के बिना भारत और भारतीयता को संरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक विडंबना है कि भारत में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए भाषाओं का कोई मानक आज तक बना ही नहीं है। जब दक्षिण भारत की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए आंदोलन की स्थिति आई, तब तत्कालीन सरकार ने आठवीं अनुसूची के लिए शास्त्रीय भाषाओं का मानक बनाकर तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत को स्थापित किया। यह बहुत सकारात्मक पहल कही जाएगी, लेकिन विडंबना है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई मानक बना ही नहीं है।

भाषा की स्वीकार्यता और उसके सम्मान के सवाल बहुत दिनों से उठते रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अलग-अलग भाषाएँ बोलने वालों का आँकड़ा 2018 में भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। इस आँकड़े में ही आठवीं अनुसूची की स्वीकार्यता प्रश्नों के घेरे में आ जाती हैं। आठवीं अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएँ हैं, उनमें से बहुत ऐसी हैं, जिनसे बहुत अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं को इसमें जगह ही नहीं

मिली है। अनुसूची की कुल 22 भाषाओं में भोजपुरी और राजस्थानी जैसी अधिकाधिक संख्या वाली भाषाओं को जगह नहीं दी गई है। अकेले भोजपुरी ऐसी भाषा है जो भारत सरकार के ही इस आँकड़े में 7वें स्थान पर आ रही है। बाजार, साहित्य और व्याकरण की दृष्टि से भी भोजपुरी बहुत बड़ी संपर्क भाषा है। भारत को छोड़कर विश्व के अन्य कुछ देशों में भोजपुरी बाकायदा मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में स्थापित है। संसद से लेकर सड़क तक भोजपुरी की संप्रेषणीयता और प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा होता है कि आखिर संविधान की 8वीं अनुसूची के मानक क्या हैं? यदि कोई मानक नहीं है तो इस अनुसूची का औचित्य ही क्या है?

यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दुनिया के दो दर्जन से अधिक देशों की 20 करोड़ से अधिक आबादी इसी भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करती है। भारत की आत्मिक चेतना इसी में पलती और बढ़ती है। भारतीय साहित्य के मूल में इसी की अवधारणाएँ उपस्थित हैं। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा फलक है, जिसके साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, गीत, सिनेमा और संगीत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। प्राचीन से अर्वाचीन तक की यात्रा की यह साक्षी है। ऐसी सशक्त भाषा को अभी भी अपने ही देश में मान्यता के लिए यदि संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर कहने को कुछ शेष रह नहीं जाता। खास तथ्य यह है कि समय-समय पर भारत की संसद में हमारे राष्ट्र नियंताओं को अपनी बात समझाने के लिए अनेक अवसरों पर भोजपुरी की गोद में ही उतरना पड़ता है। वह चाहे कांग्रेस की सरकारों का समय हो, गैर-कांग्रेसी सरकारों का समय हो या वर्तमान भाजपा की सरकार की यात्रा। अभी-अभी, केवल कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने संसद को कैसे समझाया था, 'खेलब न खेले देब, खेलिए बिगाड़ देब'। एक बड़ी बात समझाने के लिए भोजपुरी के मुहावरे की शरण। मुझे याद है—2010 में दिल्ली में आयोजित आयोजन में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जोर-शोर से माँग हुई थी। देश-विदेश से आए हजारों लोगों ने इस सम्मेलन के माध्यम से भोजपुरी के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। इस

सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया था और अपने भाषण में उन्होंने भोजपुरी की महिमा का बखान किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि भोजपुरी केवल भाषा नहीं, दर्शन भी है। इसमें 'मैं' नहीं होता, बल्कि 'हम' होता है, जो सामूहिकता का बोध कराता है। भोजपुरी एक परिष्कृत जीवन शैली भी है।

बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को पता नहीं, कोई क्यों नहीं समझता! 18वीं अनुसूची से बाहर होने के नुकसान झेल रही भोजपुरी भाषी जनता की भावनाओं को क्यों नहीं सम्मान मिल रहा, यह सवाल बार-बार उठ रहा है। भोजपुरी के साथ राजस्थानी और अन्य कई भाषाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। अच्छा तो यह होगा कि सरकार 8वीं अनुसूची को ही समाप्त कर नए सिरे से इन भाषाओं के लिए मानदंड स्थापित करे और सबको व्यवस्थित करे, ताकि ये मातृभाषाएँ उचित सम्मान पा सकें।

नवोदय टाइम्स, 21 फरवरी, 2022

न्याय की आस में हमारी मातृभाषाएँ

आखिर आठवीं अनुसूची के मानक मानदंड आजादी के 75 सालों के बाद भी क्यों निर्धारित नहीं हैं? सरकारों के इस ढुलमुल रवैये के कारण देश के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विधानसभाओं से आठवीं अनुसूची के लिए अनुसंशित भाषाएँ भी न सिर्फ हाशिये पर खड़ी हैं, बल्कि अनेकानेक सुविधाओं से भी वंचित हैं। आखिर पाठ्यक्रम में शामिल किए बगैर कैसे बचाया जा सकता है मातृभाषाओं को?

आज विश्व मातृभाषा दिवस है। आज भारत में मातृभाषाओं की उपेक्षा या यूँ कहें तो अन्याय पर जरूर विमर्श होनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार रही हो, मगर मातृभाषाओं के प्रति उनका संतुलित रवैया नहीं रहा है, बल्कि अनेक भाषाओं के साथ अन्याय हुआ है। ऐसी लोकभाषाओं को भाषायी अस्मिता के संरक्षण और तुरंत न्याय की जरूरत है।

यह कटु सत्य है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। तथ्य यह है कि बीते चार-पाँच दशक में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। इस दौरान देश की 500 भाषा/बोलियों में से लगभग 300 पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और 190 से ज्यादा वेंटिलेटर पर आखिरी साँसें ले रही हैं। 2011 की जनगणना (प्रकाशित 2018) के अनुसार देश के सवा अरब लोग 1652 मातृभाषाओं में बात करते हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू ने कहा, चूँकि देश की अधिकांश आबादी हिंदी भाषी है, इसलिए हम सबको हिंदी सीखना

जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा सीखने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई अंग्रेजी सीखने की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यह रोजगार की भाषा है। इसलिए मैं देश को अपनी मातृभाषा को सीखने और बढ़ावा देने की बात कहना चाहता हूँ। किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का और संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। आजादी के 75 सालों के बाद भी आज तक आठवीं अनुसूची में मातृभाषाओं को शामिल करने का कोई पैरामीटर सरकार नहीं बना पाई है, इसका क्या कारण है? जबकि 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पैरामीटर बन गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मानदंडों के अनुसार, उस भाषा के ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता लगभग 1500-2000 वर्षों की होनी चाहिए। इसके अलावा, उस भाषा की मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, जो किसी अन्य भाषिक समुदाय से न ली गई हो। अब तक शास्त्रीय भाषाओं के मानदंडों पर 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ तथा 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। 20 फरवरी, 2014 को उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसके कारण इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित दो बड़े विद्वानों को दो अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होते हैं। इन भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालय में संबंधित भाषाओं की पीठ स्थापित कर सकता है। इसके अलावा, अनेकानेक सरकारी सुविधाओं से इन भाषाओं को पोषित और विकसित होने में सहूलियत होती है, मगर आठवीं अनुसूची के मानदंड निर्धारित न होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा आठवीं अनुसूची में मान्यता के लिए प्रस्तावित सभी मातृभाषाओं को अनेक सुविधाओं से वंचित होने का दंश झेलना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आठ भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव लंबित है। गृहमंत्रालय भारत सरकार के प्रपत्र दिनांक 27.03.2012 से यह स्पष्ट है कि बिहार ने भोजपुरी, छत्तीसगढ़

ने छतीसगढ़ी, सिक्किम ने भूटिया, लेपचा और लिम्बू, कर्नाटक ने कोड़व व तलु, मिजोरम ने मिजो, राजस्थान ने राजस्थानी, नागालैंड ने टेंयीडी तथा हिमाचल ने भोटी के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा हुआ है। इन भाषाओं में भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी हिंदी की क्रम से सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली सह भाषाएँ हैं, मगर इन मातृभाषाओं को उसके अधिकार से वंचित रखने के अनेकानेक बहाने बनाकर अभी तक केंद्रीय सरकारें टालमटोल करते हुए उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने और सांविधानिक मान्यता देने के प्रति उदासीन बनी हुई हैं, जिसके कारण इन भाषाओं को सरकारों द्वारा प्राप्त अनेकानेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है।

मातृभाषा दिवस पर हम सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वो इन अंधकारों को दूर करें और मातृभाषाओं को न्याय मिले। साथ ही, यूपी के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो भोजपुरी, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी भाषाओं की उन्नति के लिए इन भाषाओं के लिए अकादमी का गठन किया जाएगा। इन निर्णयों के आधार पर उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान राजग सरकार मातृभाषाओं के कल्याण, संवर्धन तथा विकास के लिए ठोस योजनाओं का निर्माण करेंगी और विधानसभाओं से प्रस्तावित मातृभाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगी, ताकि जिन सुविधाओं से ये मातृभाषाएँ वंचित हैं उनका लाभ इनको मिल सके और आठवीं अनुसूची पर सरकार एक स्पष्ट मानदंड निर्धारित कर इन भाषाओं को न्याय दे सके।

स्वदेश, 21 फरवरी, 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

सेवा में,

श्री सुशील कुमार शिंदे जी,
केंद्रीय गृह मन्त्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली.

विषय:- भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबन्धी सरकारी आश्वासन के बारे में.

....

मान्यवर,

17 मई 2012 को तत्कालीन गृह मन्त्री श्री पी. चिदंबरम ने संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उठाये गए उपरोक्त मुद्दे पर जबाब देते हुए यह आश्वासन दिया था कि संसद के मानसून सत्र में इस आशय का बिल संसद में पेश किया जायेगा.

इसके पहले भी 30 अगस्त, 2010 को तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री अजय माकन ने कहा था कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सरकार विचार कर रही है. यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने भी इस विषय में रूचि दिखाते हुए भोजपुरी के बारे में विस्तार से जानकारी माँगी थी.

वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने लोकसभा में बताया था कि केन्द्र सरकार भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है. परन्तु मानसून सत्र में पेश होने वाले 32 बिलों की सूची में भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने का प्रस्तावित बिल नहीं है.

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त आश्वासनों को देखते हुए भोजपुरी भाषा संबंधित बिल अविलंब पेश कर सरकारी आश्वासन का पालन किया जाय.

धन्यवाद.

(जगदम्बिका पाल)
Div - 213

P.L. Punia Div 221

(निर्मल खत्री)
Div. 158

Div. 165

Div. 187

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

सत्यमेव जयते

Omprakash Yadav
I-C-76

Div No-123 LS.

Mahabal Mishra
D. No-90 L.S.

Div. 354

Dr. Bali Ram Div 279

I-C 452

M.P. L.S
450

परिशिष्ट–2

संसद सदस्य
(लोक सभा)

श्री नरेन्द्र मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय– भोजपुरी, राजस्थानी व भोटी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची मे सम्मिलित करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची मे सम्मिलित करने का विषय संसद के दोनों सदनों में विगत कई वर्षो से उठ रहा है। 14वीं लोकसभा मे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम अगले सत्र मे भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की 8वी अनुसूची मे सम्मिलित करने का बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 15वीं लोकसभा में तत्कालीन गृहमंत्री श्री पी.चिदंबरम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था कि अगले सत्र मे ही हम दोनो भाषाओ का बिल लेकर आपके समक्ष आयेंगे इसके अलावा तत्कालीन लोकसभा के नेता सदन एव वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी बीच मे हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि इनकी माग जायज है और हम इस दिशा मे सकारात्मक प्रयास करेंगे। 16वीं लोकसभा मे भी यह मुददा अब तक कई बार उठ चुका है।

आपको अवगत कराना है कि वर्तमान समय मे भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी ये तीनो देश की ऐसी भाषाएँ है जिनको न केवल इस देश मे बोली जाती है बल्कि जिनको अन्य देशो मे संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। जैसे भोजपुरी को विगत दिनो मॉरिशस द्वारा 14 जून 2011 को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसके साथ–साथ 16 देशो मे मौजूदा समय मे भोजपुरी बोली जाती है। राजस्थानी देश के सभी भागों मे जहाँ समाज का अस्तित्व है वहाँ बोली जाती है तथा केन्द्रीय साहित्य अकादेमी द्वारा राजस्थानी को वर्ष 1971 से मान्यता प्राप्त है। नेपाल मे राजस्थानी को मान्यता प्राप्त है और उनके एक मन्त्री हेमराज तातेड ने राजस्थानी भाषा मे ही मंत्री पद की शपथ ली है। भोटी हिमालयन क्षेत्र के जितने भी राज्य है उनमे बहुतायत से बोली जाती है। भोटी भाषा का समृद्ध साहित्य है और भूटान ने भी भोटी का मान्यता दे रखी है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चाहे 38 भाषाओं को मान्यता देने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय मे लम्बित हो लेकिन भोजपुरी और राजस्थानी को ही मान्यता का आश्वासन लोकसभा द्वारा दिया गया है। उपरोक्त तथ्यो को देखते हुए

संसद सदस्य
(लोक सभा)

मानसून सत्र मे ही भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की 8वी अनुसूची मे सम्मिलित करने का बिल लाया जा सकता है।

हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि गृह मंत्रालय के अधीन विचाराधीन भाषाओं की मान्यता के 38 प्रस्तावो में से केवल 8 भाषाओ के प्रस्ताव ही सम्बन्धित राज्यों की विधानसभाओ से अनुमोदित होकर प्राप्त हुए हैं जिसमे भोजपुरी, राजस्थानी एवं भोटी सम्मिलित है और भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है तथा संसद मे दिये गये आश्वासन के कारण इन भाषाओं के प्रस्तावो को लम्बित प्रस्तावो मे से पृथक भी किया जा सकता है और शेष भाषाओ के बारे में जब भी संसद मे चर्चा हो उस पर संसद अपना रूख तय करके आश्वासन दे सकती है।

जिस तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लम्बित प्रस्तावों में से चार भाषाओं डोगरी, बोडो, मैथिली और सन्थाली को मान्यता दिलाई उसी भॉति भोजपुरी, राजस्थानी एव भोटी को मान्यता दिलाने का अब समय आ गया है।

हम सभी आपसे पुन: आग्रह करते है कि 2014 के आम चुनावों के दौरान आप द्वारा भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता देने के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये गये उनको ध्यान मे रखते हुए अब समय आ गया है कि इन भाषाओं को जितना जल्दी हो सके संविधान की 8वी अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। इससे न केवल भाषा और साहित्य के क्षेत्र मे आप द्वारा दिये गये योगदान को याद किया जायेगा बल्कि भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी बोलने वाले लगभग 40 करोड लोगों के आप हृदय सम्राट भी हो जायेंगे।

धन्यवाद

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)
DIV 168.

(अर्जुन राम मेघवाल)
Div. 22

(विनोद कुमार सोनकर)
Div - 270

Div 130

Div. No. 56

D.N. 257

Neelam Sonker
DN. 224

D.N. 260

MP (RS)

परिशिष्ट–3

सांविधानिक मान्यता से भाषाओं को होने वाले लाभ

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को भारतीय कानून के तहत बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 (1) एवं 35 (भाषा) में कहा गया है कि भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाएँ होंगी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होंगी।
2. संविधान के अनुच्छेद 344 (1) एवं 351 के अनुसार, संविधान की आठवीं सूची में शामिल भाषाओं को जोड़ने का अधिकार संसद का है तथा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के विकास एवं प्रचार का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। इसके लिए सरकार जो भी दिशा-निर्देश देगी, उसे मानना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।
3. 8वीं सूची में शामिल भाषाएँ संबंधित राज्य के न्यायालयीय कार्य में व्यवहृत हो सकती हैं। न्यायालय में परिवाद सत्र, सुनवाई प्रक्रिया, गवाही, आदेश, शपथ पत्र आदि संबंधित मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में संपन्न हो सकता है।
4. भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभा के माननीय सदस्य मान्यता प्राप्त भाषा में शपथ ले सकते हैं। साथ ही, राज्य विधानसभा में विधानसभा की कार्यवाही,

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, पूरक प्रश्न, संशोधन सूचना, साधारण विधेयक आदि संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्तर दिया जा सकता है तथा मान्यता प्राप्त भाषा एवं साहित्य को एक विषय के रूप में रखा जा सकता है।
6. राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्तर दिया जा सकता है तथा मान्यता प्राप्त भाषा एवं साहित्य को एक विषय के रूप में रखा जा सकता है।
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों के साथ मान्यता प्राप्त भाषाओं में आवेदन, साक्ष्य तथा पत्राचार किया जा सकता है।
8. भारत सरकार के गजट का प्रकाशन मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में किया जाता है।
9. भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, पत्र-सूचना कार्यालय विभाग, फिल्म प्रभाग, प्रचार निदेशालय आदि विभाग मान्यता प्राप्त भाषाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करते हैं।
10. सरकार द्वारा प्रेस, प्रकाशन व्यवसाय, सिने उद्योग तथा रेडियो प्रसारण की समस्याओं पर विचार करते समय सबसे ज्यादा ध्यान मान्यता प्राप्त भाषाओं में किए जाने वाले कार्यों की तरफ दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रसार भारती मान्यता प्राप्त भाषा में दूरदर्शन पर चैनल का प्रसारण करती है। आकाशवाणी भी मान्यता प्राप्त भाषा में अनिवार्यतः प्रसारण करता है।
11. जनगणना रिपोर्ट, पशु गणना, मकान गणना, व्यवसाय गणना, निर्वाचक नामावली आदि का प्रकाशन मान्यता प्राप्त भाषा में अनिवार्यतः होता है।
12. 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को संबंधित राज्यों से राजभाषा का दर्जा हासिल होता है। राज्यों को इन भाषाओं के विकास के लिए अपनी वार्षिक योजना में योजना आयोग, भारत सरकार से अतिरिक्त राशि आवंटित कराने का अधिकार प्राप्त है।

13. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक हजार व पाँच सौ के नोट पर 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में मूल्य मुद्रित किया जाता है।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मात्र 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के विकास के लिए योजना राशि स्वीकृत की जाती है तथा स्कीम ऑफ एसिस्टेंस फॉर इम्प्रुवमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड स्टेट एजेंसी द्वारा राज्यों को भाषा-विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
15. मान्यता प्राप्त भाषाओं में निबंधित समाचार पत्र-पत्रिकाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराया जाता है।
16. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादेमी पुरस्कार केवल मान्यता प्राप्त भाषा की रचनाओं को ही प्रदान किया जाता है।
17. के.के. बिड़ला फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा केवल मान्यता प्राप्त भाषाओं की रचनाओं को अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
18. संबंधित राज्यों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर आमंत्रण-पत्र तथा कार्यवाही मान्यता प्राप्त भाषा में की जाती है। विदेशी राजनयिकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अन्य प्रांतों के मुख्य मंत्री, विशिष्ट राजकीय अतिथि आदि के दौरे की सूचना प्रोटोकॉल के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं में भी प्रदान की जा सकती है।
19. मान्यता प्राप्त भाषाओं को संबंधित राज्यों में शिक्षा का माध्यम बनवाया जा सकता है तथा संबंधित भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक करना अनिवार्य है।
20. नेशनल लाइब्रेरी, विदेश में स्थित भारतीय दूतावास एवं उच्चायोग तथा मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की पुस्तकों की खरीद के लिए योजना स्वीकृत है।
21. सुभद्रा जोशी समिति की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनार, विचार गोष्ठी,

वाद-विवाद, कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए मान्यता प्राप्त भाषाओं को अनुदान दिया जाता है।

22. संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से राजा राममोहन राय पुस्तकालय हेतु भोजपुरी पुस्तकों की खरीदारी, केंद्र व राज्य सरकारों के सरकारी संपोषित पुस्तकालयों में भोजपुरी भाषा, साहित्य-संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें, अखबार, पत्र-पत्रिकाओं की खरीदारी संभव हो सकेगी।
23. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिस तरह से अन्य भाषाओं के उन्नयन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज/उर्दू लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी आदि बनाए हैं मान्यता मिलने पर भोजपुरी भाषा को लेकर भी ऐसी ही संस्था बनेगी। इसके साथ ही, भारतीय भाषा केंद्र, मैसूर में अनुवाद हेतु शिक्षण के लिए भोजपुरी को भी स्थान मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त, अन्य बहुत सारी सुविधाएँ भी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेष आयोगों की नियुक्ति की जा सकती है। कहने का मतलब है कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को अन्य भाषाओं की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी भाषा को मान्यता नहीं देने का अर्थ उसे सरकारी समर्थन नहीं देना है। इस तरह, मान्यता से वंचित भाषाओं के विकास और प्रसार का दायित्व पूरी तरह से उसके समर्थकों की भावनाओं पर निर्भर करता है, जो आर्थिक रूप से अपने निजी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। फलतः, उन भाषाओं का पिछड़ जाना स्वाभाविक है, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता का प्रसाद प्राप्त नहीं होता। दुर्भाग्यवश, भोजपुरी को भी यह प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली 20 करोड़ से अधिक लोगों की जनभाषा मजबूत होते हुए भी सरकारी मान्यता के अभाव में दुर्दशा को प्राप्त है।

(मुख्य अंश डॉ. अजय कुमार ओझा के शोध-ग्रंथ 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भोजपुरी भाषा का स्वरूप' से साभार)

परिशिष्ट–4

जनता दल (यूनाइटेड) का पत्र गृहमंत्री के नाम

सेवा में,

गृहमंत्री, भारत सरकार

नई दिल्ली

विषय : भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संदर्भ में माँगपत्र

आदरणीय राजनाथ सिंह जी

सादर,

यह पत्र एक ऐसे विषय को लेकर है, जिस विषय को मानवीय विकास के क्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी मान सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से हम भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग कर रहे हैं और आप स्वयं इस भाषा के सेवी रहे हैं, इसलिए इस भाषा के सरोकार और दायरे से आप खुद हमसे बेहतर तरीके से जानते होंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के अलावा दुनिया के सात देशों की यह पीढ़ियों से लोग-जमात की आधिकारिक और व्यावहारिक भाषा है, यह आप जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि आज वह भाषा पूर्वी भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय होने के साथ ही देश और दुनिया में पुरबिया क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। यह रोजगार कारोबार की भी बड़ी भाषा है।

लेकिन हम इस माँगपत्र के माध्यम से सिर्फ वही बताना चाहते हैं कि अगर सरकार इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लेगी तो यह ठोस और सुदृढ़ तरीके से रोजगार कारोबार की भाषा बनने के साथ ही एक बड़ी जमात की पहचान, आत्मसम्मान और गरिमा को लौटाने में सहायक होगा।

मान्यवर, आप जानते होंगे, फिर भी हम इसके इतिहास की ओर थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि यह बोली है, भाषा नहीं। बोली और भाषा के बारे में आप जानते ही हैं कि इसका चक्र कैसे घूमता है। ब्रज, राजस्थानी भाषा के रूप में ही समाज में प्रतिष्ठित रही है, लेकिन आज तो उसे भी बोली ही कहा जाता है।

आप जानते हैं कि लोक से ही शास्त्र विकसित होता है, बाद में लोक, शास्त्र का अनुगमन करता है। भोजपुरी भाषा की जड़ वैदिक संस्कृत और पालि से जुड़ती है और जब भारतीय आर्यभाषाएँ विकसित हो रही थीं तो क्षेत्र और जनसंख्या दोनों दृष्टि से पश्चिमी मागधी (बिहारी) अपभ्रंश की सबसे बड़ी भाषा के रूप में भोजपुरी विकसित हुई। पश्चिमी मागधी की दो अन्य भाषाएँ मैथिली और मगही थीं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र काशी, मल्ल तथा पश्चिमी मगध एवं झारखंड (छोटा नागपुर) के अंतर्गत आता था, भोजपुरी भाषा के प्राचीन नमूने 1000 ई. के नाथ संतों के काव्यों में मिलने लगते हैं। गोरखनाथ के गुरुभाई चौरंगीनाथ की 'प्राणसंकल्पी' नामक हस्तलिखित पुस्तक की भाषा को इतिहासकारों ने पुरबी (भोजपुरी) माना है। बाद में, गोरखनाथ और उनके बाद के संतों में इसके पर्याप्त प्रमाण मिलने लगते हैं। 1789 ई. से भोजपुरी का लिखित रूप में उल्लेख मिलने लगता है जिसका जिक्र सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने 'लिंग्विस्टिक सर्वे' में किया है। 1951 के अपने शोधपत्र में प्रसिद्ध भाषाविद् उदय नारायण तिवारी ने आसपास की अनेक भाषाओं की तुलना में भोजपुरी के विस्तार क्षेत्र की सर्वोच्चता की बात करते हुए लिखा है, 'उत्तर में हिमालय की तराई (नेपाल) से लेकर दक्षिण में मध्यप्रांत (एम.पी.) की सरगुजा रियासत तक इस बोली का विस्तार है। बिहार प्रांत के शाहाबाद, सारण, चंपारण, राँची, जशपुर इस्टेट, पलामू के कुछ भाग तथा मुजफ्फरपुर के उत्तर-पश्चिमी कोने में इस बोली के बोलने वाले निवास करते हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश

के बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर के अधिकांश भाग, मिर्जापुर, गोरखपुर, आज़मगढ़ तथा बस्ती जिले की हरैया तहसील में कुआनो नदी तक (यह 1951 के समय के नाम हैं, जब जिलों की संख्या अत्यंत कम थी) भोजपुरी बोलने वालों का आधिपत्य है, 19वीं-20वीं सदी में यह भारत के अनेक क्षेत्रों (कलकत्ता, ढाका) से लेकर विदेश तक में फैलती चली गई। इसी भाषा की संरचना एवं स्वरूप की यह विशेषता है कि यह अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लेती है। यही कारण है कि तमाम भाषाओं के लोग मॉरीशस, सूरीनाम आदि गए, परंतु भोजपुरी ज्यादा प्रभावी रही। इसी कारण जहाँ अनेक भाषाएँ खो जाती हैं वहाँ भोजपुरी अलग से नजर आती है। भोजपुरी की समृद्धि का एक प्रमाण यह है कि इसके पास अपनी 'कैथी' लिपि रही है, जिसमें सैकड़ों साल पुराने कागजात मिलते हैं। भोजपुरी में एक दर्जन से अधिक व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं और अपना मानक गद्य भी है और वह लगभग 100 सालों से लिखा जा रहा है, जब 1914 में 'वगसार समाचार' जैसी भोजपुरी पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी तब से उसकी अटूट शृंखला मिलती है।

भोजपुरी के पास मौखिक साहित्य का अकूत भंडार है। लोकगीत, लोककथा के अतिरिक्त जन-जीवन, प्रकृति और बारीक समझ को सँजोने वाली ज्ञान की अनेक बातें बहुत ही सूत्रबद्ध रूप में मौजूद हैं। संस्कार गीत, भक्ति गीत और शृंगार गीत कई भाषाओं में मिल जाते हैं, परंतु इनके साथ-साथ श्रमगीतों की जो समृद्धि भोजपुरी के पास हैं उसका बड़ा हिस्सा अभी भी सामने नहीं आया है। श्रमिक संस्कृति से इस भाषा का विशेष संबंध है, जो अभी भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। अगर इसे उचित महत्व और अवसर मिला तो दुनिया भर में यह भाषा श्रमण संस्कृति के प्रतीक के रूप में उभरेगी।

भोजपुरी में चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, भरथरी, कबीरदास, कमालदास, धरमदास, भंडरी, घाघ, बुल्ला साहब, दरिया दास, विसराम, शिवनारायण स्वामी, पलटू साहेब, भीखा साहेब, लक्ष्मी सखी जैसे भक्त कवियों से लेकर तेग अली तेग, रघुबीर नारायण, हीरा डोम, महेंदर मिसिर, अवध बिहारी सुमन, भिखारी ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, रामेश्वर सिंह कश्यप, विवेकी राय, धरीक्षण मिश्र, मोती बीए, दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह, उदयनारायण तिवारी, कृष्णदेव उपाध्याय, हवलदार त्रिपाठी

से लेकर आज रचनारत सैकड़ों रचनाकारों तक एक बड़ी संख्या है। दुनिया भर में भाषाविद् और समाजशास्त्री ऐसी भाषाओं को महत्व देने के पक्ष में हैं, जिन्हें बोलने वाले दो-चार लोग भी मौजूद हों, क्योंकि प्रत्येक भाषा ज्ञान का विशेष स्रोत होती है।

आप जानते होंगे, बोआ सीनियर की मृत्यु के साथ जब अंडमान निकोबार की 'वो' भाषा समाप्त हुई थी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई। जब उन भाषाओं को महत्व दिया जा रहा हो, जिनमें दो-चार कथाएँ और 20-30 गीत हों तो एक विशाल क्षेत्र और करोड़ों की भाषा भोजपुरी, जिसमें लाखों पृष्ठों की सामग्री भरी पड़ी है उसे महत्व देना कितना जरूरी है सहज ही समझा जा सकता है। भाषाएँ केवल बातचीत और संचार का माध्यम नहीं होतीं, ये सोचने, समझने, महसूस करने, अपने पास के और दूर के परिवेश से जुड़ने और कुछ नया रचने का मूल माध्यम होती हैं। भाषाएँ केवल माध्यम नहीं, लक्ष्य होती हैं इसीलिए जब किसी की भाषा की उपेक्षा कर उसे उसकी भाषा से काटा जाता है तो वह अपनी जड़ों से, अपनी मौलिकता से भी कट जाता है, फिर वह एक स्तर पर पंगु होता जाता है।

भोजपुरी को मान्यता न मिलने और श्रमिक संस्कृति से इसके जुड़े होने के कारण यह समाज एक तरह के हीनताबोध से ग्रस्त हो जाता है, इसे अनपढ़ों, जाहिलों की भाषा माना जाता है। असल में यह बात और भी कई भाषाओं पर लागू होती है। परंतु एक खास संरचना के कारण (जो भोजपुरी की ताकत है) जैसा हीनताबोध और खुद की भाषा के प्रति जैसा अपराधभाव भोजपुरी के लिए देखने को मिलता है उसका कोई और उदाहरण खोजना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मुँह खोलते ही बाली की तरह आधी शक्ति कोई छीन लेता है। बोलने वाला चाहे हिंदी बोल रहा हो या अंग्रेजी, पर भोजपुरी की छौंक उसके आत्मविश्वास पर हमला कर रही होती है। कभी वह श-स के चक्कर में फँसा होता है तो कभी वैल्यू-भैल्यू के। इस सबकी शुरुआत तब होती है जब कच्चे बालमन में यह बात बैठाई जाती है कि भोजपुरी का मतलब पिछड़ा होता है, भोजपुरी का मतलब गरीबी और बेरोजगारी होता है। इतने वर्षों बाद भी हम अपने बच्चों को यह समझाने में असफल रहे हैं कि कोई

भाषा गरीब या पिछड़ी नहीं होती और तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक के लोगों की भाषाओं में उनकी मातृभाषा की छुअन होती है। राष्ट्रपति जी तक की अंग्रेजी में बाँग्ला की अनुगूँज समाई होती है। इसके बावजूद, फिल्मों में नौकर से लेकर गुंडा और दूसरे नकारात्मक चरित्रों को भोजपुरी बोलवाया जाता है, गरीबों की भाषा का ठप्पा ऐसे लगाया जाता है मानो गरीब होना कोई जुर्म हो और इसके लिए केवल भोजपुरी भाषा जिम्मेदार हो। उस उपेक्षा को भोजपुरीभाषियों ने लगातार सहा है, भोजपुरी श्रमिकों, स्त्रियों, आर्थिक रूप से गरीब लोगों और कद-काठी से मजबूत होने के बावजूद सहनशील और स्वाभिमानी लोगों की भाषा रही है। भोजपुरी भाषी अपने 'मैं' को पीछे रखकर 'हम' की भावना से लगातार काम करती रही है। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक की लड़ाई में इस क्षेत्र के लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी इसका प्रमाण है। मंगल पांडेय, वीर कुँवर सिंह से लेकर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण तक ऐसे नामों की लंबी सूची है। इस क्षेत्र के विद्वानों और साहित्यकारों ने हमेशा देशहित को तरजीह देते हुए व्यक्तिहित और समाजहित को पीछे रखा, परंतु इसका मूल्य भोजपुरी बोलने वालों को 'गँवार' और 'अनपढ़' सुनकर चुकाना पड़ा है।

मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा न होने और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थान न मिलने के कारण और गरीबी के कारण निजी विद्यालयों में न जा पाने के कारण इस क्षेत्र में बच्चे स्कूल से असमय दूर होते रहे, इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी ऊर्जा नकारात्मक क्षेत्रों में जाने लगी।

भोजपुरी के समृद्ध साहित्य और साहित्यकारों को न तो किसी पाठ्यक्रम में स्थान मिला और न ही प्राचीन और नवीन पुस्तकों को प्रकाश का कोई समुचित प्रबंध हुआ, जिसका एक अर्थ यह निकाला गया कि इस भाषा के पास अपना साहित्य ही नहीं है और गीत, कविता के अलावा कुछ नहीं है, जो कि एक भ्रम है।

भोजपुरी में प्राथमिक शिक्षा हो, भोजपुरी साहित्य अकादमी की भाषा हो, इसकी किताबें छापी जाएँ, इसके विकास के लिए संस्थान बनें, ऐसी माँग दशकों से होती रही है। परंतु इन माँगों का दशकों से एक ही उत्तर मिलता रहा

है कि यह आठवीं अनुसूची की भाषा नहीं है इसलिए यह सब नहीं किया जा सकता, यानी कुछ भी करना है तो पहले आठवीं अनुसूची में जगह लेनी होगी तभी कार्य आगे बढ़ेगा। '60 और '70 के दशक से मैथिली, राजस्थानी आदि साहित्य अकादेमी की भाषाएँ हैं और इनके साहित्य को इससे बहुत ताकत मिली है। अगर भोजपुरी को सांविधानिक मान्यता मिल जाए और प्राथमिक स्तर पर इसकी शिक्षा शुरू हो जाए तो न केवल शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि हीनताबोध की जगह ग्रामीण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार होगा। अनुसूची में आने से अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाएँगे। स्कूल और दूसरे कार्यालयों में सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त व्यापार, मनोरंजन, टेलिकॉम और दूसरे निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में स्थान मिलते ही इसका समृद्ध साहित्य व्यवस्थित एवं प्रकाशित होने लगेगा और विश्वविद्यालयों में शोध के द्वारा दुर्लभ ज्ञान-संपदा सुरक्षित हो जाएगी।

भोजपुरी के नाम पर अंधाधुंध कमाई करने के लिए गीत, संगीत और वीडियो में अश्लीलता का जो साम्राज्य फैला हुआ है उस पर अंकुश लगेगा और संस्कृति का असली चेहरा लोगों तक पहुँच सकेगा और बेहतरीन काम करने वाले जो चंद लोग बचे हैं उन्हें आधार मिल जाएगा। वर्तमान में तो हालत यह है कि देश-दुनिया के समझदार लोगों तक भोजपुरी की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत, भाषा का सक्षम रूप और अकूत लोक संपदा नहीं पहुँचती है। उनके पास पहुँचते हैं अश्लील गीत और भौंडे नाच। उनके पास पहुँचती है अपराध और भ्रष्टाचार की घटनाएँ, जिनका संबंध व्यक्ति और व्यवस्था से होता है, किंतु इसे भाषा विशेष से जोड़ दिया जाता है। लोगों के पास भोजपुरी साहित्य में मौजूद प्रकृति की अद्भुत निरीक्षण क्षमता, उच्च पारिवारिक और मानवीय मूल्य नहीं, उसकी गरीबी और जहालत पहुँचती है, क्योंकि तर्क और तथ्य के साथ इन बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए जिस उच्च शिक्षा और शोध की आवश्यकता होती है वह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि यह भाषा आठवीं अनुसूची में नहीं आ जाती है। साधनहीनता के कारण विंध्यवासिनी देवी जैसी गायिकाओं और भिखारी ठाकुर जैसे कलाकारों की परंपरा में काम करने वाले लोग आज हाशिए पर हैं। अगर इन्हें समर्थन नहीं मिला तो कुछ

समय बाद ये लुप्त हो जाएँगे।

आठवीं अनुसूची में आने से इस भाषा में प्राथमिक शिक्षा का मार्ग खुल जाएगा। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे की समझ विकसित नहीं होती तो भाषा बड़ा रोड़ा बनती है। और सिर्फ भाषा के कारण लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। दुनियाभर के शिक्षाशास्त्री ऐसा जोर देकर कहते रहे कि प्राथमिक स्तर तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु आठवीं अनुसूची में न होने के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है।

इसके अलावा जो भोजपुरी भाषा में उच्च शिक्षा या पी-एच.डी. आदि करना चाहे, आईएएस की परीक्षा देना चाहे, संविधान की मर्यादा बचाए रखने के लिए संसद में शपथ लेना चाहें, उन्हें इसका हक मिलने लगेगा। इससे हीनताबोध खत्म होगा और युवाओं की एक बड़ी संख्या सकारात्मक कार्यों से जुड़ेगी।

भोजपुरी भाषा में खान-पान, गीत-संगीत, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, प्रति-निरीक्षण, सौहार्द एवं पारिवारिक मूल्यों की जो अकूत संपदा सुरक्षित है वह लगातार खत्म हो रही है। जब भाषाएँ छूटती हैं तो जीभ कट जाती है और परंपरा की जड़ कट जाती है। इसके मान्यता मिलने से यह प्रक्रिया रुक जाएगी। मान्यता मिलने के बाद प्रकृति, खेती, पशुओं के ज्ञान से लेकर चिकित्सा तक की जो पारंपरिक जानकारी इस भाषा में सुरक्षित हैं उसके लिए कुछ संस्थानों के बन जाने से न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि विज्ञान एवं शोध के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा।

हमें विश्वास है कि भारत में हिंदी के बाद सबसे लोकप्रिय भाषा को आप उसका उचित हक और सम्मान देंगे।

इसी आशा और विश्वास के साथ यह माँगपत्र आपको समर्पित है। धन्यवाद!

आपका
संजय झा, सांसद
रामचन्द्र प्रसाद सिंह, सांसद
हरिवंश, सांसद, महासचिव

परिशिष्ट–5

मुख्य सचिव, बिहार का पत्र गृहमंत्री को

सेवा में,
सचिव, गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : जनमानस की भावना के सम्मान एवं राष्ट्र के बड़े भू-भाग में एक बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्र की एक बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली भोजपुरी भाषा एक विशाल भू-भाग में प्राचीन काल से बोली जाती है। भोजपुरी नेपाल की दक्षिणी सीमा से लेकर पड़ोसी राज्य झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र तक एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, मऊ, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), प्रतापगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ एवं बस्ती आदि जनपदों से बिहार राज्य के उत्तरी-पश्चिमी जिलों यथा भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज, सारण, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिलों तथा इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है।

ग्रियर्सन के भाषायी सर्वेक्षण के काल में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या

भोजपुरी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ आँकी गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश की लगभग 3.3 करोड़ आबादी भोजपुरी बोलती है। विश्व के अनेक देशों, यथा नेपाल, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फीजी, मॉरीशस आदि देशों में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा के रूप में स्थापित है। नेपाल एवं मॉरीशस में भोजपुरी मान्यताप्राप्त राजकीय भाषा भी है। इसके साथ-साथ भोजपुरी पाकिस्तान, जमैका, कैरीबियन एवं दक्षिणी अफ्रीका के भी कई क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी जानने-समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों में है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र के अन्य देशों में जाने वाले जनसमुदाय के माध्यम से समय-समय पर भोजपुरी का प्रसार होते रहा है। इसके मुद्रण की लिपि देवनागरी है, जो पूरे राष्ट्र की कतिपय भाषाओं की मान्य लिपि है।

भाषाशास्त्र की दृष्टि से भोजपुरी का उद्भव मागधी-अपभ्रंश से माना गया है, मूल रूप से जिसका संबंध भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषिक-परंपरा है। जनपदीय भाषा से राष्ट्र की भाषा की दिशा निर्धारित होती है। ऐसे में भोजपुरी की बनावट एवं इसकी व्युत्पत्तिगत विशिष्टता ध्यानाकर्षक है। भोजपुरी भाषा संस्कृत भाषा के अति निकट है और संस्कृत की ही भाँति वैज्ञानिक भाषा है। अन्य भारतीय भाषाओं के व्याकरण में जहाँ तीन पुरुषों—उत्तम, मध्यम एवं प्रथम की व्यवस्था देखी जाती है, वहाँ भोजपुरी में चार पुरुषों की व्याकरणगत विशेषता देखने को मिलती है। 'अपने जाएल जाता' जैसा आदरार्थक क्रिया-प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ है। भोजपुरी के 'रउवा' शब्द का ध्वन्यात्मक माधुर्य अनूठा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के आईने में भोजपुरी का भाषायी स्वरूप साहित्य की सभी विधाओं एवं भावों को सफलतापूर्वक वहन करने में सक्षम है। कतिपय विदेशी भाषाओं एवं भारतीय भाषाओं के साथ भोजपुरी के संबंध के संकेत भाषाशास्त्रियों की नजर में आह्लाद का विषय रहा है। अंग्रेजी का टिकट, बाँग्ला का टिकॉट एवं भोजपुरी का टिकठ इसके वैश्विक स्वरूप को दर्शाता है।

भोजपुरी बहुत ही सरस, सरल एवं मधुर भाषा है। भारतवर्ष के एक बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली यह भाषा भारतीय संस्कृति एवं इसकी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। यह लोक-साहित्य की परंपरा से समृद्ध है। जनभाषा में साहित्य-रचना के दौर में जनपदीय संस्कृति से ओतप्रोत रचनाएँ भोजपुरी

में उपलब्ध हैं। उत्तर भारत के गाँव-गाँव में आज भी 'आत्मा' के वीररस के गीत प्रचलित हैं, जो 13वीं सदी की रचना मानी जाती है। महाकवि तुलसीदास ने जिसे 'ग्राम्य' वाणी कहा था, उसी रूप में भोजपुरी कबीर से लेकर नागार्जुन तक की काव्य-भाषा में स्वयं को प्रतिष्ठित करते चली आई है। आधुनिक काल में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर द्वारा गीत, नाटक एवं नृत्य के माध्यम से एक विराट ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है, जिसका अनुशीलन हमें भारतीय समाज की ज्वलंत समस्याओं से रू-ब-रू कराता है तथा उनके समाधान के लिए हमें उद्दीप्त करता है। महेन्द्र मिश्र द्वारा भोजपुरी की दुनिया को पूर्वी धुन से नवाजा गया है। मनोरंजन प्रसाद सिंह जैसे भोजपुरी के कवियों के राष्ट्रप्रेम के गीतों को भोजपुरी क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूलते। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी भोजपुरीभाषी थे।

भोजपुरी क्षेत्र के रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, नृत्य-गीत आदि सब में इस देश की मिट्टी की सुगंध का अनुभव होता है। बिरहा जैसे लोक-गीत, झूमर-सोहर जैसे मांगलिक गीत तथा हुड़का जैसे आदिम लोक-नृत्य भोजपुरी क्षेत्र में मनोमुग्धकारी ढंग से विद्यमान हैं। भोजपुरीभाषी क्षेत्र के प्रसिद्ध पकवान लिट्टी-चोखा, सत्तु-भूँजा एवं ठेकुआ के स्वाद से आज पूरा विश्व अवगत है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भोजपुरी में वैश्विक संपर्क की क्षमता है तथा यह भारतीय रीति-रिवाज की एक सक्षम वाहिका है।

विशाल जनमानस की भावना की संवाहिका भोजपुरी के सम्मान के लिए दिनांक 03.03.2017 को बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा भोजपुरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजे जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आलोक में राज्य सरकार अपनी अनुशंसा इस अनुरोध के साथ संप्रेषित करती है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

परिशिष्ट–6

LIST OF PRIVATE MEMBERS BILLS SEEKING TO INCLUDE BHOJPURI LANGUAGE IN THE EIGHTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (FROM 1969 TO TILL DATE)

SI No.	*Title of the Bill*	*Member-in-charge*	*Date of*	*Remarks*
1.	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	21.2.1969 (4th Lok Sabha)	Lapsed
2.	The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	28.05.1971 (5th Lok Sabha)	Lapsed
3.	The Constitution (Amendment) Bill, 1972 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	12.05.1971 (5th Lok Sabha)	Lapsed
4.	The Constitution (Amendment) Bill, 1975 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri C.K. Chandrappan, M.P.	2.05.1975 (5th Lok Sabha)	Lapsed
5.	The Constitution (Amendment) Bill, 1980 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	21.11.1980 (7th Lok Sabha)	Lapsed
6.	The Constitution (Amendment) Bill, 1990 (Submission of new Schedule for Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	16.03.1990 (9th Lok Sabha)	Lapsed
7.	The Constitution (Amendment) Bill, 1990 (Submission of new Schedule for Eighth Schedule).	Shri Satyagopal Misra, M.P.	10.08.1990 (9th Lok Sabha)	Lapsed
8.	The Constitution (Amendment) Bill, 1991 (Submission of new Schedule Eighth Schedule).	Shri Bhogendra Jha, M.P.	19.07.1991 (10th Lok Sabha)	Lapsed
9.	The Constitution (Amendment) Bill, 1991 (Submission of new Schedule Eighth Schedule).	Shri Satyagopal Misra, M.P.	13.09.1991 (9th Lok Sabha)	Lapsed
10.	The Constitution (Amendment) Bill, 1992 (Amendment of the Eighth Schedule).	Prof. Rasa Singh Rawat, M.P.	26.2.1993 (10th Lok Sabha)	Lapsed

11.	The Constitution (Amendment) Bill, 1996 (Amendment of the Eighth Schedule).	Prof. Rasa Singh Rawat, M.P.	19.7.1996 (11th Lok Sabha)	Lapsed
12.	The Constitution (Amendment) Bill, 2000 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Prabhunath Singh, M.P.	5.5.2000 (13th Lok Sabha)	Lapsed
13.	The Constitution (Amendment) Bill, 2005 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri C.K. Chandrappan, M.P.	25.8.2005 (14th Lok Sabha)	Lapsed
14.	The Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Om Prakash Yadav, M.P.	04.12.2009 (15th Lok Sabha)	Lapsed
15.	The Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri J.P. Agarwal, M.P.	13.08.2010 (15th Lok Sabha)	Lapsed
16.	The Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of the Eighth Schedule).	Dr. Ajay Kumar, M.P.	09.08.2012 (15th Lok Sabha)	Lapsed
17.	The Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Om Prakash Yadav, M.P.	25.07.2014 (16th Lok Sabha)	Lapsed
18.	The Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Rajiv Pratap Rudy, M.P.	8.08.2014 (16th Lok Sabha)	Removed from the register of pending Bills consequence on appoint-ment of member incharge a Minister
19.	The Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of the Eighth Schedule).	Shri Ravi Kishan, M.P.	12.08.2019 (17th Lok Sabha)	

परिशिष्ट–7

19वीं लोकसभा के निर्वाचित भोजपुरी सांसदों के चुनिंदा वक्तव्य

भोजपुरी समाज दिल्ली के तत्वावधान में 15वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन वर्ष 2009 में, 16वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन वर्ष 2014 में एवं 17वीं लोकसभा के सांसदों का अभिनंदन वर्ष 2019 में आयोजित किया गया। वर्ष 2019 वाले भव्य समारोह में प्रमुख अतिथिगण के वक्तव्य के कुछ अंश इस प्रकार हैं :

भोजपुरीभाषी नवनिर्वाचित सांसद लोगन के अभिनंदन परंपरागत रूप से आप लोगन के संस्था भोजपुरी समाज दिल्ली द्वारा पहले भी कईल गईल बा, बाकिर इतना अधिक सांसद लोगन के उपस्थिति हमनी सब के उत्साह बढ़ावता। पश्चिम बंगाल से भोजपुरी मूल के सांसद अर्जुन सिंह जी एवं असम से कृपानाथ मल्लाह जी के लोकसभा चुनाव में अर्जित विजय से सब भोजपुरियन के माथा ऊँच बा।

भाई अजीत दुबे जी के द्वारा भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर कईल भागीरथी प्रयास जरूर सफल होई, ई हम आप सब के विश्वास दियावत हईं।

– जगदंबिका पाल

आजादी के लड़ाई 90 बरस चलल रहे, एकर शुरुआत भोजपुरिया मंगल पाण्डे कईलन, वीर कुँवर सिंह के अविस्मरणीय योगदान केहु ना भुला सकेला। और त और, महात्मा गाँधी जी के भी भोजपुरिया माटी 'चंपारण' के सहयोग से ही आगे बढ़े के रास्ता मिलल। भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर हमनी सब एक बानी।

– आर.के. सिन्हा

भोजपुरिया माटी के प्रणाम। ई माटी हमार पहचान बाटे। पहला बार गोरखपुर से निर्वाचित हो कर लोकसभा पहुँचल बानी, पूरा चुनाव में हम भोजपुरी और सिर्फ भोजपुरी में आपन विचार रखनी। भोजपुरी के सम्मान खातिर हम सदैव संकल्पित बानी।

– रविकिशन

भोजपुरी भाषा के प्रति समर्पित श्रद्धेय अजीत दुबे भईया के संग पिछले कई बरिस से फेविकोल के जोड़ से अधिक प्रगाढ़ सम्बंध रहल बा। आज के समारोह में भोजपुरी भाषा के प्रति श्रद्धा का भाव से डेढ़ दर्जन से अधिक सांसद लोगन के उपस्थिति हमनी सब खातिर गौरव के बात बा।

– मनोज तिवारी

मैं एक राजस्थानी भाषी हूँ, भोजपुरी भाषियों के साथ मान्यता के प्रयास में हम आपके साथ हैं, क्यूँकि ये दोनों ऐसी भाषाएँ हैं जो भारत के बाहर (राजस्थानी नेपाल द्वारा एवं भोजपुरी मॉरीशस द्वारा) के किसी अन्य देश द्वारा मान्यता पा चुकी हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारित प्रस्ताव का जिक्र भी करना चाहूँगा जिसके तहत मातृभाषाएँ जिंदा रहनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए।
हम सभी का प्रयास है कि अपने लक्ष्य को हासिल करें।

– अर्जुनराम मेघवाल, राज्य मंत्री

श्री अजीत दुबे जी एवं संस्था के हम आभारी बानी एह अभिनंदन खातिर आ आप सब के विश्वास दियावत हइँ कि भोजपुरी भाषा के सम्मान के लड़ाई खातिर एगो कड़ी के रूप में हम आप सब लोगन के साथ सदैव तत्पर रहब।

— जनार्दन सिंह सिग्रिवाल

माननीय मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल जी ने आप सभी को सविस्तार भोजपुरी भाषा की मान्यता संबंधित विषय में किए जा रहे विभिन्न प्रयास की जानकारी दी, मुझे इसके अतिरिक्त सिर्फ यही कहना है कि हमारी सरकार इस विषय में पूर्णतया संकल्पित है एवं हमें विश्वास है कि हम सभी का सपना जल्द साकार होगा।

— अश्वनी कुमार चौबे

अपना भाषा पर एवं अपना संस्कृति पर अभिमान करे वाला हर भोजपुरिया के सपना जल्द साकार होई, ई हमरा पूरा विश्वास बा।

अजीत बाबा एवं आप सब के आभारी बानी एह अभिनंदन खातिर।

— वीरेन्द्र सिंह 'मस्त'

सन् 1956 में भोजपुरी समाज दिल्ली के प्रतिनिधि सर्वश्री श्रीकांत दुबे, केदारनाथ पाठक,
त्रिवेणी सहाय एवं रामजतन राय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करते हुए

2009 में नवविर्वाचित सांसदों के सम्मान समारोह में सांसदों के साथ

10 जून, 2014 : 16वीं लोकसभा के भोजपुरी भाषी/पूर्वांचल क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन समारोह में सांसद श्री जगदंबिका पाल उद्‌बोधन करते हुए

'तलाश भोजपुरी भाषायी अस्मिता की' पुस्तक के दूसरे संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर दायें से लेखक सर्वश्री अजीत दुबे, मनोज तिवारी, अर्जुन राम मेघवाल, संजय निरुपम एवं महाबल मिश्र

24 मई, 2012 को तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम से भोजपुरी भाषा को मान्यता दिए जाने को लेकर बातचीत करता भोजपुरी शिष्टमंडल

21 सितंबर, 2012 को तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को ज्ञापन देता राष्ट्रीय भोजपुरी शिष्टमंडल

भोजपुरी समाज के एक समारोह में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के साथ

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का
सम्मान करते विधायक (तब) श्री महाबल मिश्र के साथ

18 जनवरी, 2016 : तत्कालीन गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ
श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री जगदंबिका पाल

28 जुलाई, 2015 : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भाजपा के सांसदगण भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने हेतु माँग-पत्र सौंपते हुए

27 जुलाई, 2015 : भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को सांविधानिक मान्यता दिलाने के लिए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के निवास पर बैठक हुई। बैठक में भोजपुरी, राजस्थानी सहित भोटी को सांविधानिक मान्यता के लिए अनुरोध-पत्र प्रधानमंत्री सहित गृहमंत्री कार्यालय को सौंपने पर सहमति बनी।

श्री नीरज शेखर को संसद में भोजपुरी भाषा को मान्यता का विषय उठाने पर धन्यवाद ज्ञापन

लेखक अजीत दुबे की पुस्तक 'तलाश भोजपुरी भाषायी अस्मिता की' के तृतीय संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर राज्यसभा उपाध्यक्ष श्री हरिवंश एवं श्री रामबहादुर राय

11 अगस्त, 2015 : मॉरीशस के नवनियुक्त उच्चायुक्त श्री जगदीश्वर गोवर्द्धन के अभिनंदन समारोह के अवसर पर भोजपुरी और राजस्थानी के सांसदों ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की

सांसद श्री आर.के. सिन्हा एवं श्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ

सांसद श्री जगदंबिका पाल के सरकारी निवास पर भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाषा को भी संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग को लेकर एक बैठक हुई; इसमें भाग लेते हुए बाएँ से सर्वश्री अर्जुनराम मेघवाल, जगदंबिका पाल, दोनों सांसद (तब), अरविन्द गुप्ता (संपदक—साक्षी भारत) एवं अजीत दुबे

मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ

मॉरीशस के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कैलाश प्रयाग एवं संस्कृति मंत्री श्री मुक्तेश्वर चुन्नी से सम्मान ग्रहण करते हुए

मॉरीशस में सन् 2009 में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में अपनी पत्नी अंजु दुबे के साथ

भोजपुरी भाषा की मान्यता की आवाज निरंतर संसद में उठाने के लिए सांसद श्री जगदंबिका पाल को धन्यवाद देते भोजपरी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल; सर्वश्री अरविन्द दुबे, डॉ. मनीष चौधरी एवं विनयमणि त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री दुर्गाशंकर मिश्र के साथ;
21 फरवरी, 2021 को विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर

सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के साथ

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के साथ मंच साझा करते हुए

विश्व भोजपुरी सम्मेलन का अधिवेशन वाराणसी में 23 फरवरी, 2019, मॉरीशस के राजदूत श्री जगदीश गोवर्द्धन, विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था के अंतरराष्ट्रीय महासचिव श्री अरुणेश नीरन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दुबे, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अशोक सिंह, राष्ट्रीय समन्वयक श्री अपूर्व नारायण तिवारी, भोजपुरी अध्ययन केंद्र, बीएचयू के निदेशक श्रीप्रकाश शुक्ल एवं अन्य

'तलाश भोजपुरी भाषायी अस्मिता की' पुस्तक के प्रथम संस्करण के लोकार्पण के समय सर्वश्री रामबहादुर राय, शत्रुघ्न सिन्हा, भीष्म नारायण सिंह एवं मनोज तिवारी के साथ

17वीं लोकसभा (2019) के लोकसभा भोजपुरीभाषी सांसदों के अभिनंदन समारोह में सांसदों के साथ

17वीं लोकसभा (2019) के सांसदों के अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए